


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का  
प्रतिवेदन

मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)  
लेन-देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां  
2006 की संख्या 2



**विषय सूची**

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
<b>अध्याय I— परमाणु ऊर्जा विभाग</b>		
निर्दाहक प्रणाली का अवसंस्थापन	1.1	1
<b>अध्याय II— वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय</b>		
निधियों का अवरोधन तथा बकाया की अवसूली	2.1	3
1.40 करोड़ रु. का त्रुटिपूर्ण जारी किया जाना	2.2	5
सा.इ.नि.स. क्षे. विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुम्बई	2.3	7
<b>अध्याय III— संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>		
<b>डाक विभाग</b>		
संगठनात्मक ढांचा एवं वित्तीय प्रबंधन	3.1	9
राजस्व टिकटों के क्रय पर कमीशन की कटौती न करना	3.2	13
डाक जीवन बीमा पॉलिसियों पर बोनस का अधिक भुगतान	3.3	14
डाक प्रभारों की कम प्राप्ति	3.4	15
ब्याज का अनियमित भुगतान	3.5	17
निष्क्रिय खातों पर सेवा प्रभारों की गैर कटौती	3.6	19
<b>दूरसंचार विभाग</b>		
पृष्ठभूमि	3.7	20
पेंशन अंशदान के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की गैर वसूली	3.8	21
महंगाई राहत का अधिक भुगतान	3.9	22
<b>अध्याय IV— विदेश मंत्रालय</b>		
त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण तंत्र	4.1	23
आकस्मिकता प्रदत्त स्टाफ की नियुक्ति पर अप्राधिकृत व्यय	4.2	31

	पैराग्राफ	पृष्ठ
अत्यधिक नकद शेष के अविवेकपूर्ण अवरोधन के कारण ब्याज की हानि	4.3	34
अतिरिक्त परिहार्य व्यय	4.4	36
मू.व.क. वापसियों की गैर-वसूली	4.5	39
अतिरिक्त परिहार्य व्यय	4.6	40
'प्रचार' शीर्ष के अंतर्गत अनियमित व्यय	4.7	41
<b>अध्याय V – वित्त मंत्रालय</b>		
त्रुटिपूर्ण सम्पत्ति प्रबन्धन	5.1	46
अनुचित योजना के कारण निवेश की निष्क्रियता	5.2	50
<b>अध्याय VI – स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>		
सहायता अनुदान का अविवेकपूर्ण जारी होना	6.1	52
रोगी देखभाल भत्ते का अनियमित भुगतान	6.2	53
विद्युत और जल प्रभारों की गैर-वसूली	6.3	54
परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान	6.4	55
अनियोजित खरीद के कारण उपकरण की निष्क्रियता	6.5	56
<b>अध्याय VII – गृह मंत्रालय</b>		
अतिरिक्त परिहार्य भुगतान	7.1	59
<b>अध्याय VIII – मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>		
पदों के प्रंचालन पर अप्राधिकृत व्यय	8.1	61
<b>अध्याय IX – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b>		
वेतन एवं भत्तों पर अपव्यय	9.1	63
<b>अध्याय X – ऊर्जा मंत्रालय</b>		
सेवा कर की गैर-वसूली	10.1	65
आयकर की कटौती न होना	10.2	66

	पैराग्राफ	पृष्ठ
<b>अध्याय XI – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>		
<b>वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद</b>		
निष्फल व्यय	11.1	68
परिहार्य व्यय	11.2	69
<b>अध्याय XII – पर्यटन मंत्रालय</b>		
आकस्मिकता से भुगतान किये जाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति पर अनियमित व्यय	12.1	71
पद को अनियमित रूप से जारी रखने के कारण अप्राधिकृत व्यय	12.2	72
<b>अध्याय XIII – शहरी विकास मंत्रालय</b>		
अतिरिक्त परिहार्य व्यय	13.1	73
कार्य के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय	13.2	74
<b>अध्याय XIV – संघ शासित क्षेत्र</b>		
<b>अंडमान तथा निकोबार प्रशासन</b>		
<b>जहाजरानी सेवा निदेशालय</b>		
जहाजरानी मंच तथा मरम्मत सुविधाओं पर निष्फल व्यय	14.1	76
<b>अंडमान लोक निर्माण विभाग</b>		
अतिरिक्त एवं निष्फल व्यय	14.2	77
<b>अध्याय XV – सामान्य</b>		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - संक्षिप्त स्थिति	15.1	79
विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम - प्रोफॉर्मा लेखाओं की स्थिति	15.2	80
बट्टेखाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां तथा गैर-वसूली योग्य देय राशि	15.3	81
ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर	15.4	82


	परिशिष्ट	पृष्ठ
I	मार्च 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अक्तूबर 2005 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति	85
II	मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अक्तूबर 2005 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति	86
III	विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	92
IV	2004-2005 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई /छोड़ी गई हानियों तथा अवसूली योग्य राशियों का विवरण	96
V	ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर	97

## प्राक्कथन

मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ 2006 के प्रतिवेदन संख्या 1 में शामिल की गई हैं। इस प्रतिवेदन में डाक और दूरसंचार विभाग एवं वैज्ञानिक विभागों को शामिल करते हुए सिविल मंत्रालयों के लेन-देनों की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले शामिल किए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं, जो कि 2004-05 की अवधि की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। पूर्णता की दृष्टि से, वे मामले, जो पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित हैं परन्तु पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए गए थे, भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार, कुछ मामलों में अप्रैल 2005 के बाद के लेन-देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्ष भी, जहां कहीं उपलब्ध और सुसंगत हैं, उल्लिखित किये गये हैं।



## विहंगावलोकन

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, वैज्ञानिक विभाग एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को सम्मिलित करते हुए सिविल मंत्रालयों में लेनदेन लेखापरीक्षा से प्रकट हुई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों के लेखाओं (रिलवे को छोड़कर) पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां 2006 के प्रतिवेदन सं. 1 में समाविष्ट की गई हैं।

### **परमाणु ऊर्जा विभाग**

#### **निर्दाहक प्रणाली का अवसंस्थापन**

निम्नस्तरीय रेडियोधर्मी अवशिष्ट के प्रबंधन में सुधार तथा निपटान लागत को न्यूनतम करने के लिए अपने तारापुर स्थित अवशिष्ट प्रबंधन डिविजन में प्रतिस्थापित करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (भा.प.अ.के.) ने मई 1993 एवं मार्च 1999 के बीच 52.78 लाख रु. की लागत पर एक निर्दाहक प्रणाली के विभिन्न अव्यवों का प्रापण किया। प्रणाली के एकीकरण एवं चालू करने के समय भा.प.अ.के. ने प्रणाली के अभिन्यास की समीक्षा का निर्णय लिया तथा कार्य के स्तर की समीक्षा करने एवं शीघ्र समापन के लिए एक टास्क फोर्स गठित की। टास्क फोर्स जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2002 तक प्रस्तुत करनी थी, ने निर्माण सामग्री, अवशिष्ट की छंटाई एवं पैकिंग के क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ बदलाव का सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट जुलाई 2005 में प्रस्तुत की। अतः 52.78 लाख रु. की प्रणाली/उपकरण जिसकी वारंटी पहले ही समाप्त हो चुकी थी, अभी चालू होनी थी तथा अभिप्रेत प्रयोग करना था।

**(पैराग्राफ 1.1)**

#### **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

##### **1.40 करोड़ रु. का भ्रांतिपूर्ण जारी किया जाना**

मंत्रालय ने 1.40 करोड़ रु. की आधिक्य राशि को सम्मिलित करके बिहार राज्य निर्यात निगम को 2.81 करोड़ रु. जारी किए। सभी निधियां तीन वर्ष से अधिक समय तक निष्क्रिय थीं तथा मंत्रालय द्वारा वसूल की जानी थीं।

**(पैराग्राफ 2.2)**

## सूचना एवं दूरसंचार मंत्रालय

### डाक विभाग

#### राजस्व टिकटों के क्रय पर कमीशन की गैर कटौती

13 डाक परिमंडलों के मुख्य महा डाकपाल राजस्व टिकटों के क्रय पर राज्य सरकारों से 3.85 करोड़ रु. का कमीशन काटने के डाक विभाग के अनुदेशों के कार्यान्वयन में विफल रहे।

(पैराग्राफ 3.2)

#### डाक जीवन बीमा पॉलिसियों पर बोनस का अधिक भुगतान

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल डाक परिमंडलों के डाक जीवन बीमा प्राधिकारियों तथा अतिरिक्त महानिदेशालय, सेना डाक सेवा (डा. जी. बी. कक्ष) दिल्ली ने डाक विभाग के अनुदेशों का क्रियान्वयन नहीं किया और समय से पूर्व अभ्यर्पित पॉलिसियों पर 1.01 करोड़ रु. के बोनस का भुगतान किया।

(पैराग्राफ 3.3)

#### डाक प्रभारों की कम प्राप्ति

दिल्ली, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश डाक परिमंडलों के अधीन चार मुख्य डाकघर/डाकघरों ने अपात्र प्रकाशनों के लिये रियायती प्रशुल्क प्राधिकृत किया। इसका परिणाम 31.58 लाख रु. के डाक प्रभारों की कम प्राप्ति में हुआ।

(पैराग्राफ 3.4)

#### ब्याज का अनियमित भुगतान

उड़ीसा व उत्तर प्रदेश परिमंडलों में डाकघरों व मुम्बई में एक मुख्य डाकघर मासिक आय योजना के अन्तर्गत खोले गये खातों में निर्धारित वित्तीय सीमा सुनिश्चित करने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा परिमंडल के अंतर्गत एक मुख्य डाकघर व दो उप डाकघरों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अप्राधिकृत एजेन्सियों को इस प्रकार के खाते खोलने की अनुमति दी। इसका परिणाम ब्याज, बोनस एवं कमीशन की 21 लाख रु. की राशि के अनियमित भुगतान में हुआ।

(पैराग्राफ 3.5)

### **निष्क्रिय खातों पर सेवा प्रभार की गैर-कटौती**

असम, कर्नाटक, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल डाक परिमंडलों के अन्तर्गत 11 मुख्य डाकघर/प्रधान डाकघर मार्च 2002 से पहले के निष्क्रिय माने गए खातों पर सेवा प्रभार उगाहने में असफल रहे। इसका परिणाम 15.74 लाख रु. के सेवा प्रभारों की गैर-कटौती में हुआ।

(पैराग्राफ 3.6)

### **दूरसंचार विभाग (दू.वि.)**

#### **पेंशन अंशदान के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की गैर वसूली**

दू.वि. के कर्मचारी जिनको या तो प्रतिनियुक्ति पर माना गया था या भारत संचार निगम लिमिटेड में स्थायी तौर पर समाविष्ट कर लिया गया था, का पेंशन अंशदान सम्बद्ध नियंत्रक, संचार लेखा द्वारा एक से 31 महीनों के विलम्ब के बाद प्राप्त किया गया था। इस विलम्बित भुगतान पर 55.32 लाख रु. का ब्याज बना जिसका दावा संचार लेखा नियंत्रकों द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड से नहीं किया गया।

(पैराग्राफ 3.8)

### **मंहगाई राहत का अधिक भुगतान**

आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश व राजस्थान परिमंडलों में बैंकों ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पेंशनभोगियों का औद्योगिक मंहगाई भत्ता दरों के बजाय अप्रयोज्य उच्चतर केन्द्रीय मंहगाई भत्ता दरों पर मंहगाई राहत का भुगतान किया। इसका परिणाम 31.80 लाख रु. के मंहगाई राहत का अधिक भुगतान में हुआ।

(पैराग्राफ 3.9)

### **विदेश मंत्रालय**

#### **त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण तंत्र**

मंत्रालय और विदेश में भारतीय मिशनों/केन्द्रों में प्रभावकारी आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया के असंरक्षण के साथ-साथ मौजूदा अनुदेशों और प्रक्रियाओं की अवहेलना का परिणाम 4.92 करोड़ रु. का अनियमित/अप्राधिकृत व्यय और भारत आधारित अधिकारियों से 15.04 लाख रु. की गैर-वसूली में हुआ।

(पैराग्राफ 4.1)

### आकस्मिकता प्रदत्त स्टाफ की नियुक्ति पर अप्राधिकृत व्यय

स्थानीय भर्ती स्टाफ के रोजगार को अधिशासित करने वाले नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए विदेश में मिशनों और केन्द्रों ने स्थानीय स्टाफ की नियुक्ति जारी रखी तथा उन्हें आकस्मिकता से भुगतान किया जिसका परिणाम 2.54 करोड़ रु. के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ 4.2)

### अत्यधिक नकद शेष के अविवेकपूर्ण अवरोधन के कारण ब्याज की हानि

विदेश में मिशनों द्वारा आवश्यकता से अधिक नकद शेषों को न रखने के लिए विदेश मंत्रालय के अनुदेशों के निरन्तर अननुपालना का परिणाम 1.79 करोड़ रु. के ब्याज की हानि में हुआ।

(पैराग्राफ 4.3)

### अतिरिक्त परिहार्य व्यय

मंत्रालय के अनुदेशों का उल्लंघन करके पोर्ट मोरसवे, सुवा एवं हेलसिंकी स्थित भारतीय मिशनों ने अप्रैल 1996 से अगस्त 2004 की अवधि के दौरान 212 प्रशिक्षणार्थियों के लिए किफायती श्रेणी भ्रमण हवाई टिकटें की बजाए पूर्ण किराया किफायती श्रेणी टिकटें खरीदने का परिणाम 1.44 करोड़ रु. के अनुमानित अतिरिक्त व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ 4.4)

### मू.व.क. वापसियों की गैर-वसूली

आठ मिशनों/केन्द्रों द्वारा अप्रैल 2002 से जुलाई 2004 की अवधि के मू.व.क. वापसियों के अनुचित प्रस्तुतीकरण, मानीटरिंग एवं अनुसरण का परिणाम 25.11 लाख रु. की गैर-वसूली में हुआ।

(पैराग्राफ 4.5)

### अतिरिक्त परिहार्य व्यय

हज सद्भावना प्रतिनिधिमंडल 2005 के लिए हज तीर्थ यात्रा शुरू होने से केवल 10 दिन पहले लगभग 17 व्यक्तियों से बढ़ाकर 36 करने के मंत्रालय के निर्णय का परिणाम उच्च दर पर होटल के कमरों की बुकिंग पर 24.50 लाख रु. के अतिरिक्त व्यय में हुआ

(पैराग्राफ 4.6)

## वित्त मंत्रालय

### त्रुटिपूर्ण सम्पत्ति प्रबन्धन

आयकर विभाग (विभाग) की कार्यालय तथा रिहायशी प्रयोजनों के लिए अधिग्रहित भूमि तथा भवनों का उपयोग करने में अनुचित योजना तथा लापरवाह दृष्टिकोण का परिणाम 2 से 12 वर्षों के बीच की सीमा अवधि के लिए 50.37 करोड़ रु. के निष्क्रिय रहने, ब्याज भुगतान तथा किराए पर लिए गए भवनों पर ब्याज एवं बढ़त प्रभारों एवं किराया भुगतान पर 11.55 करोड़ रु. के परिहार्य व्यय में हुआ। विभाग ने मार्च 2003 तथा फरवरी 2005 के बीच रिक्त भवन के अनुरक्षण पर 1.23 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय भी वहन किया और फरवरी 2005 के बाद अन्य किराए पर लिए गए तथा रिक्त भवनों के किराए तथा अनुरक्षण पर 5.74 करोड़ रु. प्रतिवर्ष का व्यय वहन करना जारी रखा।

(पैराग्राफ 5.1)

### अनुचित योजना के कारण निवेश की निष्क्रियता

भारत सरकार टकसाल, नोएडा ने अपनी गृह आवश्यकताओं का उचित मूल्यांकन किए बिना 96 स्टाफ कर्वाटरों का निर्माण किया जिसका परिणाम 58 कर्वाटरों (60 प्रतिशत) के खाली रहने और फलस्वरूप 2.29 करोड़ रु. के निवेश के निष्क्रिय रहने में हुआ। स्टाफ, जिनके लिए कर्वाटरों का निर्माण किया गया था, को 43.51 लाख रु. का गृह किराया भत्ता अदा किया गया तथा 5.63 लाख रु. के लाइसेंस शुल्क की हानि हुई।

(पैराग्राफ 5.2)

### स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

#### सहायता अनुदान का अविवेकपूर्ण जारी होना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सामान्य वित्तीय नियमावली तथा वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 2001-02 से 2003-04 के दौरान चार स्वायत्त निकायों को 3.28 करोड़ रु. जारी किए यद्यपि ये निकाय पर्याप्त आंतरिक संसाधन उत्पन्न कर रहे थे और व्यय पर आय की अधिकता को दर्शा रहे थे।

(पैराग्राफ 6.1)

### विद्युत और जल प्रभारों की गैर-वसूली

सफदरजंग अस्पताल द्वारा नर्स छात्रावास में पृथक घरेलू विद्युत मीटर प्रतिष्ठापित करने की निष्क्रियता का परिणाम विद्युत की घरेलू खपत पर उच्च वाणिज्यिक दर पर मई

1999 से दिसम्बर 2004 की अवधि में 48.55 लाख रु के अतिरिक्त व्यय में हुआ। अस्पताल इसी अवधि में छात्रावास के अधिभोगियों से अपने द्वारा निर्धारित दरों पर 65.79 लाख रु के विद्युत और जल प्रभार वसूल करने में भी विफल रहा।

(पैराग्राफ 6.3)

#### परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान

भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए सफदरजंग अस्पताल ने विभिन्न डाक्टरों/स्टाफ सदस्यों को जिन्हें परिसर के अन्दर या एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर सरकारी आवास आबंटित किए हुए थे को 49.52 लाख रु के परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान किया।

(पैराग्राफ 6.4)

#### गृह मंत्रालय

##### अतिरिक्त परिहार्य भुगतान

जब कार्य का परिमाण निश्चित नहीं था भारत के महापंजीयक ने नियत मूल्य संविदा को प्रदान किया तथा 1.83 करोड़ रु का अतिरिक्त परिहार्य भुगतान किया।

(पैराग्राफ 7.1)

#### ऊर्जा मंत्रालय

##### सेवाकर की गैर-वसूली

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अपने ग्राहकों से 62.10 लाख रु. की राशि का सेवा कर वसूल करने में विफल रहा। उसने स्वयं को केन्द्रीय उत्पाद विभाग के सामने चूककर्ता करदाता बनाकर 14.29 लाख रु. की ब्याज देयता के लिए अभिदर्शित भी किया।

(पैराग्राफ 10.1)

#### आयकर की कटौती न होना

छुट्टी यात्रा रियायत की दोषपूर्ण योजना के कारण कर्मचारियों द्वारा स्वयं प्रमाणीकरण के आधार पर की गई यात्राओं हेतु दावों पर कुल 36.37 लाख रु. के आयकर की वसूली नहीं हुई तथा बदरपुर तापन विद्युत स्टेशन को आयकर विभाग द्वारा सम्भावित ब्याज एवं जुर्माने के लिए अभिदर्शित किया।

(पैराग्राफ 10.2)

**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय**  
**वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद**  
**निष्फल व्यय**

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (क्षे.अ.प्र.), भुवनेश्वर में तापन अल्पांश के रूप में मॉलिबड़िनम डिसीलीसाइड के साथ उच्च तापमान सम्पर्क कोण माप प्रणाली के प्रापण हेतु प्रस्ताव किया। एक जर्मन पूर्तिकर्ता ने प्रणाली के लिए तापन अल्पांश के रूप में मॉलिबड़िनम डिसीलीसाइड के बजाए मॉलिबड़िनम सिलकॉन डाइऑक्साइड को उद्धृत किया। किन्तु क्षे.अ.प्र. ने उद्धरण में तापन अल्पांश में परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं दिया और जनवरी 2004 में फर्म को तापन अल्पांश के रूप में मॉलिबड़िनम सिलकॉन डाइऑक्साइड के साथ आदेश दिया। प्रणाली के प्राप्त होने पर यह पार्या गया कि फर्म द्वारा आपूर्ति की गई तापन प्रणाली न तो मॉलिबड़िनम सिलिकॉन डिसीलीसाइड थी और न ही मॉलिबड़िनम सिलिकॉन डाइऑक्साइड थी, बल्कि मॉलिबड़िनम ऑक्साइड थी। क्षे.अ.प्र. ने अक्टूबर 2004 में पूर्तिकर्ता को उपकरण बदलने का अनुरोध किया। पूर्तिकर्ता ने इन्कार कर दिया। मामला पूर्तिकर्ता के साथ सुलझाया नहीं जा सका न ही क्षे.अ.प्र. ने पूर्तिकर्ता के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की जिसका परिणाम 24.04 लाख रु. लागत की प्रणाली असंस्थापित पड़ी थी।

(पैराग्राफ 11.1)

**परिहार्य व्यय**

केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (के.यां.इं.अ.सं.), ने चेन्नई तथा पूणे स्थित यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान तथा विकास संगठन (यां.इं.अ.वि.सं.) की दो इकाईयों को कमजोर निष्पादक मानकर अगस्त 2001 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से उन्हें बन्द करने की सिफारिश की। तथापि के.यां.इं.अ.सं. के निर्देशानुसार चेन्नई इकाई के लिए 17.17 लाख रु. लागत की स्मार्ट-300 एक्स -रे मशीन का एक क्रय आदेश दिसम्बर 2001 में दिया। वै.ओ.अ.प. ने अप्रैल 2002 में यां.इं.अ.वि.सं., चेन्नई तथा पुणे को बन्द करने के निर्देश दिए। यां.इं.अ.वि.सं. चेन्नई की प्रापण की गई नई मशीन को के.यां.इं.अ.सं., दुर्गापुर में स्थानांतरित कर दिया। के.यां.इं.अ.सं. ने उसके उपयोग की संभावना की खोज नहीं की जिसका परिणाम 17.17 लाख रु. के परिहार्य व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ 11.2)

## शहरी विकास मंत्रालय

### अतिरिक्त परिहार्य व्यय

आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा न करने एवं संविदात्मक शर्तों की अनुपालना ने के.लो.नि.वि. द्वारा कार्य के कार्यान्वयन में देरी के साथ मिलकर कोलकाता में निर्माण के मामले में अतिरिक्त परिहार्य व्यय एवं 1.65 करोड़ रु. की हानि को जन्म दिया।

(पैराग्राफ 13.1)

### कार्य के कार्यान्वयन में देरी के कारण अतिरिक्त व्यय

संविदात्मक अनुबंधों को लागू न करने एवं कार्य की समाप्ति में देरी का परिणाम सी.सु.ब. की गश्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त 18.45 लाख रु. के अतिरिक्त व्यय एवं 18.85 लाख रु. की हानि में हुआ।

(पैराग्राफ 13.2)

### संघ शासित क्षेत्र

### जहाजरानी मंच तथा मरम्मत सुविधाओं पर निष्फल व्यय

जहाजरानी सेवाएं निदेशालय तीन करोड़ रु. के मूल्य की संपत्तियों के सृजन के बाद आवश्यक तकनीकी जनशक्ति को तैनात नहीं कर पाया और संपत्तियां दो वर्ष से अधिक समय के लिए अप्रयुक्त पड़ी रहीं। इसके अतिरिक्त जिस उद्देश्य के लिए संपत्तियों का सृजन हुआ था वह अपूर्ण रहा और संपत्तियों का उपयोग व रखरखाव न होने के कारण उनके तेजी से खराब होने की संभावना थी।

(पैराग्राफ 14.1)

## अध्याय I : परमाणु ऊर्जा विभाग

### 1.1 निर्दाहक प्रणाली का अवसरथापन

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने 52.78 लाख रु की लागत पर निर्दाहक प्रणाली के विभिन्न अवयव खरीदे। प्रणाली नौ वर्ष के बाद भी असंरथापित थी जिसके कारण नाभिकीय अपशिष्ट प्रबन्धन के दक्ष प्रयोग का उद्देश्य असफल रहा।

परमाणु ऊर्जा विभाग (प.ऊ.वि.) के क्रय तथा स्टोर निदेशालय (क्र.स्टो.नि.) ने मई 1991 और दिसम्बर 1996 के बीच कर तथा शुल्क को निकालकर 38.25 लाख रूपये की कुल लागत पर अन्य सहायक वस्तुओं के साथ उपांग सहित निर्दाहक प्रणाली द्वीप फिल्टर, हीट एक्सचेन्जर, बैग हाउस, एवं ड्राफ्ट कूलिंग टावर की आपूर्ति हेतु विभिन्न फर्मों को आदेश दिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (भा.प.अ.के.), प.उ.वि. की एक अनुसंधान और विकास इकाई, द्वारा अपनी निपटान लागत को कम करने तथा निम्नस्तरीय रेडियो धर्मी अवशिष्ट के प्रबन्धन में सुधार के लिए रिएक्टर से दूर (रि. से दू..) भंडारण सुविधा के लिए अवशिष्ट प्रबन्धन के लिए, तारापुर स्थित अवशिष्ट प्रबन्धन डिविज़न में प्रतिष्ठापन के लिए निर्दाहक प्रणाली स्थापित करनी अपेक्षित थी।

भा.प.अ.के. ने मई 1993 और जुलाई 1997 के बीच 8.75 लाख रूपये की कीमत के हीट एक्सचेंजर और बैग हाउस के अलावा सभी मद्दें कार्यस्थल पर प्राप्त की थी। भा.प.अ.के., आपूर्तिकर्ता के हीट एक्सचेंजर एवं बैग हाउस की आपूर्ति करने में विफलता के कारण निर्दाहक प्रणाली को चालू नहीं कर सका और रि. से दू.. भवन में कुछ मद्दों का भंडारण कर सका और भंडारण सुविधा न होने के कारण शेष को खुले स्थान में रखना पड़ा। भा.प.अ.के. ने मार्च 1999 में अन्य आपूर्तिकर्ता से 23.28 लाख रु की लागत पर हीट एक्सचेंजर तथा बैग हाउस खरीदे और अक्टूबर 2000 तक निर्दाहक संरचना, बैग हाउस, हीट एक्सचेंजर इत्यादि जैसी मुख्य मद्दें संरथापित की गई।

प्रणाली को एकीकृत तथा चालू करते समय, भा.प.अ.के. ने सुविधा के लिए एकीकरण दृष्टिकोण को सुगम बनाने हेतु प्रणाली के विन्यास की समीक्षा का निर्णय लिया एवं कार्य के स्तर की समीक्षा एवं इसके शीघ्र निपटान के लिए जून 2002 में एक टार्स्क फोर्स गठित की। यद्यपि टार्स्क फोर्स को अपनी रिपोर्ट अगस्त 2002 तक प्रस्तुत करनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट में निर्माण की सामग्री, अवशिष्ट को पैक करने तथा छंटाई करने के क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ संशोधनों के सुझाव देते हुए जुलाई 2005 में प्रस्तुत की। किंतु मई 1993 और मार्च 1999 के बीच 52.78 लाख रूपये की लागत से खरीदी गई प्रणाली/उपकरण जिसकी वारंटी पहले ही समाप्त हो गई थी, उन्हें अभी चालू किया जाना और प्रयोग में लाया जाना था। प्रणाली के मार्च 2007 तक चालू होने की संभावना थी। प्रणाली के चालू होने में देरी के कारण रेडियोधर्मी अवशिष्ट का निपटान

मात्रा को कम किए बिना मंहगी खंदक की आवश्यकता वाली विद्यमान प्रणाली द्वारा हो रहा था।

प.ज.वि. ने अक्टूबर 2005 में बताया कि उपर्जित प्रणाली के विभिन्न घटकों में से ज्यादातरों की जांच कर स्थापना कर ली गई है और संतोषजनक स्थिति में थे। उसने आगे बताया कि प्रस्तावित निर्दाहक प्रणाली के विकास की प्रौद्योगिकी शीघ्र उपलब्ध नहीं थी अतः निर्दाहक के विकास और हीट एक्सचेंजर तथा बैग हाउस के प्राप्तण के लिए काफी समय लगा। यह भी कहा गया कि निर्दाहक की अनुपलब्धता से चालू कार्यक्रमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

प.ज.वि. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प.ज.वि. को उपकरण के लिए आदेश देने से पहले प्रणाली के पक्ष-विपक्ष को विचारा जाना चाहिए था। आगे यह देखा गया कि उपकरण से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी विकास हेतु कोई कार्य प्रदान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त निर्दाहक प्रणाली के विभिन्न घटकों की वारंटी पहले ही समाप्त हो चुकी थी जिससे यदि कोई दोष या नुकसान पाया जाता तो उसकी निशुल्क मरम्मत/बदलने की गुंजाइश नहीं थी। देरी से विद्यमान कार्यक्रमों के प्रभावित न होने का उत्तर भी स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भा.प.अ.के. को निम्न स्तरीय नाभिकीय अवशिष्ट का निपटान विस्तृत क्षेत्र एवं मंहगी खंदक की आवश्यकता वाली विद्यमान प्रणाली के प्रयोग द्वारा किया जा रहा था।

अतः नौ वर्षों एवं 52.78 लाख रुपये के व्यय उपरांत भी न्यूनतम निपटान लागत द्वारा निम्न स्तरीय नाभिकीय अवशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी प्रयोग का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

## अध्याय II : वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय

### वाणिज्य विभाग

#### 2.1 निधियों का अवरोधन तथा बकाया की अवसूली

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय उत्पादों के उन्नयन हेतु निधिया अधिकतर बिना किसी इस्तेमाल के नौ वर्षों तक संग्रहित निधि के रूप में अवरोधित रही।

भारत सरकार (भा.स.) ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारत में निर्मित उत्पादों के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय जागरूकता विकसित करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु इंडिया ब्रांड ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की (अक्तूबर, 1995)। इस उद्देश्य हेतु जुलाई, 1996 में वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत “इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड (आई.बी.इ.एफ.) ट्रस्ट”<sup>1</sup> के नाम से ट्रस्ट निधि का घोषणा विलेख हुआ। निधि के लिए आय के साधन के रूप में भारत सरकार से दिसम्बर, 1996 में बजट के रूप में एकमुश्त मिलने वाली 50 करोड़ रु. की राशि, तथा 1996-97 और 1997-98 के दौरान विशेष निर्यात लाइसेन्स (एस.आई.एल.) की बिक्री के प्रिमियम से अर्जित रु. 33.67 करोड़ की राशि थे।

ट्रस्ट के संग्रह को उपयुक्त प्रतिभूतियों और प्रपत्रों में निवेश किया जाना था। संग्रह के निवेशों से उत्पन्न सभी आय तथा निधियों से प्राप्त 25 प्रतिशत अशंदान को प्रोजेक्ट इंडिया के अन्तर्राष्ट्रीय उन्नयन के साथ ही साथ विशिष्ट उत्पादन क्षेत्रों जैसे उद्योग, कृषि, डेरी उद्योग, और उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और मानक स्तर को बनाने रखने हेतु उपयोग किया जाना था। मार्गदर्शक सिद्धान्तों में निधि में से पात्र निर्यातिकों को 5 से 7 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय आसान ऋण के रूप में दिये जाने की सहायता का प्रावधान था।

<sup>1</sup> नवम्बर 2003 में भारत ब्रांड इक्विटी फाउन्डेशन नाम रखा गया।

निधियों के उपयोग की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:-

(रु. करोड़ में)

लेखांकन वर्ष	सामूहिक निधि का अंत शेष	वर्ष के दौरान अर्जित आय	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	संग्रह निधि में अतंरित अधिक आय	वितरित ऋण
1996-97	50 जमा एस.आई.एल. की बिक्री से प्राप्त 13.10	1.20	शून्य	1.20	शून्य
1997-98	64.30 जमा एस.आई.एल. की बिक्री से प्राप्त 20.57	10.12	0.008	10.11	शून्य
1998-99	94.98	12.80	0.17	12.63	शून्य
1999-2000	107.61	14.29	0.08	14.21	5.40
2000-01	121.82	15.42	0.08 0.52 (बट्टे-खाते में डाले)	14.85	3.09
2001-02	136.67	15.64	0.01	15.63	7.75
2002-03	152.30	18.54	0.03	18.51	0.11
2003-04	170.81	18.33	0.70	17.63	शून्य
2004-05	188.44	14.50	6.34	8.16	शून्य
2005-06	196.60	-	-	-	-
योग		120.87	7.94	112.93	16.35

यद्यपि ट्रस्ट की स्थापना 1996 में हुई थी, योजना के अन्तर्गत प्रथम ऋण 1999 में वितरित किया गया। 1996-97 से 2004-05 के दौरान अर्जित कुल 120.87 करोड़ की आय कुल में से, केवल 16.35 करोड़ रु. ऋण के रूप में वितरित किये गये।

जुलाई 2001 में लेखापरीक्षा के एक प्रश्न पर, मन्त्रालय ने बताया (अगस्त 2001) कि 2001-02 से ट्रस्ट के उद्देश्यों को बेहतर रूप से प्राप्त किये जाने की सम्भावना थी। इसके अतिरिक्त, नवम्वर, 2003 में मन्त्रालय ने बताया कि सरकार आई.बी.ई.एफ. के क्रिया-कलापों को एक नया रूप और गति देने हेतु दृढ़ है ताकि जिन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निधि बनाया गया था, उसे पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके। मन्त्रालय ने आगे बताया कि इस दिशा में मुख्य कार्यवाही करते हुये उन्होंने भारतीय व्यापार परिसंघ (सी.आई.आर.) के साथ एक समझौता (एम.ओ.यू) किया था जिसके अन्तर्गत केवल आई.बी.ई.एफ. के कार्यों के प्रबन्धन हेतु एक टीम गठित की गई थी।

तथापि, लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि सी.आई.आई. को प्रबन्धन सौंपे जाने के ढाई वर्षों पश्चात् भी, किसी भी कम्पनी को ऋण नहीं दिया गया तथा संग्रह राशि अर्जित व्याज सहित 31 मार्च, 2005 तक बढ़कर 196.60 करोड़ हो गई थी।

मन्त्रालय ने बताया (जून, 2005) कि ऋण देने की कार्य 19 जनवरी 2004 से बन्द कर दिया गया है तथा ट्रस्ट के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, इसके अधिदेश को “बिल्डिंग पॉज़इटिव इकनामइक पसेष्यान फार इंडिया ग्लाबली” के नाम से प्रतिस्थापना की गई थी। ट्रस्ट ने 2004-05 के दौरान विभिन्न प्रोत्साहन इवेन्ट जैसे इन्डिया एशियन कार रैली 2004, यू.एस.में एशिया सोसायटी इवेन्ट, चाइना इवेन्ट 2004, थाइलैण्ड इवेन्ट 2004, कोलकाता इवेन्ट 2005 तथा इस प्रकार की अन्य इवेन्ट पर 3.07 करोड़ रु. तथा वार्षिक कार्य योजना पर आधारित प्रकाशनों और परिशिष्टों पर 1.49 करोड़ रु. व्यय किये थे। लेकिन यह सभी व्यय दीर्घ कालीन संदर्शिका प्रतिपादित किये बिना तथा व्यय का स्तर निर्धारित किये, प्रत्येक क्रिया-कलाप के लिये सहायता तथा कार्यप्रणाली के परिणामों का अनुमान लगाये ही किया गया था।

यह देखना उपयुक्त होगा कि योजना को प्रतिपादित करते समय यह अपेक्षित था कि उद्योग के प्रबन्ध की देख-रेख करे और योजना के लक्ष्यों हेतु वांछित संसाधनों को बढ़ाये, उद्योग ने अभी तक निधि हेतु कोई अशंदान नहीं किया था। इस प्रकार, योजना स्पष्ट रूप से निर्यातक समुदाय में पर्याप्त रूचि सृजित नहीं कर सकी।

वांछित उद्देश्यों हेतु निधियों के उपयोग की अपर्याप्तता के अतिरिक्त, ऋण, ब्याज इत्यादि की वसूली हेतु अप्रभावी मानीटरिंग का परिणाम चार फर्मों से 13.18 करोड़ रु. की राशि की गैर वसूली में हुआ। मन्त्रालय ने बताया (अक्टूबर, 2005) कि चूकंकर्ता कम्पनियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी।

इस प्रकार ‘भारत निर्मित’ ब्रान्ड वस्तुओं के उन्नयन हेतु निधियां ज्यादातर अवरुद्ध रही क्योंकि लगभग 9 वर्षों तक संचित निधि का इस्तेमाल बिना विचार किये वर्णित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये नहीं किया गया। चूंकि आई.बी.ई.एफ. की पूर्व संरचना करने के प्रयत्न तथा सचालन तथा प्रभावशीलता में कोई अवगम्य परिवर्तन लाने में असफल रहे, मन्त्रालय को संचित निधि की समस्त राशि अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अर्थपूर्ण उपयोग करने हेतु भारत की समेकित निधि में अंतरित करने हेतु विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बकाया देयों की भी वसूली हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

## 2.2 1.40 करोड़ रु. का त्रुटिपूर्ण जारी किया जाना

मंत्रालय ने बिहार राज्य निर्यात निगम को 1.40 करोड़ रु. की अधिक राशि जारी की। 2002 से निधियां अप्रयुक्त पड़ी थीं तथा मंत्रालय द्वारा अभी इसकी वसूली की जानी थी।

वाणिज्य मंत्रालय (मंत्रालय) ने महत्वपूर्ण स्थानों पर अव-संरचनात्मक निर्यात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1996 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित संकटकालीन अव-संरचनात्मक संतुलन-(सं.अ.सं.) योजना आरम्भ की। दिशानिर्देशों के अनुसार, मंत्रालय को केन्द्र/

राज्य सरकार विभागों को आपात प्रकृति की अव-संरचनात्मक परियोजनाओं हेतु निधियां उपलब्ध करवानी थीं। एक अधिकार प्राप्त समिति (आ.स.) ने योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए विचार किया।

बिहार राज्य निर्यात निगम (बी.रा.नि.नि.) लिमिटेड ने अप्रैल 2000 में पटना एयरपोर्ट पर नश्वर एवं अ-नश्वर नौभार को संभालने हेतु वायु नौभार परिसर (वा.नौ.प.) की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा परियोजना की कुल लागत हेतु कुल 5.92 करोड़ रु. की मांग की। चूंकि योजना के अन्तर्गत सामान्यतः राशियां समान रूप से उपलब्ध करवाई जाती थीं, मंत्रालय ने बी.रा.नि.नि. से परियोजना में बी.रा.नि.नि./ राज्य सरकार के वित्तीय हिस्से को स्पष्ट करने के लिए कहा।

बी.रा.नि.नि. (सितम्बर 2000) ने यह सूचित करते हुए कि कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (कृ.सं.खा.उ.नि.वि.प्रा.) सैद्धान्तिक रूप से योजना के 3.11 करोड़ रु. लागत के नश्वर अनुभाग के लिए वित्तपोषण हेतु सहमत था, सुझाव दिया कि बकाया 2.81 करोड़ रु. का राज्य सरकार तथा मंत्रालय समान रूप से बंटवारा करें। तदनुसार आ.स. ने इस शर्त के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया (नवम्बर 2000) कि भारत सरकार से निधियां जारी करने के अनुरोध से पूर्व कार्यान्वित संस्था द्वारा अपने हिस्से की कम से कम 25 प्रतिशत राशि व्यय करनी होगी।

2001-2002 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया गया कि आ.स. द्वारा अनुमोदित 1.40 करोड़ रु. केन्द्रीय हिस्से के बजाए मंत्रालय ने मार्च 2002 में राज्य सरकार को 2.81 करोड़ रु. की समस्त राशि जारी कर दी जिसका परिणाम 1.40 करोड़ रु. अधिक जारी होने में हुआ। इसके अतिरिक्त, मई 2005 में लेखापरीक्षा ने पाया हालांकि निधियां वर्ष 2002-2003 के अन्दर इस्तेमाल की जानी थीं, 2.81 करोड़ रु. की राशि राज्य सरकार के पास अभी तक अव्ययित पड़ी थीं।

लेखापरीक्षा द्वारा (जुलाई 2005) यह इंगित किये जाने पर मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2005) कि राज्य सरकार से 2.81 करोड़ रु. की समस्त राशि को लौटाने के लिए कहा गया था क्योंकि परियोजना में अभी तक कोई प्रगति सूचित नहीं की गई थी।

इस प्रकार, मानीटरिंग की कमी तथा 1.40 करोड़ रु. को त्रुटिपूर्ण जारी करने का परिणाम निधियों के तीन वर्ष से अधिक समय तक निष्प्रयोजित पड़े रहने में हुआ। मंत्रालय को निधियां वसूल करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने तथा इस प्रकार की अनियमिताओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए अपनी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

**2.3 सा.इ.नि.स. क्षे. विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुम्बई****लेखापरीक्षा के उल्लेख करने पर अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज का समायोजन**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने तक सा.इ.नि.स.क्षे. द्वारा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के पास पड़ी अव्ययित निधियों पर उपार्जित ब्याज की वसूली/समायोजन में निष्क्रियता के कारण 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान 46.81 लाख रु. के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

वाणिज्य मंत्रालय ने नवम्बर 1973 में सांताक्रूज इलैक्ट्रोनिक्स निर्यात संसाधन क्षेत्र (सा.इ.नि.स. क्षे.) मुम्बई में भवन निर्माण एवं अन्य सेवाओं के कार्य महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (म.औ.वि.नि.) को सौंपने की स्वीकृति दी। म.औ.वि.नि. को सौंपे गए कार्यों की शर्तों में अन्य बातों के अतिरिक्त मंत्रालय/सा.इ.नि.स.क्षे. द्वारा म.औ.वि.नि. को निष्क्रेप कार्य के रूप में किए गए कार्य के लिए तिमाही आधार पर निधियां जारी करने का अनुबंध था।

लेखापरीक्षा द्वारा सा.इ.नि.स.क्षे. के अभिलेखों की जांच से पता चला कि उसने मंत्रालय द्वारा फरवरी 2002 में जारी 1.80 करोड़ रु की समस्त राशि को सा.इ.नि.स.क्षे. के विशेष मरम्मत कार्यों तथा उनके स्टाफ क्वार्टरों के लिए 1.80 करोड़ रु की लागत के कार्य आदेश के प्रति म.औ.वि.नि. के पास जमा करा दिया था। यद्यपि कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार कार्य वित्तीय वर्ष 1999-2000 में समाप्त होना था, म.औ.वि.नि. अप्रैल 2000 तक कार्य की एक मद पर केवल 5.90 लाख रु ही खर्च कर सकी थी, जो कि सा.इ.नि.स.क्षे. द्वारा कुल जमा निधियों के 3.3 प्रतिशत को प्रदर्शित करता है।

म.औ.वि.नि. को सौंपे गये कार्यों के निबन्धन एवं शर्तों के अन्तर्गत म.औ.वि.नि. द्वारा अव्ययित शेष पर ब्याज का भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं था। अतः यह एक अनुचित लाभ था जो म.औ.वि.नि. ने अपने पास जमा पर्याप्त अव्ययित बकाया पर उपार्जित किया था। अक्टूबर 2000 तथा दोबारा अप्रैल 2002 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर सा.इ.नि.स.क्षे. ने म.औ.वि.नि. के साथ मामले को उठाने की आवश्यकता को स्वीकार किया जिससे दोनों में मार्च 2004 में आपसी समझौता हुआ। म.औ.वि.नि. द्वारा अव्ययित बकाया राशि को बैंकों/वित्तीय संस्थानों में निवेश करना था तथा इन निधियों पर उपार्जित ब्याज को सा.इ.नि.स.क्षे. से प्राप्त निधियों में जमा किया जाना था।

इस समझौते के बावजूद, सा.इ.नि.स.क्षे. ने 2003-2004, तथा 2004-05 के दौरान जारी 20.35 करोड़ रु की राशि में से 31 मार्च 2005 को 14.85 करोड़ रु की अव्ययित शेष राशि पर उपार्जित ब्याज के बदले कुछ जमा नहीं करवाया था जिसका विवरण निम्न अनुसार है :-

**2006 का प्रतिवेदन संख्या 2**

(करोड रु. में)

वर्ष	जमा राशि	व्यय	शेष
2003-04	3.61	2.09	1.52
2004-05	16.74	3.41	13.33
योग	<b>20.35</b>	<b>5.50</b>	<b>14.85</b>

जब लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2005 में दोबारा यह इंगित किया तो सा.इ.नि.स.क्षे. ने जून 2005 में मामले को म.ओ.वि.नि. के साथ उठाया। म.ओ.वि.नि. ने जुलाई 2005/अगस्त 2005 में सूचित किया कि 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान सा.इ.नि.स.क्षे. हेतु ए.एस.आई.डी.ई. योजना के अन्तर्गत जमा कराई गई राशि पर 46.81 लाख रु ब्याज का उपार्जन परिकलित किया गया था।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक, सा.इ.नि.स.क्षे. की निष्क्रियता और शिथिल आन्तरिक नियंत्रण के कारण म.ओ.वि.नि. के पास रखी निधियों पर उपार्जित ब्याज की 46.81 लाख रु की राशि का समायोजन नहीं हुआ था।

### अध्याय III: संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

#### डाक विभाग

##### 3.1 संगठनात्मक ढांचा एवं वित्तीय प्रबंधन

###### 3.1.1 विभाग के कार्य

डाक विभाग (डा.वि.) के मूल कार्यों में डाक का संग्रहण, प्रसंस्करण, संचरण एवं वितरण, टिकटों एवं डाक लेखन सामग्री की बिक्री, पंजीकृत, बीमाकृत एवं मूल्य अदायगी वस्तुएं, धन आदेश, पार्सल इत्यादि को बुक करना सम्मिलित हैं।

डा.वि. अन्य मंत्रालयों एवं विभागों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ एजेन्सी कार्य जैसे कि डाक बचत बैंक एवं अन्य छोटी बचत योजना, डाक जीवन बीमा, लोक भविष्य निधि योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, विदेशों से डाक द्वारा भेजी गई वस्तुओं पर सीमा शुल्क का संग्रहण, तार की बुकिंग, संचरण एवं वितरण, सैन्य एवं रेलवे पेंशन भोगियों को पेंशन का संवितरण, कोयला खान कर्मियों एवं कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के कर्मचारियों के परिवारों को परिवार पेंशन का संवितरण भी करता है।

###### 3.1.2 संगठनात्मक ढांचा

विभाग का प्रबंधन डाक सेवा बोर्ड में निहित है। बोर्ड का एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं, जो प्रचालन, अवसंरचना और वित्तीय सेवाएं एवं कार्मिक विभाग संभालते हैं। अध्यक्ष, डा.वि. में भारत सरकार का सचिव भी होता है। बोर्ड देश के अन्दर डाक महानिदेशालय में उप महानिदेशकों की सहायता से डाक सेवाओं के प्रबंधन को निदेशित और पर्यवेक्षित करता है। डा.वि. में कारोबार विकास निदेशालय (का.वि.नि.) की स्थापना 1996 में मूल्य वर्धित सेवाओं, जैसे:- द्रुत डाक, द्रुत डाक पासपोर्ट सेवा, कारोबारी डाक, एक्सप्रैस पार्सल डाक, मीडिया डाक, मेघदूत डाक पत्र, बधाई डाक, डेटा पत्र, ई-बिल डाक एवं ई-डाक, का केन्द्रीकृत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हुई।

विभाग के पास 22 डाक परिमंडल हैं, जोकि 33 क्षेत्रीय कार्यालयों में बंटे हुए हैं तथा 441 डाक मंडलों एवं 70 रेलवे डाक सेवा मंडलों को नियंत्रित करते हैं। सशर्त सेनाओं की डाक संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए एक आधार परिमंडल भी है। 31 मार्च 2005 को विभाग के कर्मचारियों की संख्या 5.41 लाख थी, जिसमें 2.47 लाख विभागीय कर्मचारी तथा 2.94 लाख बहिर्भागीय कर्मचारी थे।

**3.1.3 डाक ट्रैफिक**

विभाग द्वारा अपंजीकृत डाक के दर्शाएं गए ट्रैफिक की गणना गत दो वर्ष के आकलित ट्रैफिक के आधार पर की गई थी। आकलित ट्रैफिक अर्जित राजस्व पर आधारित था। विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2002-2005 के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं, जैसे पोस्टकार्ड, पत्र कार्ड (अन्तर्राष्ट्रीय), धन आदेश, बीमा आदि की बिक्री के संदर्भ में दर्शाये गए और आकलित ट्रैफिक का ब्यौरा निम्न सारणी के अनुसार था:

**डाक ट्रैफिक**

**(क) अपंजीकृत डाक**

(लाख रुपयों में)

क्र सं	मद	2002-03		2003-2004		2004-2005	
		प्रक्षेपित	आकलित*	प्रक्षेपित	आकलित*	प्रक्षेपित	आकलित*
1.	पोस्टकार्ड	1933.02	2290.06	2551.11	2706.81	2989.32	2451.07
2.	मुद्रित पोस्टकार्ड	1005.10	420.55	468.49	816.08	901.26	830.04
3.	पत्र कार्ड (अन्तर्राष्ट्रीय)	3294.79	2939.60	3274.69	2809.93	3103.20	2610.35
4.	समाचास-पत्र						
	एक	730.91	531.87	592.50	811.83	896.56	860.86
	बंडल	180.60	322.41	359.16	82.84	91.49	150.82
5.	पार्सल	642.94	479.45	534.10	409.92	452.70	408.75
6.	पत्र	5403.42	4370.98	4869.23	3720.97	4109.33	7678.81
7.	युस्तक पैकेट	699.22	600.70	669.17	747.50	825.52	753.82
8.	मुद्रित पुस्तकें	258.99	227.87	253.85	175.76	194.10	353.02
9.	अन्य आवधिक पत्रिकायें	186.74	233.76	260.41	199.95	220.82	269.27
10.	पावती	324.44	279.61	311.48	637.45	703.98	741.07

\* राजस्व संग्रहण पर आधारित

\* राजस्व संग्रहण पर आधारित

\*राजस्व संग्रहण पर आधारित

**(ख) पंजीकृत डाक तथा अन्य**

(लाख रुपयों में)

क्र सं	मद	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
		प्रक्षेपित	वास्तविक	प्रक्षेपित	वास्तविक	प्रक्षेपित	वास्तविक
11.	धन आदेश (ध.आ.)	1067.31	1095.82	1165.01	1136.55	1100.45	1222.91
12.	बीमा	88.26	87.18	97.12	95.59	105.57	90.86
13.	मूल्य अदायगी पत्र एवं पार्सल	92.86	170.44	189.87	100.43	110.91	93.72
14.	पंजीकृत पत्र एवं पार्सल	1960.85	2004.50	2233.00	1923.61	2124.38	1900.84

### 3.1.4 डाक सेवाओं से अर्जन और उनकी लागत

विभाग की द्वात डाक सहित डाक सेवाओं पर 2004-05 में 1289.11 करोड़ रु की निवल समग्र हानि 2003-2004 में हुई निवल हानि की तुलना में 126.90 करोड़ रु (11 प्रतिशत) अधिक थी। वर्ष 2004-05 में 20\* राजस्व अर्जन सेवाओं में से केवल चार सेवाओं अर्थात् प्रतियोगिता पोस्टकार्ड, विदेशी डाक, बीमा एवं पत्रों ने लाभ दिखाया था जबकि अन्य 16 सेवाओं में हानि होना जारी था।

2000-2005 की अवधि के दौरान विभाग को स्पीड पोस्ट सहित अन्य डाक सेवाओं पर हुई निवल हानियों की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार थी:




### राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय

#### 3.1.5 राजस्व

सेवाओं के चार प्रमुख राजस्व उपार्जन वर्ग अर्थात्, डाक टिकटों की बिक्री, ध.आ./आई.पी.ओ. में कमीशन, नकद डाक व्यय व अन्य प्राप्तियों ने वर्ष 2004-05 के दौरान अन्य डाक प्रशासनों से निवल प्राप्ति में 551 लाख रु की हानि समायोजित करने के पश्चात् 4432 करोड़ रु. अर्जित किए। डाक राजस्व के स्रोत-वार अंश को नीचे के चार्ट में दर्शाया गया है:

\* पोस्टकार्ड, पत्र, पंजीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय पत्र, धन आदेश, समाचार पत्र (एक), समाचार पत्र (बंडल), भारतीय पोस्टल आर्डर (भा.पो.आ.), मुद्रित पोस्टकार्ड, मूल्य अदायगी डाक, अन्य आवधिक पत्रिकायें, पावती, पुस्तक एवं नमूना पैकेट, तार ध.आ, मुद्रित पुस्तकें, बीमा, पार्सल, प्रतियोगिता पोस्टकार्ड, दुत डाक एवं विदेश डाक



### 3.1.6 राजस्व व्यय

2004-05 के दौरान वेतन एवं भत्ते, डाक परिवहन, डाक टिकटों का मुद्रण, पोस्ट कार्ड व डाक लेखन सामग्री आदि पर राजस्व व्यय नीचे की तालिका में दर्शाया गया है:

#### राजस्व व्यय

(करोड़ रुपयों में)

श्रेणी	2004-05	कुल व्यय की प्रतिशतता
(क) वेतन एवं भत्ते, आकस्मिक व्यय, अंतरिम सहायता आदि	4390.40	73.61
(ख) पेंशन प्रभार	1208.03	20.25
(ग) डाक टिकट, पोस्टकार्ड आदि	21.35	0.36
(घ) लेखन सामग्री व फार्म मुद्रण आदि	33.88	0.57
(च) डाक परिवहन (रेलवे तथा वायु डाक वाहकों को भुगतान)	123.64	2.07
(छ) अन्य व्यय	187.24	3.14
<b>जोड़</b>	<b>5964.54</b>	

2004-05 में निवल राजस्व बजटीय समर्थन 1381.84 करोड़ रु. था जो कि 5964.54 करोड़ रु. के सकल राजस्व व्यय में से 4431.85 करोड़ रु. की प्राप्तियाँ तथा 150.85 करोड़ रु. की वसूलियों की कटौती करने के बाद परिकलित हुआ था।

### 3.2 राजस्व टिकटों के क्रय पर कमीशन की कटौती न करना।

13 डाक परिमण्डलों के मुख्य महाडाकपाल राज्य सरकारों से राजस्व टिकटों के क्रय पर 3.85 करोड़ रु. का कमीशन काटने में विफल रहे।

डाकघरों ने विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से अजेन्सी कार्य के रूप में राजस्व टिकट बेचे। यह कार्य डाकघरों की ओर से राज्य कोषालयों द्वारा डाक टिकटों की मांग, स्टॉक व वितरण के कार्य के बदले में समझा गया था। यद्यपि 1976 में डाक टिकट डिपो की स्थापना के बाद यह आदान-प्रदान व्यवस्था समाप्त हो गयी थी, डाकघरों ने बिना किसी कमीशन के राजस्व टिकटों को बेचना जारी रखा।

डाक विभाग (डा.वी.) ने केवल फरवरी 2004 में डाक परिमण्डलों के सभी अध्यक्षों को अनुदेश जारी किये कि वे 1 अक्तूबर 2003 से 3 प्रतिशत, 1 अक्तूबर 2004 से 6 प्रतिशत तथा 1 अक्तूबर 2005 से 10 प्रतिशत की दर से राज्य कोषालयों से राजस्व टिकटों को क्रय करते समय अग्रिम कमीशन की कटौती करें। उन्हें राज्य सरकारों के साथ मामला उठाने का भी अनुदेश दिया गया था कि वे डा.वी. को राजस्व टिकटों की बिक्री पर देय कमीशन की गणना को सम्मिलित करते हुए योजना का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि ऐसा न करने का परिणाम शायद डाकघरों द्वारा राजस्व टिकटों की क्रय नहीं करने में होगा।

जुलाई 2004 से जून 2005 की लेखापरीक्षा में सात डाक परिमण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने डाकघरों द्वारा राजस्व टिकटों के क्रय पर कमीशन की कटौती के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की थी। तथापि, आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल परिमण्डलों ने इन राज्यों में राजस्व टिकटों का क्रय व विक्रय जारी रखा। दिल्ली परिमण्डल ने राजस्व टिकटों का क्रय व विक्रय जारी रखा, यद्यपि दिल्ली सरकार 1 अक्तूबर 2004 से 6 प्रतिशत की दर के प्रति 3 प्रतिशत की दर पर कमीशन का भुगतान कर रही थी। केरल व राजस्थान परिमण्डलों ने क्रमशः अगस्त 2004 व दिसम्बर 2004 में राजस्व टिकटों का क्रय व विक्रय रोक दिया था। उत्तर प्रदेश परिमण्डल के मामले में केवल लखनऊ प्रधान डाकघर में राजस्व टिकटों का क्रय व विक्रय रोक दिया गया था और वह भी जनवरी 2005 से। इसका परिणाम अक्तूबर 2003 से मार्च 2005 की अवधि के लिये इन सात परिमण्डलों में 1.57 करोड़ रु. के कमीशन के संचयन में हुआ।

सितम्बर 2004 से जुलाई 2005 में अभिलेखों की एक और नमूना जांच से पता चला कि यद्यपि बिहार, गुजरात, झारखण्ड, महाराष्ट्र, उडीसा व तमिलनाडू की राज्य सरकारों ने अधिसूचनायें जारी की थीं, उन्हें 1 अक्तूबर 2003 की देय तिथि से प्रभावी नहीं बनाया गया था। इसका परिणाम इन छः परिमण्डलों में 1 अक्तूबर 2003 से 31 मार्च

2005 की अवधि के लिये 2.28 करोड़ रु. के कमीशन के संचयन में हुआ। इस प्रकार 13 परिमिणलों में वसूल नहीं हुए कमीशन की कुल राशि 3.85 करोड़ रु. परिकलित हुई।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर, मुख्य महाडाकपाल (मु.म.डा.पा.) ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि राज्य सरकारों के साथ अधिसूचना जारी करने तथा कमीशन की वसूली के लिये मामला उठाया गया था।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2005 में प्रेषित किया गया था, उनका उत्तर जनवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

### 3.3 डाक जीवन बीमा पॉलिसियों पर बोनस का अधिक भुगतान

भुगतान तिथि से पहले अभ्यर्पित डाक जीवन बीमा पॉलिसियों पर बोनस के भुगतान के संबंध में अनुदेशों के गैर कार्यान्वयन का परिणाम 1.01 करोड़ रु. के अधिक भुगतान में हुआ।

डाक जीवन बीमा (डा.जी.बी.) निदेशालय, डाक विभाग (डा.वि.) के अनुदेशों (18 नवम्बर 2003) तथा बाद के स्पष्टीकरण (दिसंबर 2003) के अनुसार यदि पांच वर्षों के पूरा होने से पहले पॉलिसी अभ्यर्पित की गई हो तो प्रदत्त अथवा घटाई गई बीमाकृत राशि पर बोनस का भुगतान नहीं किया जाना था। यदि पॉलिसी पांच वर्षों के बाद अभ्यर्पित की गई थी तो प्रदत्त अथवा घटाई गई बीमाकृत राशि पर आनुपातिक बोनस का भुगतान इसके अतिरिक्त किया जायेगा। यह अनुदेश जारी करने की तारीख से प्रभावी थे।

सितम्बर 2004 से अगस्त 2005 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल डाक परिमिणल तथा अतिरिक्त महानिदेशालय सेना डाक सेवा (डा.जी.बी. कक्ष) सेना मुख्यालय दिल्ली के डा.जी.बी. अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 323 मामलों में उपरोक्त अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पांच वर्षों की समाप्ति से पहले अभ्यर्पित पॉलिसी पर बोनस का भुगतान किया गया था। इसका परिणाम 40.63 लाख रु. के बोनस के अधिक भुगतान में हुआ।

इसके अतिरिक्त 761 मामलों में जहां पांच वर्ष पूरे होने के बाद पॉलिसी अभ्यर्पित की गई थीं, प्रदत्त अथवा घटाई गई बीमाकृत राशि के बजाय बीमाकृत राशि पर आनुपातिक बोनस का भुगतान किया गया था। इसका परिणाम 60.15 लाख रु. के बोनस के अधिक भुगतान में हुआ।

यह इंगित किये जाने पर, मुख्य महाप्रबन्धक, डा.जी.बी. निदेशालय, डा.वि., नई दिल्ली ने उत्तर दिया कि पत्र जारी करने की तारीख पर आदेशों की गैर-प्राप्ति अधिक भुगतान

का कारण, बनी और परिमण्डलों में उसकी प्राप्ति की तारीख से अनुदेशों को प्रभावी बनाने के लिये एक शुद्धि पत्र जारी किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि एक बार दावे का निपटान हो जाने के बाद अधिक भुगतान की वसूली आसान नहीं थी। मु.म.प्र. (डा.जी.बी.) ने यह भी बताया (दिसंबर 2005) कि बोनस के भुगतान से संबंधित नवम्बर 2003 को आदेशों को सचिव (का) का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात जारी किया गया था और मु.म.प्र. (डा.जी.बी.) ने प्रभावी तारीख में परिवर्तन अनुमत करने के लिये शुद्धिपत्र का अनुमोदन किया था तथा संशोधन के लिये सचिव का अनुमोदन अपेक्षित नहीं था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 18 नवम्बर 2003 के अनुदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी थे। डा.जी.बी. निदेशालय को फैक्स, ई-मेल आदि के माध्यम से परिमण्डलों में समय पर आदेशों की प्राप्ति सुनिश्चित करनी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त सचिव, जिसने मूल आदेश अनुमोदित किये थे, का अनुमोदन प्राप्त किये बिना मु.म.प्र. (डा.जी.बी.) द्वारा शुद्धिपत्र को जारी करना न केवल अनियमित था अपितु ऐसी स्थिति हो गयी थी कि एक ही योजना में पॉलिसी के विभिन्न धारकों के लिये अलग-अलग प्रभावी तारीखों के निर्धारण से सरकारी आदेशों को लागू करने में समानता के सिद्धांत पर समझौता हुआ था।

उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल परिमंडलों में क्रमशः अप्रैल 2004 तथा फरवरी 2004 तक अनियमित भुगतान जारी था।

इस प्रकार सरकारी अनुदेशों के गैर कार्यान्वयन का परिणाम 1.01 करोड़ रु. के बोनस के अधिक भुगतान में हुआ जबकि एक अप्राधिकृत शुद्धि पत्र के जारी होने से पॉलिसी धारकों के बीच भेद-भाव हुआ।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

### 3.4 डाक प्रभारों की कम प्राप्ति

दिल्ली डाक परिमण्डल के अधीन एक मुख्य डाकघर, कर्नाटक डाक परिमण्डल के अधीन दो डाकघरों तथा उत्तर प्रदेश डाक परिमण्डल के अधीन एक मुख्य डाकघर ने अपात्र प्रकाशनों के लिये रियायती प्रशुल्क प्राधिकृत किया जिसका परिणाम 31.58 लाख रु. के डाक प्रभारों की कम वसूली में हुआ।

भारतीय डाकघर (भा.डा.घ.) अधिनियम, 1898 अनुबन्ध करता है कि प्रकाशन को समाचार पत्र इस शर्त पर माना जायेगा कि उनके पास ग्राहकों की एक वास्तविक सूची है। भा.डा.घ. नियम 1933 यह भी अनुबन्ध करता है कि पंजीकृत होने के लिए इच्छित

समाचारपत्र के कम से कम 50 वास्तविक ग्राहक होने चाहिए जो अपने शुल्क का भुगतान कर चुके हों। ऐसे सभी पंजीकृत समाचारपत्रों को अपने पंजीकरण की प्रचलन के चलते रियायती प्रशुल्क पर प्रेषण का अधिकार होगा। यदि कोई समाचारपत्र उपर्युक्त विशिष्ट शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में विफल रहता है तो इसे उच्चतम दरों एवं बुक पैकेट में निहित आवधिक पत्रिकाओं पर लागू शर्तों के अधीन प्रेषित किया जायेगा। डाक विभाग (डा.वि.) ने अक्टूबर 2002 में एक स्पष्टीकरण जारी किया कि बिना कीमत वाली पत्रिकाओं को बुक पैकेट के रूप वर्गीकृत किया जायेगा और 1 जून 2002 से, “बुक, पैटर्न व नमूना पैकेट” के लिये निर्धारित दरों पर प्रेषित किया जायेगा। दिसम्बर 2002 में डा.वि. ने इन प्रावधानों को दोहराया था।

नवम्बर तथा दिसम्बर 2004 के दौरान दिल्ली डाक परिमण्डल के अधीन अशोक विहार मुख्य डाकघर व कर्नाटक डाक परिमण्डल के अधीन बंगलौर प्रधान डाकघर (प्र.डा.घ.) तथा वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर, गुलबर्ग की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि दिल्ली डाक परिमण्डल में एक समाचारपत्र तथा कर्नाटक डाक परिमण्डल में पांच समाचारपत्र वास्तविक ग्राहकों को रखने की शर्त को पूर्ण नहीं करते थे। इन समाचार पत्रों को पंजीकृत कर ग्राहकों को निशुल्क वितरित किए गए तथा इन समाचारपत्रों को बुक पैकेट में निहित आवधिक पत्रिका (1 जून 2002 से पहले) के लिये लागू रियायती दरों तथा “बुक, पैटर्न व नमूना पैकेट” के लिये निर्धारित प्रशुल्कों के बजाय रियायती प्रशुल्कों पर पंजीकृत तथा प्रेषित किये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक डाक परिमण्डल में दो प्रकाशन जिन्होंने अपना पंजीकरण नवीकृत नहीं करवाया था, उन्हें रियायती प्रशुल्कों पर प्रेषित कर दिये जाने की अनुमति दे दी गई थी। उत्तर प्रदेश डाक परिमण्डल के अधीन लखनऊ प्र.डा.घ. में “बुक, पैटर्न व नमूना पैकेट” के लिये निर्धारित दरों के बजाय रियायती दरों पर चार समाचार पत्र प्रेषित किये गये थे। लेखापरीक्षा में पाये गये उपरोक्त सारे दृष्टान्तों का परिणाम अगस्त 1999 से नवम्बर 2005 की अवधि के लिये इन समाचारपत्रों के संबंध में 31.58 लाख रु. के डाक प्रभारों की कम वसूली में हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, मुख्य महाडाकपाल (मु.म.डा.पा.), दिल्ली परिमण्डल तथा मुख्य डाकपाल, बंगलौर प्र.डा.घ. ने क्रमशः जून 2005 तथा दिसम्बर 2004 में बताया कि यह केवल दिसम्बर 2003 में ही था कि डा.वि. ने विधि मंत्रालय से परामर्श करके यह स्पष्ट किया था कि निशुल्क प्रकाशन डाक द्वारा वितरित किए जाने हेतु डा.वि. के साथ पंजीकृत नहीं किये जा सकते थे। मु.म.डा.पा. दिल्ली परिमण्डल ने यह भी बताया कि 1 फरवरी 2004 अथवा उसके बाद किसी भी निशुल्क प्रकाशन को रियायती डाक खर्च की अनुमति नहीं दिए जाने के अनुदेश प्रधान मु.म.ग.पा., दिल्ली ने केवल जनवरी 2004 में ही जारी किये थे। मुख्य डाकपाल, लखनऊ से उत्तर प्रतीक्षित था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भा.डा.घ. अधिनियम, 1898 तथा भा.डा.घ. नियम, 1933 में समाचारपत्रों के पंजीकरण के लिये सांविधिक प्रावधान पहले से ही थे। डा.वि. द्वारा दिसम्बर 2003 में जारी अनुदेश सांविधिक प्रावधानों का मात्र स्पष्टीकरण थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि आंत्र प्रदेश परिमंडल में दो इकाइयों व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर व पंजाब परिमंडलों में नमूना जांचित सभी इकाइयों ने सही कार्यविधि का पालन किया था।

इस प्रकार मु.म.डा.पा. दिल्ली, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश डाक परिमंडलों द्वारा सांविधिक प्रावधानों की अनुपालना करने में विफलता का परिणाम 31.58 लाख रु. के डाक प्रभारों की कम वसूली में हुआ।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2005 में प्रेषित किया था; उनका उत्तर जनवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

### 3.5 व्याज का अनियमित भुगतान

उड़ीसा व उत्तरप्रदेश के डाकघरों व मुम्बई में एक मुख्य डाकघर मासिक आय योजना में खोले गये खातों में निर्धारित वित्तीय सीमा सुनिश्चित करने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा में तीन डाकघरों ने अप्राधिकृत एजेन्सियों को इस प्रकार के खाते खोलने की अनुमति दी थी। इसका परिणाम व्याज, बोनस व कमीशन की 21 लाख रु. की राशि के अनियमित भुगतान में हुआ।

विभागीय नियमों में प्रावधान है कि एक वैयक्तिक जमाकर्ता मासिक आय योजना (मा.आ.यो.) में एक से अधिक खाते खोल सकता है बशर्ते कि सभी खातों में जमा राशि एकल खाते में 2.04 लाख रु. (1 फरवरी 2000 से 3 लाख रु.) और संयुक्त खाते में 4.08 लाख रु. (1 फरवरी 2000 से 6 लाख रु.) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नियमों में यह भी व्यवस्था है कि मा.आ.यो. खाते में निवेश के समय जमाकर्ता को यह घोषणा करनी चाहिये कि सभी खातों में उसका/उसकी जमा राशि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं थी। निर्धारित सीमा से अधिक जमा राशि के मामले में, मुख्य डाकपाल को बिना व्याज के अधिक अनियमित जमा राशि को जमाकर्ता को वापिस कर देना चाहिए। यदि अधिक जमा पर कोई व्याज का भुगतान हुआ है तो उसमें कटौती करनी चाहिये और अधिक निवेश पर एजेन्ट को किये गये कमीशन के भुगतान की वसूली की जानी चाहिये। तथापि, जनवरी 2002 में, वित्त मंत्रालय ने निर्णय किया था कि अधिक जमा पर डाक घर बचत बैंक दर से जमा की तिथि से जिस महीने अभिदाता ने मा.आ.यो. खाते से अधिक जमा निकाली हो उसके पहले वाली महिने की समाप्ति तक के व्याज के साथ लौटा दी जाये। डाक विभाग ने अप्रैल 2002 में सभी परिमंडलों को इस निर्णय के बारे में बता दिया।

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, संघ सरकार लेन-देन लेखापरीक्षा टिप्पणियों के पैराग्राफ 1.12 में नियमों के उल्लंघन में, मा. आ. यो. में विभिन्न डाकघरों में खोले गये खातों पर ब्याज के अनियमित भुगतान के उदाहरणों का उल्लेख किया गया था।

दिसम्बर 2004 में प्रस्तुत की गई कार्रवाई टिप्पणी में मंत्रालय ने स्वीकार किया कि योजना के नियमों का पालन करने में डाक स्टाफ विफल रहा और बताया कि परिमण्डलों के सभी अध्यक्षों को सितम्बर 2004 में यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे कि डाकघरों का निरीक्षण का कार्य करने वाले अधिकारियों को डाकघरों में खोले गये खातों की प्रारम्भिक जांच प्रारम्भ करने का कार्य भी दे दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की आवृत्ति से बचने के लिये सभी डाकघर खातों से संबंधित नियम कार्यालय में उपलब्ध हों।

सितम्बर 2004 से अप्रैल 2005 के दौरान उड़ीसा व उत्तर प्रदेश डाक परिमण्डलों व मुख्य महा डाकपाल (मु.म.डा.पा.) मुम्बई के अन्तर्गत एक मुख्य डाकघर (मु.डा.घ.) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि उड़ीसा डाक परिमण्डल में 8 मु.डा.घ. तथा दो उप.डाकघर (उ.डा.घ.), उत्तर प्रदेश परिमण्डल में 5 मु.डा.घ. तथा मुम्बई में एक मु.डा.घ. ने 18 लाख रु. की राशि के कमीशन एवं बोनस के भुगतान के अतिरिक्त मा.आ.यो. में निर्धारित सीमा से अधिक जमाओं पर बचत बैंक दर के बजाय मा.आ.यो. दरों पर अदा किया। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा परिमण्डल के एक मु.डा.घ. तथा दो उ.डा.घ. ने नियमों का उल्लंघन करते हुए विभिन्न अप्राधिकृत एजेन्सियों जैसे मन्दिर न्यास, नाट्य संसद, युवक संघ, विद्यालय व छात्रवृत्ति निधि को मा.आ.यो. खाते खोलने के लिये अनुमति दी और उन्हें तीन लाख रु. के ब्याज और बोनस को अदा किया।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मु.म.डा.पा. उड़ीसा परिमण्डल ने मई 2005 में बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की अनुपालना प्रस्तुत की जायेगी। उत्तर प्रदेश डाक परिमण्डल के संबंध में, डाकपाल अमरोहा तथा रायबरेली मु.डा.घ. ने बताया (दिसम्बर 2004 व फरवरी 2000) कि अधिक भुगतान वसूल किये जायेंगे। डाकपाल, इलाहाबाद, कानपुर व गाजीपुर मु.डा.घ. ने क्रमशः सितम्बर 2004, अक्टूबर 2004 व जनवरी 2005 में बताया कि मामलों की जांच की जायेगी और कार्रवाई की जायेगी। डाकपाल, मु.डा.घ. मुम्बई ने तथ्यों को स्वीकार किया और मई 2005 में बताया कि दो मामलों के संबंध में 0.52 लाख रु. की राशि वसूल की गई थी और शेष मामलों की जांच की जायेगी और कार्रवाई की जायेगी। ये स्पष्टतः दर्शाते हैं कि पूर्ववर्ती आश्वासन के बावजूद भी, मंत्रालय अनियमित अभ्यास रोकने में समर्थ नहीं था और विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन मानीटर करने की कार्यपद्धति कमज़ोर थी।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

### 3.6 निष्क्रिय खातों पर सेवा प्रभारों की गैर कटौती

असम, कर्नाटक, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल डाक परिमण्डलों के अन्तर्गत एक प्रधान डाकघर एवं 10 मुख्य डाकघर मार्च 2002 से पहले के खातों को निष्क्रिय मानकर सेवा प्रभार उगाहने में विफल रहे, जिनका परिणाम 15.74 लाख रु. के सेवा प्रभारों में गैर कटौती में हुआ।

डाकघर बचत खाता नियमावली 1981 अनुबन्ध करती है कि ऐसे खातों जिनमें पूरे तीन वर्षों तक न तो कोई जमा किया गया है और न ही आहरण नहीं किया गया है, को निष्क्रिय खाता समझा जायेगा। नियमों में यह भी व्यवस्था है कि निष्क्रिय खाते जिनमें 50 रु. की अनुबद्ध राशि से कम शेष हों, में 20 रु. सेवा प्रभार जो कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अर्थात् 31 मार्च 2003 से लागू है कटौती की जायेगी। सेवा प्रभार में कटौती करने के बाद यदि शेष शून्य रहता है तो खाता स्वतः बंद माना जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्यदिवस को कटौती किए गए सेवा प्रभार को “अवर्गीकृत प्राप्तियों” के रूप में विभागीय खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त दिसम्बर 2003 में डाक विभाग ने यह स्पष्ट किया था कि 31 मार्च 2003 से पहले जिन खातों को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया था, उन पर सेवा प्रभार की उगाही के प्रयोजन हेतु उनको तकनीकी रूप से चालू किया जाना अपेक्षित था।

असम, कर्नाटक, राजस्थान व पश्चिम बंगाल डाक परिमण्डलों के अन्तर्गत एक प्रधान डाकघर व 10 मुख्य डाकघरों में जून 2004-फरवरी 2005 के दौरान अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2002 से पहले घोषित 46,714 निष्क्रिय खातों के संबंध में कुल 15.74 लाख रु. के सेवा प्रभारों की कटौती 31 मार्च 2003, 31 मार्च 2004 व 31 मार्च 2005 को समाप्त अवधि के लिये कटौती नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर, असम व पश्चिम बंगाल डाक परिमण्डलों के अन्तर्गत मु.डा.घ. के डाकपालों ने उत्तर दिया कि नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मुख्य महा डाकपाल (मु.म.डा.पा.) राजस्थान परिमण्डल ने जुलाई 2005 में उत्तर दिया कि अभी तक 0.45 लाख रु. के सेवा प्रभार की कटौती कर ली गई थी।

मई 2005 में मु.म.डा.पा. ने बताया कि 31 मार्च 2003 से पहले घोषित निष्क्रिय खातों का तकनीकी रूप से पुनः प्रवृत्तन प्रगति में था।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

### दूरसंचार विभाग

#### 3.7 पृष्ठभूमि

1948 में, भारत में प्रति सौ की जनसंख्या पर लगभग 0.02 दूरभाष घनत्व के साथ केवल 0.1 मिलियन दूरभाष संयोजन थे। तब से 31 मार्च 2005 तक भारत में दूरभाष संयोजनों की संख्या प्रति सौ की जनसंख्या पर 8.95 दूरभाष घनत्व के साथ 98.37 मिलियन तक बढ़ गई है।

#### 3.7.1 प्रशासन एवं नियंत्रण

दूरसंचार आयोग, जिसकी स्थापना जुलाई 1989 में की गई थी, के पास दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार की प्रशासकीय व वित्तीय शक्तियाँ हैं। दूरसंचार आयोग व दूरसंचार विभाग (दू.वि.) दूरसंचार सेवाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में काम कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों (सा.क्षे.उ.) के नीति निर्धारण व प्रशासन हेतु उत्तरदायी हैं।

दू.वि. 31 मार्च 2005 तक 2361 अधिकारियों/कर्मचारियों (वर्ग क-505, वर्ग ख-411, वर्ग ग-1101 और वर्ग घ-344) द्वारा प्रबंधित है।

#### 3.7.2 दूरसंचार क्षेत्र में विकास

भारत में दूरसंचार सेवायें प्रदान करने में निजी आपरेटरों के प्रवेश की प्रक्रिया 1992 में आरम्भ हुई। मूलभूत दूरभाष सेवाओं का निजीकरण करने के अलावा सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि कई मूल्य युक्त सेवायें जैसे सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष, रेडियो पेंजिंग, ई-मेल, इंटरनेट, क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सी.यू.जी) तथा ब्रॉड बैंड सेवा आदि निजी आपरेटरों के माध्यम से शुरू की जाये, जो वर्तमान मूलभूत दूरभाष सेवाओं के मूल्य में वृद्धि करती हैं। दूरभाषों की कुल संख्या में निजी क्षेत्र की भागीदारी मार्च 2004 को 39 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2005 को 47 प्रतिशत हो गई।

निजी सेवा सम्पर्कों की प्रविष्टि से एक स्वतंत्र विनियमन की अनिवार्यता भी आवश्यक हो गई। इसलिये, संसद के अधिनियम जिसे भा.दू.वि.प्रा. अधिनियम 1997 कहा जाता है, के द्वारा 20 फरवरी 1997 को दूरसंचार सेवाओं के विनियमन के लिए भारत के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भा.दू.वि.प्रा.) की स्थापना की गई थी। 24 जनवरी 2000 को भा.दू.वि.प्रा. अधिनियम में एक अध्यादेश द्वारा संशोधन कर दिया गया था, जिसमें दूरसंचार विवाद निपटान व अपीलीय दिव्युनल (दू.वि.नि.अ.दि.) स्थापित करके

भा.दू.वि.प्रा. से अधिनिर्णय विवाद कार्यों को अलग कर दिया गया था। दू.वि.नि.ट्रि. लाइसेंस देने वाले और लाइसेंस धारक के बीच दो अथवा उससे अधिक सेवा सम्भरकों के बीच तथा एक सेवा सम्भरक व उपभोक्ताओं के समूह के बीच किसी विवाद का अधिनिर्णय करता है। यह भा.दू.वि.प्रा. के किसी निर्देश, निर्णय अथवा आदेश के प्रति अपील की सुनवाई व निपटान भी करता है।

### 3.8 पेंशन अंशदान के विलम्बित भुगतान पर व्याज की गैर वसूली

असम, बिहार व गुजरात परिमंडलों के संचार लेखा नियंत्रकों द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड से पेंशन अंशदान के विलम्बित भुगतान पर 55.32 लाख रु. के व्याज का दावा करने में विफलता।

दूरसंचार विभाग (दू.वि.) ने जुलाई 2002 में अनुदेश जारी किये थे, जिसके अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड (भा.स.नि.लि.) द्वारा दू.वि. के कर्मचारी, जिनको या तो प्रतिनियुक्ति पर माना गया था या भा.स.नि.लि. में स्थायी तौर पर समाविष्ट कर लिया गया था, के बारे में नियंत्रक संचार लेखा (नि.सं.ले.) को पेंशन अंशदान देय था। अनुपूरक नियम 307 (1) के अनुसार पेंशन अंशदान का वार्षिक भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त से 15 दिनों के अन्दर किया जाना अपेक्षित था। उपर्युक्त अवधि में भुगतान न किये जाने के मामले में, उपर्युक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से अंशदान का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने की तिथि तक अदेय अंशदान पर दो पैसा प्रति दिन प्रति 100 रु. की दर से व्याज देय था।

मई 2005 से अगस्त 2005 के दौरान असम, बिहार एवं गुजरात परिमण्डलों के नि. सं. ले. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 व 2004-05 में भा.सं.नि.लि. में समाविष्ट कर्मचारियों के पेंशन अंशदान भा.सं.नि.लि. से एक से 31 महीनों के विलम्ब के पश्चात प्राप्त हुए थे। भुगतान में देरियों के कारण 55.32 लाख रु. का व्याज बनता था, जिसका दावा करने में नि.सं.ले. विफल रहा।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2005) कि भा.सं.नि.लि., असम परिमण्डल को शीघ्र अतिरिक्त व्याज का भुगतान करने के लिये अनुरोध किया गया था। वसूली विवरण प्रतीक्षित थे। बिहार व गुजरात परिमण्डलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2006)।

### 3.9 महंगाई राहत का अधिक भुगतान

पेंशनभोगियों को उच्चतर दरों पर महंगाई राहत के भुगतान का परिणाम 31.80 लाख रु. के अधिक भुगतान में हुआ।

1 अक्टूबर 2000 से भारत संचार निगम लिमिटेड (भा.स.नि.लि.) के गठन पर, दूरसंचार विभाग ने जनवरी 2001 में नियंत्रक संचार लेखा (नि.सं.ले.) को विभिन्न परिमण्डलों में भा.सं.नि.लि में प्रतिनियुक्ति पर समझे गये अथवा समाविष्ट किये गये कर्मचारियों को पेंशन भुगतान आदेश जारी करने तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने के लिये प्राधिकृत किया था। नि. सं. ले. को पेंशन वाउचरों की लेखापरीक्षा करने के लिये भी प्राधिकृत किया गया था। तत्पश्चात्, भा.सं.नि.लि. ने 1 अक्टूबर 2000 से वर्ग ‘ग’ व ‘घ’ और वर्ग ‘ख’ कर्मचारियों के लिये क्रमशः अगस्त 2002 तथा फरवरी 2004 में औद्योगिक महंगाई भत्ता (औ.म.भ.) के साथ वेतनमान प्रारम्भ किये। वेतन में संशोधन के परिणामस्वरूप 1 अक्टूबर 2000 को तथा उसके बाद सेवा निवृत्ति कर्मचारियों के पेंशन व पारिवारिक पेंशन सहित सेवा निवृत्ति लाभों में औ.म.भ. पद्धति पर निर्धारित वेतन के आधार पर संशोधन किया गया था।

आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश व राजस्थान परिमण्डलों में नि.सं.ले. कार्यालय पेंशन भुगतान वाउचरों व बैंक सूचियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (नवम्बर 2004 से सितम्बर 2005) से पता चला कि बैंक ने फरवरी 2001 से अगस्त 2005 की अवधि के दौरान 203 भा.सं.नि.लि. पेंशनभोगियों को औ.म.भ. दर के बजाय अप्रयोज्य उच्चतर केन्द्रीय मंहंगाई भत्ता दर पर मंहंगाई राहत का भुगतान किया था। इसका परिणाम 31.80 लाख रु. के अधिक भुगतान में हुआ।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2005) कि आन्ध्र प्रदेश परिमंडल के संबंध में, संबंधित बैंक से प्राप्त सभी भुगतान सूचियों की जांच कर ली गई थी तथा वास्तव में केवल 6.41 रु. का अधिक भुगतान हुआ था। तथापि नि.सं.ले. आंध्र प्रदेश परिमंडल को सभी बैंकों से यह कहने कि उनके पास यदि कोई लम्बित भुगतान सूचना है, को भेजने के पश्चात् सारे मामले की फिर से जांच करने के निर्देश दिए थे। 6.41 लाख रु. में से 2.44 लाख रु. वसूल कर लिए गये थे। केरल, मध्य प्रदेश व राजस्थान परिमंडलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2006)।

## अध्याय IV : विदेश मंत्रालय

### 4.1 त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण तंत्र

मंत्रालय और विदेश में भारतीय मिशनों/केन्द्रों में प्रभावकारी आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया के असंस्थापन के साथ-साथ मौजूदा अनुदेशों और प्रक्रियाओं की जानबूझकर अवहेलना के कारण 4.92 करोड़ रु. के अनियमित/अप्राधिकृत व्यय और भारत आधारित अधिकारियों से 15.04 लाख रु. की गैर-वसूली में हुआ।

विदेश में विभिन्न भारतीय मिशनों/केन्द्रों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच और मंत्रालय के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विदेश मंत्रालय (वि.मं.) में या तो प्रभावकारी आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान नहीं थी या इसकी जानबूझकर अवहेलना की गई थी। फलस्वरूप, उच्च मूल्य की कलात्मक वस्तुओं की खरीद के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का मंत्रालय ने स्वयं उल्लंघन किया था। लेखापरीक्षा द्वारा पिछले कई अवसरों पर इंगित किये जाने के बावजूद उसने प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों और भारत सरकार के आदेशों/वि.मं. के अनुदेशों के उल्लंघन से सम्बन्धित निरन्तर होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रभावकारी कार्रवाई नहीं की। ऐसे मामलों में, जिम्मेदारी निर्धारित करने की बजाए, मंत्रालय ने विदेश में मिशनों/केन्द्रों द्वारा किए गए अनियमित व्यय को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान करके वित्तीय अनियमितता को बढ़ावा दिया। प्रकाश में आए ऐसे कुछ मामलों की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

#### 4.1.1 कलात्मक वस्तुओं की खरीद पर अनियमित व्यय

मंत्रालय ने कलात्मक वस्तुओं (क.व.) (अर्थात् चित्रों, मूर्ति, चांदी की वस्तुओं और पारंपरिक शिल्प कारीगरी) के चयन का कार्य प्रधानमंत्री की मंजूरी के साथ गठित (जून 2001) छठी क.व. समिति को सौंपने की बजाए 2002-2004 के दौरान 1.27 करोड़ रु. मूल्य की क.व. को स्वयं खरीदा। यह भी पाया गया कि 1.50 लाख रु. से 3.00 लाख रु. प्रति वस्तु के मूल्य के बीच मंहगी क.व. को उनकी गुणवत्ता/मूल्य को देखते हुए समिति द्वारा उनकी अनुशंसा/चयन प्राप्त किए बिना खरीदा गया था। फलस्वरूप, क.व. के प्राप्ति की गुणवत्ता और मूल्य को सुनिश्चित करने का उद्देश्य विफल रहा और इस कारण से 1.27 करोड़ रु. का किया गया व्यय अनियमित था। आगे यह देखा गया कि मंत्रालय द्वारा विभिन्न मिशनों/केन्द्रों को क.व. जारी करते समय अपने द्वारा निर्धारित सीमा का पालन नहीं किया गया था और 71.80 लाख रु. की कुल निर्धारित सीमा के

प्रति 11 मिशनों/केन्द्रों<sup>1</sup> को 1.07 करोड़ रु. मूल्य की क.व. जारी करने का परिणाम 35.61 लाख रु. की क.व. के सीमा से अधिक आपूर्ति में हुआ।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2005) कि छठी क.व. समिति विभिन्न कारणों से अपनी औपचारिक बैठकें नहीं कर सकी यद्यपि उनके पास इनमें से कुछ विशेषज्ञों के साथ परामर्श का लाभ था। यह भी बताया गया कि इस स्थिति में सुधार को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने फरवरी 2005 में सातवीं क.व. समिति का पहले से पुनर्गठन कर दिया था। मिशनों/केन्द्रों को सीमा से अधिक क.व. को जारी करने के सम्बन्ध में, मंत्रालय ने बताया कि क.व. की आपूर्ति पर वित्तीय सीमा केवल निदेशात्मक थी बाध्यकारी नहीं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंत्रालय को अप्रैल 2003 में सीमा का संशोधन करते समय इस पहलू को ध्यान में रखना चाहिए था और मिशनों/केन्द्रों के महत्व के अनुसार सीमा निर्धारित करनी चाहिए थी।

#### **4.1.2 सुरक्षा गार्डों पर अनियमित व्यय**

यद्यपि भारतीय उच्चायोग, प्रिटोरिया (दक्षिण अफ्रीका) के पास पूर्ण समय के लिए दो भारत आधारित सुरक्षा गार्ड तैनात थे, वह मंत्रालय की मंजूरी के बिना चांसरी और दूतावास निवास की सुरक्षा प्रबंध के लिए सितम्बर 1995 से एक सुरक्षा एजेंसी के द्वारा अतिरिक्त स्थानीय सुरक्षा गार्डों को नियुक्त कर रहा था। मिशन ने सितम्बर 1995 से अप्रैल 2005 के बीच इस कारण 1.13 करोड़ रु. का अप्राधिकृत व्यय किया। आगे देखा गया कि भारतीय उच्चायोग, गैबोरोन (बोडसवाना) के मामले में मंत्रालय ने 1 जुलाई 2002 से 30 जून 2003 के एक वर्ष की अवधि के लिए चांसरी और दूतावास निवास की चौबीय घंटे सुरक्षा के लिए स्थानीय सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति को जारी रखने की मंजूरी दी थी (मई 2002)। जबकि उच्च दरों पर सुरक्षा गार्डों को जारी रखने से सम्बन्धित मामला मंत्रालय के साथ पत्राचाराधीन था, मिशन द्वारा मंत्रालय की अनुमति के बिना उच्च दरों पर सेवा प्रभारों का भुगतान किया जा रहा था और जुलाई 2003 से जून 2005 की अवधि के लिए 18.27 लाख रु. का अप्राधिकृत व्यय वहन किया।

अतः मिशनों द्वारा वित्तीय नियमों और मंत्रालय के स्पष्ट अनुदेशों के उल्लंघन का परिणाम 1.31 करोड़ रु. (1.13 करोड़ रु. + 18.27 लाख रु.) के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित किये जाने पर मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2005) कि व्यय को नियमित करने पर सक्रिय विचार किया जा रहा था।

<sup>1</sup> भा.दू. वाशिंगटन, लंदन, रियाद, मास्को, मस्कट, मैड्रिड, पेरिस पी.एम.आई. न्यूयार्क, एन सी आई प्रिटोरिया, कोलम्बो और भा.म.दू. न्यूयोर्क

#### 4.1.3 कारों की खरीद पर अप्राधिकृत व्यय

सितम्बर 2000 और अक्टूबर 2001 में भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के बाद ही बेकार वाहनों के बदले नये वाहनों को खरीदा जा सकता था।

निम्नलिखित तीन मिशनों ने भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन करके और मंत्रालय से पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना जून 2002 और जनवरी 2005 के बीच बेकार कारों को बदलकर नई कारें खरीदीं जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रु. में)

क्र. सं.	उच्चायोग का नाम	खरीद का माह/वर्ष	वाहन की लागत
1.	भारतीय दूतावास, रियाद	जून 2002	16.83
2.	भारतीय उच्चायोग, माहे (सेसल्स)	नवम्बर 2004	10.98
3.	भारतीय महावाणिज्य दूतावास जोहान्सबर्ग	जनवरी 2005	18.83
		योग	46.64

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2005) कि माहे स्थित मिशन के सम्बन्ध में व्यय को नियमित करने की कार्रवाई की जा रही थी और रियाद और जोहान्सबर्ग स्थित मिशनों से मंत्रालय की पूर्व मंजूरी प्राप्त न करने का कारण पूछा जा रहा था। उसने आगे बताया कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले की कार्योत्तर मंजूरी पर विचार किया जा सकता है।

#### 4.1.4 प्रत्यायोजित शक्तियों का उल्लंघन करते हुए अप्राधिकृत व्यय

विदेश में भारत सरकार के प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियों की अनुसूची 1 की मद संख्या 8(ख)(i) के अनुसार मिशन प्रधानों के आवासों पर फर्नीचर तथा उपकरण की खरीद के लिए मिशन प्रधानों को कोई शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की गयी हैं। इस प्रकार इस संदर्भ में किसी व्यय के वहन के लिए मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन होना चाहिए। तथापि मिशन प्रधानों का उपरोक्त वित्तीय शक्तियों की अनुसूची 1 की मद सं. 8(ख)(iii) के अनुसार मिशन प्रधानों के आवासों पर फर्नीचर तथा उपकरण के नवीकरण और प्रतिस्थापना पर 3850 यू.एस.\* डालर के समकक्ष 1.78 लाख रु. प्रतिवर्ष तक व्यय करने की प्रत्यायोजित शक्तियां प्रदान की गयी हैं। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त वित्तीय शक्तियों की मद सं. 8(क)(i) के अनुसार मिशन प्रधानों को कम्प्यूटर एवं संबंधित

\* 1 यू.एस.डालर = 46.40 रु. (अक्टूबर 2003 के लिए विनिमय दर)

पैरिफेरल्स की खरीद पर 5000 यू.एस.\*\* डालर के समकक्ष 2.39 लाख रु. प्रतिवर्ष तक व्यय वहन करने की प्रत्यायोजित शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि लुआण्डा (अंगोला) तथा हरारे (जिम्बाब्वे) स्थित भारतीय मिशनों ने 2002-2004 के दौरान राजदूतों के आवासों के लिए फर्नीचर और उपकरण की खरीद एवं पुनर्स्थापन और शासकीय प्रयोग के लिए कम्प्यूटर एवं पैरिफेरल्स पर 26.08 लाख रु. का व्यय वहन किया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रु. में)

मिशन का नाम	वर्ष	प्रतिस्थापन/खरीदी गयी मर्दे	व्यय	प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार ग्राह्य व्यय	व्यय का आधिक्य
लुआण्डा (अंगोला)	2002-03 एवं 2003-04	राजदूत के आवास के लिए फर्नीचर तथा उपकरण की खरीद	3.94	शून्य	3.94
	- वही -	राजदूत के आवास के लिए फर्नीचर तथा उपकरण का प्रतिस्थापन	7.77	3.56	4.21
	- वही -	शासकीय प्रयोग के लिए कम्प्यूटर एवं पैरिफेरल्स की खरीद	10.28	4.78	5.50
हरारे (जिम्बाब्वे)	2003-04	राजदूत के आवास के लिए फर्नीचर एवं प्रतिस्थापन	4.09	1.78	2.31
		योग	26.08	10.12	15.96

लुआण्डा स्थित मिशन ने 2002-04 के दौरान 13.65 लाख रु. का अप्राधिकृत व्यय वहन किया। इसी प्रकार हरारे स्थित मिशन ने से 2.31 लाख रु. का अप्राधिकृत व्यय वहन किया था। लुआण्डा तथा हरारे स्थित मिशनों द्वारा 2002-2004 के दौरान प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का उल्लंघन करते हुए 15.96 लाख रु. की राशि का कुल व्यय वहन किया।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2005 में प्रेषित किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2006)

\*\* 1 यू.एस.डालर = 47.85 रु. (अप्रैल 2003 के लिए विनिमय दर)

#### 4.1.5 लेखन सामग्री की खरीद पर अप्राधिकृत व्यय

विदेश में भारत सरकार के प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियों की अनुसूची-I की मद सं. 26 के अनुसार सं.सा.अ. तथा ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य मिशनों के प्रधानों को 2000-01 तक लेखन सामग्री भंडार तथा मुद्रण वस्तुओं की खरीद पर अधिकतम एक लाख रु. प्रतिवर्ष का व्यय वहन करने की अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसे 2001-02 से 3850 अमरीकी डालर\* तक बढ़ा दिया गया था।

14<sup>\*\*</sup> मिशनों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 1999-2000 से 2003-04 के दौरान इन मिशनों ने लेखन सामग्री पर प्रत्यायोजित शक्तियों से 1.35 करोड़ रु. अधिक का अप्राधिकृत व्यय वहन किया था। इन मिशनों में आधिक्य व्यय प्रत्यायोजित शक्तियों के 6 प्रतिशत से 1351 प्रतिशत के बीच रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित किये जाने के बाद मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2005) कि दोहा में दूतावास द्वारा किया गया आधिक्य व्यय को नियमित कर दिया गया था तथा औपचारिक स्वीकृत जारी कर दी गई थी अन्य मिशनों से सम्बन्धित आधिक्य व्यय का नियमन प्रक्रियाधीन था।

#### 4.1.6 उद्यान अनुदान का अप्राधिकृत तथा अतिरिक्त भुगतान

विदेश में भारत सरकार के प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियों की अनुसूची 1 की मद संख्या 4ए(iv) के अनुसार मिशन के प्रधानों (मि.प्र.)/केन्द्रों के प्रधानों (के.प्र.) के आवास के लिए सरकारी स्वामित्व वाली सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उद्यान अनुदान को केवल मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त करने के बाद अदा किया जाना था। आगे, उन्हीं वित्तीय शक्तियों की मद संख्या 4ए(i) के अनुसार मि.प्र./के.प्र. के किराये के आवासों के लिए उद्यान अनुदान की पात्रता उद्यान का क्षेत्रफल एक एकड़ के 1/4 से कम होने पर वार्षिक किराये के 0.75 प्रतिशत, उद्यान का क्षेत्रफल एक एकड़ के 1/4 से अधिक होने पर वार्षिक किराये के 1.25 प्रतिशत के बराबर थी। मि.प्र./के.प्र. को छोड़कर प्रतिनिधि अधिकारियों को उद्यान अनुदान के भुगतान का नियमन भा.वि.से. (पे.अ.प्र.भ.) नियमों, 1961 (भाग-I) के अनुबन्ध X के पैराग्राफ 12(2) के अनुसार किया जाना था, जिसमें निर्धारित है कि यदि आवास के साथ उद्यान के रखरखाव की जिम्मेदारी पट्टाकर्ता की न हो तो पट्टा आवास के सम्बन्ध में उद्यान अनुदान इन अधिकारियों को भी अदा किया जा सकता था। इसी प्रकार, भा.वि.से. (पे.अ.प्र.भ.) नियमों, 1961 (भाग-I) के अनुबन्ध X के पैराग्राफ 12(क) के साथ पठित विदेश में भारत सरकार के

\* क्रमशः मार्च 2002, 2003 तथा मार्च 2004 की विनियम दरों को लेते हुए 2001-02 में 188,342 रु. 2002-03 में 184,993 रु तथा 2003-04 में 1,75,060 रु. के समकक्ष।

\*\* भारतीय महावाणिज्य जद्वा, भा.दू. टोक्यो, बहरीन, नोमपेन्ह, दोहा, कुवैत, मस्कट, भा.उ. ढाका, केनबरा, कोलम्बो, माले, वैलिंगटन, दुबई, कुआलालम्पुर।

प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियों की अनुसूची I के क्रम सं. 4 बी के अनुसार, सरकारी स्वामित्व और किराये की सम्पत्ति के सम्बन्ध में, मि.अ./के.अ. को छोड़कर प्रतिनिधि अधिकारियों के आवासों के लिए उद्यान अनुदान की पात्रता उद्यान का क्षेत्रफल एक एकड़ के  $1/4$  कम होने पर एक श्रम घंटा प्रतिदिन और उद्यान का क्षेत्रफल एक एकड़ के  $1/4$  अधिक होने पर दो श्रम घंटा प्रतिदिन तक की है। आकस्मिकता निधि से क्षमता प्राप्त करने वाले स्थानीय पद के प्रति नियुक्त आकस्मिकता प्रदत्त स्टाफ की दैनिक मजदूरी के उद्देश्य से मंत्रालय ने निर्णय लिया (मई 1994) कि ऐसे व्यक्तियों की मजदूरी तदनुरूपी रथानीय स्टाफ के संशोधित न्यूनतम वेतनमान के  $1/30$  पर निर्धारित की जाये।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि भारतीय महावाणिज्य दूतावास, जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) ने मंत्रालय की अनुमति के बिना के.प्र. के आवास पर उद्यान के रखरखाव के लिए एक निजी कम्पनी को नियुक्त किया और जुलाई 2002 और मार्च 2005 के बीच 5.20 लाख रु. का अप्राधिकृत व्यय किया। यह भी पाया गया कि माहे (सिसल्स) स्थित भारतीय दूतावास के प्रथम और द्वितीय सचिव के लिए किराए पर लिए गए आवास के साथ उद्यान का रखरखाव पट्टाकर्ता द्वारा द्वारा किया जा रहा था। अतः इन अधिकारियों को कोई उद्यान अनुदान देय नहीं था। फिर भी मिशन ने उन्हें 300 एस आर प्रति माह की दर से उद्यान अनुदान दिया। मिशन को 22 नवम्बर 1999 से 30 अप्रैल 2001 और 18 जुलाई 2001 से 6 मार्च 2005 की अवधि के दौरान 1.49 लाख रु. के बराबर किए गए 18150 एस आर के अनियमित भुगतान की वसूली करने की आवश्यकता थी। आगे, साना स्थित भारतीय मिशन ने मिशन के सलाहकार और प्रथम सचिव के आवासों के लिए माली नियुक्त किये थे और 19 अमरीकी डालर प्रतिमाह की ग्राह्य दर के प्रति क्रमशः 100 अमरीकी डालर और 150 अमरीकी डालर प्रतिमाह की दर पर उन्हें मजदूरी दी थी। इसका परिणाम अगस्त 2001 से जुलाई 2004 (मई 2004 को छोड़कर) की अवधि के दौरान 1.46 लाख रु. के बराबर 3135 अमरीकी डालर के अतिरिक्त भुगतान में हुआ जिसकी वसूली भी अधिकारियों से करने की आवश्यकता थी।

अतः नियमों का उल्लंघन और निर्धारित सीमा से अधिक उद्यान अनुदान का भुगतान करने का परिणाम 1999-2005 के दौरान 8.15 लाख रु. के अधिक और अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित जाने पर मंत्रालय ने केवल उसे सम्बन्धित मिशनों/केन्द्रों से प्राप्त आगमों को प्रेषित किया (फरवरी 2006)। भारतीय महावाणिज्य दूतावास, जोहान्सबर्ग ने खेद प्रकट किया कि उसने मंत्रालय की अनुमति लिए बगैर भूलवश एक उद्यान एजेंसी को नियुक्त किया था। उसने यह भी बताया कि मामला प्रक्रियाधीन था तथा मंत्रालय का निर्णय लेखापरीक्षा को भविष्य में सूचित किया जाएगा।

सानग एवं माहे (सिसल्स) मिशनों ने बताया कि मामले पर मंत्रालय पूनर्विचार कर रहा था तथा वे भविष्य में लेखापरीक्षा को उत्तर देंगे।

#### 4.1.7 सेल्यूलर फोन पर अप्राधिकृत व्यय

भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) ने जनवरी 2003 में सचिवों को और जनवरी 2004 में संयुक्त सचिव को सेल्यूलर फोन सुविधा का अनुमति इस शर्त पर दी कि किराये और कॉल चार्ज पर मासिक व्यय क्रमशः 1500 रु. और 500 रु. से अधिक न हो। वि.म. ने विदेश में मिशन को सेल्यूलर फोन की स्वीकृति देते हुए अंतराष्ट्रीय कॉल करने की मंजूरी नहीं दी थी।

निम्नलिखित मिशनों ने सेल्यूलर फोन पर अप्राधिकृत व्यय किया जैसाकि नीचे दिया गया है -

(लाख रु. में)

क्र. सं.	मिशन का नाम	व्यय	अवधि	अनियमितताएं
1.	जेद्धाह	3.24	2000-2005	अन्तर्राष्ट्रीय कॉल पर व्यय मंत्रालय के अनुदेशों का उल्लंघन था
2.	थिम्पू	0.20	2004-2005	जैसा ऊर दिया गया है।
3.	प्रिटोरिया	1.28	2000-2003	2002 में लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित किए जाने के बावजूद भी उच्चायुक्त के पति-पत्नी द्वारा सेल्यूलर फोन का प्रयोग करना।
4.	कुआलालाम्पुर	4.88	2001-2005	मंत्रालय की मंजूरी के बिना सात सेल्यूलर फोन खरीदे गए।
5.	ब्रूनेई	1.96	1995-2000	मंत्रालय की मंजूरी के बिना एक फोन खरीदा गया था।
6.	जोहनसबर्ग	1.93	2002-2005	मंत्रालय की मंजूरी के बिना दो सेल्यूलर फोन खरीदे थे।
	योग	13.49		

मंत्रालय के सेल्यूलर फोन खरीदने और अंतराष्ट्रीय कॉल की अनुमति प्रदान नहीं करने के स्पष्ट अनुदेशों का पालन न करने का परिणाम 1995-2005 के दौरान 13.49 लाख रु. के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

#### 4.1.8 संतान शिक्षा भत्ता के अंतर्गत अग्राह्य मदों की वसूली करने में विफलता

भारतीय विदेश सेवा (वेतन, अवकाश, प्रतिपूरक भत्ते) (वि.अ.प्र.भ.) नियमावली के अनुबन्ध VII के अनुसार भारत सकार, विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में तैनात भारतीय मूल के कर्मचारियों की संतानों की शिक्षा के लिए विद्यालय/शिक्षा शुल्क, प्रवेश शुल्क,

पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रयोगशाला/विज्ञान शुल्क और कम्प्यूटर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। पुस्तकों की लागत, परिवहन और दोषहर के भोजन के प्रभार को अग्राह्य माना गया है। जहाँ पर अग्राह्य मदों के लिए शुल्कों को विद्यालय शुल्क में एकीकृत किया गया हो और संघटक तत्व का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है मंत्रालय ने सरकार द्वारा अदा किये गये ऐसे प्रभारों की लागत का आच्छादन करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी से शिक्षा शुल्क/ विदेश भत्ता<sup>2</sup> से विभिन्न प्रतिशतों पर कटौतियाँ निर्धारित की हैं। पूंजीगत शुल्क अथवा भवन निधि के भुगतान की प्रतिपूर्ति केवल मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से ही ग्राह्य है।

अक्टूबर 2004 और जुलाई 2005 के बीच की गई नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ<sup>3</sup> मिशनों/केन्द्रों ने पुस्तकों की आपूर्ति, अग्राह्य मदों जिसके प्रभार सरकार द्वारा वहन किये गये थे शिक्षा शुल्क में शामिल थे, के प्रति वसूली नहीं की। बुखारेस्ट स्थित मिशन भी शिक्षा शुल्क में शामिल दोषहर के भोजन प्रभार के प्रति वसूली नहीं कर रहा था।

मिशनों/केन्द्रों के द्वारा संतान शिक्षा योजना के अंतर्गत अग्राह्य मदों की वसूली के प्रति मंत्रालय की अनुदेशों का पालन करने में विफलता का परिणाम 15.04 लाख रु. के गैर-वसूली में हुआ जैसा कि अनुबन्ध-क में दिया गया है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह भी ज्ञात हुआ कि मंत्रालय ने नोमपेन्ह (कम्बोडिया) स्थित मिशन के कर्मचारियों के पात्र संतानों जो सूचीबद्ध विद्यालय में पढ़ रहे थे के सम्बन्ध में 750 अमरीकी डालर प्रति सन्तान के पूंजीगत शुल्क की स्वीकृति दी (दिसम्बर 1996)। तथापि मिशन ने मंत्रालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए 1200 अमरीकी डालर प्रतिवर्ष प्रति संतान की बढ़ी हुई दर पर उनके कर्मचारियों की सात संतानों के सम्बन्ध में पूंजीगत शुल्क अदा किये। इसका परिणाम 1997-2005 के दौरान 11.37 लाख रु. के अप्राधिकृत व्यय में हुआ। यह भी पाया गया कि यद्यपि 'अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में' (अ.दू.भा.) के कारण कोई शुल्क ग्राह्य नहीं था, मिशन ने 1996-2002 के दौरान अपने कर्मचारियों की 13 संतानों के सम्बन्ध में 1.22 लाख रु. अदा किये थे। खारतुम स्थित मिशन ने मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त किये बिना अपने कर्मचारियों की सात संतानों के संबंध में 600 अमरीकी डालर प्रति वर्ष की दर पर अप्राधिकृत पूंजीगत शुल्क अदा किया। सितम्बर 2003 से फरवरी 2005 के दौरान 2.49 लाख रु. का अप्राधिकृत व्यय वहन किया।

<sup>2</sup> विद्यालय द्वारा पुस्तकों की आपूर्ति के लिए शिक्षा शुल्क को एक प्रतिशत (ऋण आधार पर दी गई पुस्तकों को शामिल करते हुए) भोजन के लिए विदेश भत्ता का आधा प्रतिशत और दौरे के प्रत्येक दिन के लिए विदेश भत्ता का आधा प्रतिशत।

<sup>3</sup> आशागाबत बूकारेस्ट, कोपेनहेंग, जेनेवा, हेलसिंकी, म्यूलिख मिस्क, हेग और ब्लादिवोस्टाक। पेरिस स्थित मिशन के सम्बन्ध में यह अकादमिक वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए है क्योंकि पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2001-02 और 2002-03 में गैर वसूली सन्नहित थी।

अतः मिशनों द्वारा मंत्रालय के अनुरोधों का अनुपालन करने में विफलता का परिणाम 15.04 लाख रु. की गैर-वसूली तथा 15.08 लाख रु. के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

मामला मंत्रालय को जुलाई/अक्टूबर 2005 में प्रेषित किया गया था। जबकि जुलाई 2005 में मंत्रालय को प्रेषित मामला का उत्तर अपेक्षित था (दिसम्बर 2005) मंत्रालय ने दूसरे मामले के उत्तर में बताया (दिसम्बर 2005) कि नामपेन्ह स्थित मिशन द्वारा किये गये व्यय को नियमित करने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा था और लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के शीघ्र निपटान हेतु खारतुम स्थित मिशन से आवश्यक जानकारी माँगी गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा कमियों को इंगित किये जाने पर मंत्रालय ने मिशनों/केन्द्रों द्वारा अनियमितताओं को स्वीकार करते हुए बताया (दिसम्बर 2005) कि मंत्रालय ने समय-समय पर उन्हें वित्तीय/प्रशासनिक नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये थे। अनियमितताओं की बढ़ती हुई संख्या दर्शाती है कि मंत्रालय को पूर्वतर मंजूरी की स्वीकृति नियमित रूप से देने की बजाये उत्तरदायित्व को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

**4.1.9** उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि विदेश मंत्रालय में आन्तरिक नियंत्रण कमजोर थे जो शासकीय अनुदेशों की अवहेलना के रूप में उजागर हुए। केवल मिशनों द्वारा ही अप्राधिकृत व्यय नहीं किया गया था, परन्तु विदेश मंत्रालय भी बहुत से मामलों में रथापित प्रक्रियाओं और नियमों के उल्लंघन को क्षमा करने में अधिक उदार था। इससे अन्य मिशनों को निर्धारित नियमों और शासकीय आदेशों की नैमित्तिक रूप से अवहेलना करने को प्रोत्साहित किया तथा आन्तरिक नियंत्रण को क्रमशः कम किया।

#### 4.2 आकस्मिकता प्रदत्त स्टाफ की नियुक्ति पर अप्राधिकृत व्यय

विदेश में मिशनों और केन्द्रों ने राजनीय भर्ती स्टाफ के रोजगार को अधिशासित करने वाले नियमों और विनियमों के उल्लंघन में आकस्मिकता से भुगतान किये गये स्टाफ और राजनीय स्टाफ की नियुक्ति को जारी रखा जिसका परिणाम 2.54 करोड़ रु. के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 6 के अनुसार कोई भी प्राधिकारी ऐसा कोई व्यय वहन नहीं कर सकता या देयता नहीं ले सकता जिसमें सरकारी लेखे का व्यय सम्मिलित हो जब तक कि ऐसा व्यय सरकार अथवा किसी प्राधिकारी जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हो के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा स्वीकृत न किया गया हो। अतः कोई भी प्राधिकारी पदों के संस्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी की विशिष्ट स्वीकृति के बिना वेतन के भुगतान पर व्यय नहीं कर सकता।

भारत सरकार के विदेशी प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियों की सारणी-I की मद संख्या 12 में मिशनों और केन्द्रों के प्रधानों (मि.प्र./के.प्र.) को केवल आकस्मिक कार्य के लिए लगाये गये (वर्ग-IV) कर्मचारियों को आकस्मिकता से भुगतान किये जाने का उपबद्ध है। इसमें नियमित प्रकृति के कार्य अथवा नियमित स्थापना पर वहन किये जाने वाले रिक्त पदों के प्रति नियुक्त किये गये कर्मचारियों को आकस्मिकता से भुगतान पर रोक है।

मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेश उनकी नियुक्ति पर निम्नलिखित प्रतिबंध भी लगाते हैं :

- उनकी नियुक्ति छः माह से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- उनकी नियुक्ति के प्रत्येक दिन के लिए स्थानीय पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतनमान के एक-तीसवें के बराबर वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए और
- वे जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर किसी अर्जित अवकाश, बोनस, वेतन वृद्धि और समायोजनों के हकदार नहीं होंगे।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की आनुक्रमिक प्रतिवेदनों<sup>4</sup> में विभिन्न मिशनों और केन्द्रों द्वारा वित्तीय शक्तियों की अनुसूची I और मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन को उजागर किया है। जनवरी 2001 मई 2002 और दिसम्बर 2004 में प्रस्तुत की गई कार्रवाई टिप्पणियों में मंत्रालय ने बताया था कि मिशनों और केन्द्रों को नियमों और विनियमों के पालन की आवश्यकता पर जोर देने के लिए अनुदेश जारी किये थे जिसके न मानने पर पथभ्रष्ट अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

(1) तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि इस सम्बन्ध में पिछली लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और परिणामी अनुदेशों के बावजूद कैनबरा, दास-ए-सलाम, कुआलालाम्पुर, निकोसिया, पोर्ट लुईस और सिंगापुर स्थित मिशनों ने नियमों और अनुदेशों की अवहेलना जारी रखी और लम्बी अवधि के लिए नियमित प्रकृति के कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों को अप्राधिकृत रूप से आकस्मिकता से भुगतान किया गया और मंत्रालय के अनुमोदन के बिना उन्हें उच्चतर मजदूरी का भुगतान किया गया। इन अनियमिताओं के परिणामस्वरूप मिशनों और केन्द्रों ने 1.79 करोड़ रु. का अप्राधिकृत व्यय किया जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

<sup>4</sup> भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ सरकार - सिविल के प्रतिवेदन (1999 की सं.2) का पैराग्राफ सं. 4.1.1., प्रतिवेदन (2000 की सं. 2) का पैराग्राफ सं. 86, प्रतिवेदन (2002 की सं. 2) का पैराग्राफ 9.2, प्रतिवेदन (2003 की सं. 2) का पैराग्राफ सं. 4.1, प्रतिवेदन (2004 की सं. 2) का पैराग्राफ सं. 2.3.1

(लाख रु में)

मिशन/ केन्द्र	पद	अवधि	राशि	अनियमितता की प्रकृति
भा.उ. सिंगापुर	लिपिक (दो)	अप्रैल 2003 से जुलाई 2004	8.56	अप्राधिकृत कर्मचारियों को हटाने के बजाए, मंत्रालय के अनुमोदन के बिना अतिरिक्त आकस्मिकता से भुगतान किये जाने वाले कर्मचारियों की नियमित कार्य के लिए नियुक्ति की गई थी।
भा.उ. कैनबरा	लिपिक	फरवरी 2000 से जून 2004	50.05	मंत्रालय के अनुमोदन के बिना आकस्मिकता से भुगतान किये जाने वाले कर्मचारियों को नियमित कार्य के लिए जारी थी।
भा.दू. दार.ऐ.सलाम	सुरक्षा कर्मी	1995-96 से 2003-04	31.51	अपने संस्थीकृत कार्यरत कर्मचारियों के अतिरिक्त मिशन ने मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त किये बिना सुरक्षा अभिकरण से सुरक्षा कर्मियों को आकस्मिकता के आधार पर लगाया।
- वही -	माली	2001-02 से जुलाई 2004	1.95	एक नियमित माली के अतिरिक्त मिशन ने मंत्रालय के अनुमोदन के बिना आकस्मिकता से भुगतान किये जाने वाले दो मालियों को छः महीने से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त किया।
भा.उ. कुआलालाम्पुर	सुरक्षा कर्मी	2001-02 से जून 2004	32.95	अपने संस्थीकृत कार्यरत कर्मचारियों के अतिरिक्त मिशन ने मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त किये बिना आकस्मिकता के आधार पर एक सुरक्षा एजेंसी से सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति की।
भा.दू. मास्को	वर्ग-III स्टाफ	सितम्बर 2003 से मार्च 2005	31.53	मंत्रालय के अनुमोदन के बिना आकस्मिकता से भुगतान किये जाने वाले वर्ग-III स्टाफ की निरंतर नियुक्ति
भा.उ. निकोसिया	दुभाषिया संदेशवाहक और नौकरानी	23.8.2001 से 16.6.2003	13.79	मंत्रालय के अनुमोदन के बिना एक दुभाषिया का पद (वर्ग सी) और दो (वर्ग डी) के पदों पर छः महीने से अधिक के लिए आकस्मिकता से भुगतान किये जाने वाले कर्मचारियों को नियुक्त किया। मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार जी.नि.व्य.भ.* आकस्मिकता से भुगतान किये जाने वाले कर्मचारियों को देय नहीं था लेकिन उन्हें भी जी.नि.व्य.भ. दिया गया।
भा.उ. पोर्ट लुईस	लिपिक आदि	मार्च 1995 से मई 2004	8.75	मंत्रालय के अनुमोदन के बिना आकस्मिकता से भुगतान किये जाने वाले कर्मचारियों को छः महीने से अधिक के लिए नियुक्त किया।
		योग	179.09	

(2) मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैराग्राफ 8.6 में 1989-99 के दौरान भारत

\* जीवन निर्वाह व्यय भत्ता

उच्चायोग लंदन (मिशन) में डाटा एन्ट्री आपरेटर (डा.ए.आ.) की प्रत्यक्ष स्थानीय भर्ती से तीन पदों के प्रचालन पर 1.47 करोड़ रु. के अप्राधिकृत व्यय को उजागर किया था जिसके लिए जारी रखने की संस्वीकृति केवल 31 मार्च 1989 तक प्राप्त थी। मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी नोट में बताया (मई 2002) कि विदेश में सभी मिशनों और केन्द्रों को संस्वीकृत क्षमता से अधिक स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति न करने के आवश्यक अनुदेशों को जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मिशन ने एक डा.ए.आ. की नियुक्ति को जारी रखा और अप्रैल 1999 से मार्च 2005 तक वेतन और बोनस के प्रति 101,325.62 ब्रिटिश पाउंड (74.63 लाख<sup>2</sup> रु.) का अप्राधिकृत व्यय किया।

मिशन ने मई 2003 में बताया कि मिशन में स्थानीय और भारत आधारित स्टाफ के खाली पद थे जिनके प्रति डा.ए.आ. के पद को समायोजित किया जा सकता था। मिशन ने अक्टूबर 2004 में आगे बताया कि वे स्थानीय पद को नियमित करने के लिए मंत्रालय के साथ मामले का निरन्तर अनुसरण कर रहे थे।

मिशन का उत्तर मई 2003 तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मिशन के पास संस्वीकृत क्षमता के भीतर अप्राधिकृत स्थानीय पदों को समायोजित करने की प्रत्यायोजित शक्ति नहीं थी। अतः मंत्रालय के नियमों और आदेशों के प्रावधानों के उल्लंघन में आकस्मिकता से भुगतान किये जाने वाले और स्थानीय स्टाफ की नियुक्ति के परिणाम 2.54 करोड़ रु. के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

मामला लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने केवल कुआलालाम्पुर स्थित मिशन के संबंध में प्रत्युत्तर (दिसम्बर 2005) देते हुए बताया कि उसने फरवरी 2005 से जनवरी 2006 की अवधि के लिए 11.33 लाख रु के व्यय को नियमित कर दिया था तथा अगस्त 2004 से मई 2005 की अवधि के लिए कार्योत्तर नियमितीकरण के लिए विवरण मांगे थे। किन्तु वह लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए 2001-02 से जून 2004 की अवधि के लिए व्यय को नियमित करने के बारे में मौन था।

#### 4.3 अत्यधिक नकद शेष के अविवेकपूर्ण अवरोधन के कारण ब्याज की हानि

विदेश में मिशनों और केन्द्रों द्वारा आवश्यकता से अधिक नकद शेषों को न रखने के लिए विदेश मंत्रालय के अनुदेशों की निरन्तर अननुपालना के परिणामस्वरूप पहले कई अवसरों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के बावजूद 1.79 करोड़ रु. के ब्याज की हानि हुई।

विदेश मंत्रालय विदेश में भारतीय मिशनों तथा केन्द्रों की नकद आवश्यकताओं की पूर्ति आवधिक प्रेषणों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में करता है। मिशनों और केन्द्रों द्वारा समय-समय पर प्राप्त ऐसे प्रेषणों को सामान्यतः उनके द्वारा बैंक खाते में रखा जाता है जिन

<sup>2</sup> सम्बन्धित वर्षों में प्रचलित वेतन की विनियम दर पर परिवर्तन की गई

पर ब्याज नहीं मिलता है। आवधिक नकद प्रेषणों के अतिरिक्त मिशनों और केन्द्रों द्वारा वाणिज्यिक सेवाओं के माध्यम से राजस्व भी अर्जित करते हैं उसको भी उसी प्रकार जमा कराया जाता है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों ने पहले<sup>6</sup> बहुत से अवसरों पर विदेश में विभिन्न मिशनों तथा केन्द्रों द्वारा आवश्यकताओं से अधिक रोकड़ शेषों के अवरोधन के कई उदाहरण उजागर किये थे जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की परिहार्य हानि तथा सरकार के वित्तीय हित को क्षति हुई। मंत्रालय इन अभ्युक्तियों के अनुसरण में बार-बार इस बात पर भी बल दे रहा है कि विदेश में मिशनों तथा केन्द्रों को अपनी नकद आवश्यकताओं की छः सप्ताह की अवधि को ध्यान में रखकर प्रत्येक माह वास्तविक निर्धारण करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन अपेक्षाओं से अधिक रखे गए कोई भी नकद शेष या तो प्रत्यावर्तित किये गये थे या मंत्रालय को अपने मासिक प्रेषणों को कम या प्रलंबित करने की सलाह देकर भावी प्रेषणों के प्रति समायोजित किये गये थे। आगे मंत्रालय ने मिशनों और केन्द्रों को दिसम्बर 2000 में विशेष तौर पर सलाह दी थी कि छः सप्ताह की पूर्ति के लिए नकद शेषों का अनुरक्षण सदैव अनिवार्य नहीं था और बल्कि केवल यह एक माह की आवश्यकता के बराबर रोककर भी संभव हो जाना चाहिए। मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों तथा लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं को गंभीरता से लेते हुए पुनः समस्त मिशनों/केन्द्रों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (जून 2003) कि किसी भी परिस्थिति में छः सप्ताह की आवश्यकताओं से अधिक निधियां उनके द्वारा रोकी नहीं जानी चाहिएं। मंत्रालय ने अनुभव किया कि उसे किसी भी भूल के परिणामस्वरूप सरकार को वित्तीय हानि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

तथापि, विदेश में विभिन्न मिशनों और केन्द्रों की अगस्त 2004 तथा अगस्त 2005 के बीच की गई लेखापरीक्षा से पता चला कि मंत्रालय के अनुदेशों तथा लेखापरीक्षा की बारम्बार अभ्युक्तियों का नकद प्रबन्धन में सुधार लाने के लिए कोई अवगम्य प्रभाव नहीं था। अप्रैल 2001 तथा जून 2005 के बीच 25 मिशनों तथा केन्द्रों<sup>7</sup> ने 4 से 41 माह की विभिन्न सीमा अवधि के लिए छः सप्ताह की अपेक्षाओं से अधिक नकद शेष रखे थे। इनमें से नौ मिशनों तथा केन्द्रों<sup>8</sup> ने पहले भी ऐसे अत्यधिक शेषों को रखा था जिसे उनके तथा मंत्रालय के ध्यान में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के माध्यम से लाया गया था। इसके कारण सरकारी उधारों की 9.24 प्रतिशत की वार्षिक

<sup>6</sup> भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मार्च 1996, मार्च 1997, मार्च 1999, मार्च 2000, मार्च 2002, मार्च 2003 तथा मार्च 2004 को समाप्त वर्षों के लिए प्रतिवेदन संख्या 2 के क्रमशः पैराग्राफ सं. 4.4, 4.5, 8.14, 8.7, 9.4, 4.7, 2.14 और 6.13 को देखें।

<sup>7</sup> आविद्यान अम्मान अन्तानानारियो, बहरीन, केपटाऊन, गेबोन, जेनेवा, हो.ची.मिन्ह, हांगकांग, लागोस, लुआन्डा, मिस्रक, पेरिस, प्रिटोरिया, रबात, साना, सेनेगल, तेलअवीव, थाईलैण्ड, थिम्पू, ट्यूनिस, वियना, विल्होक तथा जागरेब

<sup>8</sup> अन्तानानरियो, केपटाऊन गेबोन लुआन्डा, पेरिस, प्रिटोरिया, हेंग, ट्यूनिस एवं वियना।

औसत दर से परिकलित ब्याज की अनुमानित हानि 1.79 करोड़ रु. बनेगी। इस संबंध में सुसंगत विवरण **अनुबन्ध-ख** में दिए गए हैं।

विदेश में मिशनों और केन्द्रों के वास्तविक अपेक्षाओं से अधिक नकद शेषों को रखने से परिलक्षित होता है कि मंत्रालय के अनुदेशों तथा आवधिक आश्वासनों का उनके पालन से अधिक उनका उल्लंघन किया गया है। मंत्रालय द्वारा निष्पादित नियंत्रण स्थिल न होकर भी अपर्याप्त प्रतीत होता है। मंत्रालय के अनुदेशों की निरन्तर अवहेलना से हुई ब्याज की आवर्ती हानि मामले को अधिकतम गंभीरता से लेने के साथ -साथ उत्तरदायित्व लागू करने की गहन अनिवार्यता को ही रेखांकित करती है।

मामला अगस्त/सितम्बर 2005 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था। उनका उत्तर फरवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

#### 4.4 अतिरिक्त परिहार्य व्यय

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग प्रशिक्षणार्थियों को केवल किफायती श्रेणी भ्रमण हवाई टिकटें उपलब्ध कराने के मंत्रालय के अनुदेशों का उल्लंघन करके पोर्ट मोरसवे सुवा एवं हेलसिंकी में भारतीय मिशनों ने अप्रैल 1996 से अगस्त 2004 की अवधि के दौरान 212 प्रशिक्षणार्थियों के लिए पूर्ण किराया किफायती श्रेणी टिकटें खरीदने के परिणामस्वरूप अनुमानित 1.44 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

किफायती व्यय का अनुपालन करने की दृष्टि से, विदेश मंत्रालय (मंत्रालय) ने समय-समय पर निर्दिष्ट विदेश में मिशनों/केन्द्रों को भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (भा.त.आ.स.) कार्यक्रम के अंतर्गत नामांकित प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम किफायती मूल्य पर हवाई टिकटें उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। अधिकतम प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर भ्रमण टिकटों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने फिर से मिशनों/केन्द्रों को एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइन्स को सम्मिलित करते हुए विभिन्न हवाई कम्पनियों से दरों को प्राप्त कर एक पैनल बनाने के निर्देश दिये (अक्तूबर 2003)। पैनल मिशन/केन्द्र के प्रधान द्वारा मनोनीत तीन अधिकारियों की एक समिति द्वारा तिमाही आधार पर तथा उसके अनुमोदन द्वारा बनाया जाना था।

मार्च 1999 एवं मार्च 2002 को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) (क्रमशः 2000 एवं 2003 के प्रतिवेदन सं.2) के पैराग्राफ 8.12 एवं 4.2 में ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को पर्यटक/किफायती श्रेणी में सस्ते भ्रमण किरायों का लाभ उठाने की बजाय पूर्ण किराया किफायती श्रेणी टिकटों को उपलब्ध कराने पर कुछ मिशनों द्वारा परिहार्य अतिरिक्त व्यय को दर्शाया। 2000 के प्रतिवेदन सं 2 के पैराग्राफ 8.12 के सम्बन्ध में अपनी कार्यवाही टिप्पणी में, मंत्रालय ने बताया (मई 2001) कि संबंधक उड़ानों, जिनमें विदेशी हवाई कम्पनियां भी शामिल थी, के मामले में यात्रा के मध्य में विश्राम आवश्यक थे, जो कि एयर इंडिया

द्वारा प्रदान/प्रदत्त किए गए थे क्योंकि भा.त.आ.स. प्रशिक्षणार्थियों के पास पूर्ण किराया किफायती श्रेणी टिकट थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है चूंकि पूर्ण किराया टिकटें उपलब्ध कराने के लिए प्रायोजित सरकार से किसी भी अनुरोध का प्रमाण नहीं था जिसने प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा के मध्य में विश्राम का हकदार बनाया। तदनुसार, मंत्रालय को एक संशोधित कार्यवाही टिप्पणी भेजने की सलाह दी थी (जून 2001) जो अनुस्मारकों के बावजूद जून 2005 तक प्रतीक्षित थी। मंत्रालय ने 2003 के प्रतिवेदन सं. 2 के पैरा 4.2 पर जून 2005 तक का.टि. नहीं भेजी थी।

मंत्रालय के स्पष्ट अनुदेशों एवं पूर्व लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के बावजूद, अप्रैल 1996 से अगस्त 2004 तक की अवधि के दौरान भा.त.आ.स. कार्यक्रम के अंतर्गत नामांकित 212 प्रशिक्षणार्थियों के लिए पोर्ट मोरसवे, सुवा (फिजी) एवं हेलसिन्की स्थित मिशनों ने पूर्ण किराया किफायती श्रेणी हवाई टिकटें खरीदने का परिणाम 1.44 करोड़ रु. के अनुमानित अतिरिक्त व्यय में हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रु. में)

क्र.सं.	मिशन का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अवधि	भुगतान किया गया अधिक किराया
1.	पोर्ट मोरसवे	95	1996-97 से 2003-04	36.81 <sup>9</sup>
2.	सुवा (फिजी)	106	2001-02 से 2003-04	95.25 <sup>10</sup>
3.	हेलसिन्की	11	नवम्बर 2003 से अगस्त 2004 तक	11.81 <sup>11</sup>
	योग	212	-	143.87

मामले को लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर पोर्ट मोरसवे स्थित मिशन ने बताया (नवम्बर 2004) कि उसने विभिन्न हवाई कम्पनियों एवं यात्रा कम्पनियों से निविदाओं को मंगाने के बाद सबसे सर्वते भ्रमण हवाई टिकटों का क्रय करना शुरू कर दिया था तथा नियमित अंतराल पर स्थिति का पुनरीक्षण किया जाएगा।

तथापि, सुवा (फिजी) स्थित मिशन ने बताया (मई 2005) कि मंत्रालय ने किसी भी हवाई कम्पनी जिसने सर्वाधिक किफायती किराया प्रस्तावित किया, से टिकटें खरीदने की वित्त मंत्रालय की स्वीकृति हेतु केवल अक्टूबर 2003 में सूचित किया था। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसा कि मंत्रालय के पूर्व अनुदेशों में अपेक्षित था कि मिशन सर्वते

<sup>9</sup> पोर्ट मोरसवे स्थित मिशन के लिए अतिरिक्त व्यय की गणना कुल व्यय से उसी अनुपात से की गई जिस प्रकार छूट किराया (95,730 रु.) तथा पूर्ण किफायती श्रेणी किराया (1,51,330 रु.) के बीच थी।

<sup>10</sup> सुवा (फिजी) के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय की गणना भ्रमण /पर्टटक श्रेणी किराया (77,875 रु.) एवं पूर्ण किफायती श्रेणी किराया (2,09,145 रु.) से कुल व्यय के बीच अनुपात को लागू करने के आधार पर की गई।

<sup>11</sup> एयर इन्डिया द्वारा प्रस्तुत किए गए पूर्ण किराया किफायती टिकटों एवं भ्रमण श्रेणी किराए के बीच अन्तर।

उपलब्ध भ्रमण किरायों का लाभ उठाए। मिशन ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा की सलाह के बाद उसने अन्ततः प्रशिक्षणार्थियों के लिए अधिकतम किफायती/भ्रमण किराया टिकटें खरीदना शुरू कर दिया था।

हेलसिन्की स्थित मिशन ने बताया (मई 2005) कि इसके पास मिशन के प्रधान के अतिरिक्त केवल एक वर्ग-I एवं एक वर्ग-II राजपत्रित अधिकारी थे और इसलिए तिमाही आधार पर हवाई कम्पनी से दरों को प्राप्त करने एवं समीक्षा करने के लिए एक समिति संस्थापित नहीं की जा सकी। मिशन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दरों की जांच तथा तिमाही आधार पर पैनल बनाने के लिए मिशन के प्रधान सहित अधिकारियों की एक समिति का गठन किया जा सकता था।

मंत्रालय ने पोर्ट मोरसवे तथा सुवा (फिजि), स्थित मिशनों के सम्बन्ध में बताया (नवम्बर 2005) कि उसके द्वारा अप्रैल 1989 तथा मई 1997 में जारी भा.त.आ.स. दिशानिर्देशों के अंतर्गत मिशन द्वारा इंडियन एयर लाइन्स/एयर इंडिया में पर्यटक/किफायती श्रेणी बुक की जा सकती थी और उसने केवल अक्तूबर 2003 में भा.त.आ.स./एस.सी.ए.पी.पी. प्रशिक्षणार्थियों को किसी भी एयरलाइन्स से भ्रमण टिकट पर यात्रा करने की अनुमति दी थी, जिसने सबसे किफायती किराया प्रस्तावित किया हो। उसने यह भी बताया कि अक्तूबर 2003 के अनुदेशों की प्राप्ति तक मिशन द्वारा किफायती श्रेणी हवाई यात्रा पर व्यय वहन करना सही में था क्योंकि ऐसा टिकटों की खरीद के समय लागू विद्यमान अनुदेशों के अनुसार था। उसने यह भी बताया कि दो मिशनों द्वारा केवल अक्तूबर 2003 के उपरान्त भा.त.आ.स./एस.सी.ए.ए.पी. प्रशिक्षणार्थियों के लिए किफायती पूर्ण किराया हवाई यात्रा पर वहनित किसी भी व्यय को, अतिरिक्त धारणात्मक व्यय निकालने के लिए लिया जा सकता था। उसने यह भी कहा कि कुछ वास्तविक कठिनाईयों के बावजूद, मिशन अब अनुदेशों का अनुसरण कर रहा था और भा.त.आ.स./एस.सी.ए.ए.पी. प्रशिक्षणार्थियों को भ्रमण किराया टिकटें उपलब्ध करा रहा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने खीकार किया है कि उसके पूर्ण अनुदेशों में अपेक्षित था कि मिशन सबसे सस्ते उपलब्ध भ्रमण किराए का लाभ उठाए। अक्तूबर 2003 में जारी अनुदेशों के अनुसार केवल इंडियन एयरलाइन्स /एयर इंडिया से टिकटें खरीदने की रोक हटा ली गयी थी और टिकटें किफायती पूर्ण किराया श्रेणी के लिए नहीं केवल किफायती पर्यटक श्रेणी के लिए खरीदी जानी थीं। इसके अतिरिक्त विभिन्न मिशनों ने पहले भी ऐसी ही अनियमितता की थी जिसको क्रमशः मार्च 1999 तथा मार्च 2002 को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 4.2 एवं 8.12 में लिया गया था। इसलिए यह तथ्य बरकरार है कि मिशन ने मंत्रालय के अनुदेशों का उल्लंघन करके परिहार्य अतिरिक्त व्यय वहन किया था।

#### 4.5 मू.व.क. वापसियों की गैर-वसूली

आठ मिशनों/केन्द्रों में मू.व.क. वापसियों के दावे के लिए उचित प्रक्रिया के अभाव के कारण 25.11 लाख रु. की गैर वसूली हुई।

विदेश में राजनियक मिशन/केन्द्र, मिशनों/केन्द्रों के संचालन एवं रखरखाव के व्यय पर अदा किए गए मूल्य वर्धित कर (मू.व.क.) की वापिसी के हकदार हैं। मिशनों/केन्द्रों को अदा किए गए मू.व.क. की राशि जो वापसी के लिए ग्राह्य है की पहचान, समय पर दावों को प्रस्तुत करने, अस्वीकृत दावों को आगे बढ़ाने तथा प्राप्त की वापसियों को प्रस्तुत दावों से मिलाने के लिए अभिलेखों के अनुरक्षण की आवश्यकता थी।

अप्रैल 2002 से जुलाई 2004 की अवधि के लिए आठ मिशनों/केन्द्रों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला मू.व.क. वापसी दावों के गलत प्रस्तुतीकरण, मानीटरिंग एवं अनुसरण के कारण 25.11 लाख रु की गैर वसूली हुई जिसका विवरण नीचे सारणी में दिया गया है:-

(लाख रु में)

क्र. सं.	मिशन/केन्द्र	अवधि	राशि (लाख रुपयों में)	टिप्पणियां
1.	भारतीय दूतावास, कोपनहेगन	जुलाई 2004 से नवम्बर 2004	1.03	दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था
			5.34	आवासीय पट्टों के उपयोगिता बिलों में मू.व.क. की राशि को वापसी दावों में फाइल पृथक रूप से नहीं दर्शाया गया था जिससे दावों की वापसियां को प्रस्तुत किया जा सके।
			1.84	दावे के प्रति पूर्ण वापिसी प्राप्त नहीं हुई
2.	भारतीय दूतावास, पेरिस	जुलाई 2003 से दिसम्बर 2003	3.58	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ मू.व.क. वापिसी को सम्मिलित करते हुए चांसरी के अतिरिक्त स्थानों पर स्थित विभिन्न मिशन स्कन्धों का पता उपलब्ध कराने में असफल रहा।</li> <li>➤ अपर्याप्त/अपूर्ण दस्तावेज</li> <li>➤ मूल बिलों का जमा न करना</li> <li>➤ उपयुक्त प्रमाण-पत्र की कमी</li> </ul>
3.	भारतीय महावाणिज्य दूतावास, मिलान	अप्रैल 2002 से मार्च 2004	5.16	दावा प्रस्तुत नहीं किया था
4.	भारतीय दूतावास, डब्लिन	अगस्त 2002 से जून 2003	4.79	उपयुक्त समर्थित दस्तावेजों के बिना दावा प्रस्तुत किया गया
5.	भारतीय दूतावास, ज़ागरेब	जनवरी 2002 से जुलाई 2004	0.15	दावा प्रस्तुत नहीं किया था
			1.36	दावा प्रस्तुत करने की अयोग्यता क्योंकि उपयोगिता बिल दूतावास के नाम नहीं थे
6.	भारतीय दूतावास, अलमाटी	जनवरी 2003 से दिसम्बर 2003	0.93	अनुपयुक्त प्रलेखन

क्र. सं.	मिशन/केन्द्र	अवधि	राशि (लाख रुपयों में)	टिप्पणियां
7.	भारतीय दूतावास, विश्वकेक	फरवरी एवं मार्च 2003	0.75	दावा प्रस्तुत नहीं किया था
8.	भारतीय महावाणिज्य दूतावास, पीटर्सबर्ग	मार्च 2003 से दिसम्बर 2003 सेन्ट	0.18	उपयुक्त समर्थित दस्तावेजों के बिना दावा प्रस्तुत किया गया।
	योग	25.11		

मामला मंत्रालय को अगस्त 2005 में प्रेषित किया गया था। उनका उत्तर जनवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

#### 4.6 अतिरिक्त परिहार्य व्यय

मंत्रालय ने “हज सद्भावना प्रतिनिधिमंडल 2005” के लिए पवित्र “हज” तीर्थ यात्रा शुरू होने से केवल दस दिन पहले पिछले वर्षों के लगभग 17 व्यक्तियों के संघटन को बढ़ाकर 36 करने के निर्णय का परिणाम उच्चतर दरों पर होटल के कमरों की बुकिंग पर 24.50 लाख रु. के अतिरिक्त व्यय में हुआ।

भारत सरकार हज तीर्थयात्रा के लिए प्रतिवर्ष 16 से 17 व्यक्तियों को समाविष्ट करते हुए एक हज सद्भावना प्रतिनिधिमंडल (प्रतिनिधिमंडल) भेजती है। तीर्थयात्रियों की अत्यधिक भीड़ होने के कारण, जेद्वा स्थित भारतीय मिशन अंतिम क्षणों में बुकिंग पर अतिरिक्त व्यय से बचने के लिए लगभग छः माह पहले प्रतिनिधियों के लिए होटल आवास आरक्षित करता है।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि मिशन ने मंत्रालय को वर्ष 2005 के लिए प्रतिनिधि मंडल के संघटन को सूचित करने का आग्रह किया (मई 2004) ताकि होटल आवास को भली भांति पहले से आरक्षित किया जा सके। मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई तथा अगस्त 2004) कि प्रतिनिधियों की संख्या तथा कमरों की आवश्यकता का अनुमान करना बहुत जल्दबाजी होगा। उन्होंने मिशन को पूर्व प्रथा के अनुरूप होटल के 17 कमरों को आरक्षित करने का सुझाव दिया। तदनुसार, मिशन ने प्रतिनिधि मंडल के लिए 6 जनवरी 2005 से 24 जनवरी 2005 तक 19 दिनों के लिए प्रति कमरा 23500 सऊदी रियाल के समकक्ष 2.76 लाख रु. एकमुश्त प्रति कमरा किराये पर होटल के 19 कमरों को आरक्षित कराया (जुलाई 2004)। मंत्रालय ने दिसम्बर 2004 में मिशन को पुष्टि की कि 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का 16 जनवरी 2005 को जेद्वा के लिए रवानगी का कार्यक्रम था। बाद में मंत्रालय ने हज तीर्थयात्रा प्रारम्भ होने से केवल 10 दिन पहले 7 जनवरी 2005 को मिशन को सूचित किया कि 36 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल उनके पति-पत्नी तथा उनके परिवार के दूसरे सदस्यों सहित 16 जनवरी 2005 को जेद्वा पहुंचेगा। मंत्रालय के अंतिम क्षणों में प्रतिनिधिमंडल के आकार को बढ़ाने के

निर्णय के कारण, मिशन को प्रतिनिधियों के लिए उस समय लागू उच्चतर दरों पर अतिरिक्त होटल आवास की व्यवस्था करनी पड़ी। मिशन ने 16 जनवरी 2005 से 24 जनवरी 2005 तक 9 दिनों के लिए प्रति कमरा 38340 सजदी रियाल के समकक्ष 4.51 लाख रु. एक मुश्त प्रति कमरा किराये पर 14 अतिरिक्त होटल के कमरों को आरक्षित किया। अतः मंत्रालय के अंतिम क्षणों में प्रतिनिधि मंडल के संघटन में बढ़ोतरी के निर्णय का परिणाम 24.50 लाख रु. के अतिरिक्त व्यय में हुआ।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2005) कि प्रतिनिधिमंडल के आकार के बारे में निर्णय प्रधानमंत्री के अनुमोदन से लिया गया था तथा 36 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के बारे में सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय से 7 जनवरी 2005 को प्राप्त हुई थी जिसे मिशन को उसी दिन सूचित कर दिया था। यह सरकार में बेहतर समन्वय की आवश्यकता की ओर इशारा करता है ताकि प्रतिनिधिमंडल का आकार भली भांती पहले से नियत किया जा सके। तात्कालिक मामले में, समय पर लिए गए निर्णय से 24.50 लाख रु. के अतिरिक्त व्यय को बचाया जा सकता था।

#### 4.7 'प्रचार' शीर्ष के अंतर्गत अनियमित व्यय

मंत्रालय के अनुदेशों तथा लेखापरीक्षा की पूर्व अभ्युक्तियों के बावजूद अकरा, अबिदजान, रवात, थिम्पु, डकार, लागोस तथा बैंकाक स्थित भारतीय मिशनों द्वारा 2001-2005 के दौरान 15.85 लाख रु. का व्यय 'प्रचार' शीर्ष के अंतर्गत गलत वर्गीकरण का परिणाम व्यय में मितव्यिता पर सरकारी अनुदेशों का उल्लंघन के अतिरिक्त मिशनों में व्यय को 'कार्यालय व्यय' शीर्ष के अंतर्गत समझने में हुआ।

विदेश में भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा प्रचार शीर्ष के अंतर्गत अनियमित व्यय के दृष्टान्तों पर बारंबार लेखापरीक्षा टिप्पणियों के परिणामस्वरूप मंत्रालय ने अनुदेश जारी किए (मार्च 1997) जिसके अनुसार केवल निम्नलिखित मदों के व्यय प्रचार शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करने के लिए योग्य होंगे:

- (i) भारत के दृष्टिकोण का प्रक्षेपित करने के लिए अभीष्ट प्रैस सम्मेलन,
- (ii) भारत पर सूचना के प्रसार के लिए मुद्रित तथा व्यय दृश्य प्रचार सामग्री,
- (iii) विशेषतौर पर प्रचार कार्य के लिए बने कार्यालय उपकरण जैसे कम्प्यूटर तथा फोटोकापीयर की खरीद,
- (iv) सीडिया से संबंधित मामले, जिसमें भारत की छवि को प्रक्षेपित करने वाले अभीष्ट कार्यकलाप समाविष्ट होंगे तथा
- (v) चांसरी में केवल/टी.वी./वी.सी.आर./डिश एन्टीना का संस्थापन।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मंत्रालय के अनुदेशों तथा लेखापरीक्षा की पूर्व अभ्युक्तियों के बावजूद अकरा, अबिदजान, रबात, थिम्पु, दुकार, लागोस तथा बैंकाक स्थित भारतीय मिशनों ने 2001-2005 के दौरान अग्राह्य मदों जैसे डी.एस.टी.वी. के लिए अंशदान तथा उच्चायोग के आवास पर ऐप्लीफायर का संस्थापन, डायरियों, कैलेन्डरों की खरीद, कार की बिक्री हेतु अग्रिम राजदूत के आवास के लिए रात्रि भोज के लिए कुर्सियों की खरीद, गोल्फ खेलकूद प्रतियोगिता आदि जिसका विवरण 'प्रचार' शीर्ष के अंतर्गत अनुबन्ध-ग में दिया गया था, पर 15.85 लाख रु. का व्यय गलत रूप से दर्ज किया गया था। चूंकि व्यय की मदों ने विदेश में भारत की छवि को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दिया था, ये 'प्रचार' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकरण के योग्य नहीं थी। इसके अतिरिक्त क्योंकि सरकार विशेषतौर पर 'कार्यालय व्यय' शीर्ष के अंतर्गत व्यय की मितव्यिता के पालन की आवश्यकता पर बारंबार बल दे रही थी, अग्राह्य मदों पर व्यय के दर्ज करने से अन्य मदों पर विशेष तौर पर 'कार्यालय व्यय' पर वास्तविक व्यय की प्रभावी न्यूनोक्ति हुई थी इस प्रकार व्यय की मितव्यिता पर सरकारी आदेशों का परिसीमन तथा उल्लंघन हुआ।

अकरा, अबिदजान तथा रबात स्थित मिशनों ने बताया (जून-जुलाई 2005) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों नोट कर ली गयी थी और भविष्य में व्यय सही रूप से वर्गीकृत किया जाएगा। थिम्पु स्थित मिशन ने बताया (जुलाई 2005) कि व्यय अनजाने में 'प्रचार' शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया था और मंत्रालय को इसे नियमित करने के लिए कहा जाएगा। तथापि, डकार स्थित मिशन ने इस आधार पर 'प्रचार' शीर्ष के अंतर्गत दूतावास आवास के लिए कुर्सियों की खरीद पर किए गए 0.87 लाख रु. के व्यय के वर्गीकरण को न्यायोचित ठहराया कि दूतावास आवास पर फिल्मों के प्रक्षेपण सहित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कुर्सियों की आवश्यकता थी क्योंकि चांसरी परिसर में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कोई हाल या सभागार नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि दूतावास आवास के लिए कुर्सियां की खरीद के लिए किया गया व्यय मिशन का एक सामान्य कार्यकलाप था और प्रचार शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए योग्य नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला इंगित करने पर मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2005) कि बाह्य प्रचार डिविज़न ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सभी सात मिशनों को सूचित कर दिया था जिन्होंने भविष्य में इस सम्बन्ध के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया। उसने आगे यह भी बताया कि उसकी बाह्य 'प्रचार' डिविज़न ने व्यय को 'प्रचार' शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज करने से सम्बन्धित निर्देशों को सभी मिशनों को दोहराया था (सितम्बर 2005)।

अनुबन्ध-क  
(पैराग्राफ सं. 4.1.8 के संदर्भ में)

पुस्तकों की आपूर्ति एवं दोपहर के भोजन के सम्बन्ध में वसूली योग्य राशि का विवरण

(लाख रु. में<sup>12</sup>)

क्रम सं.	मिशन/केन्द्र का नाम	वसूली योग्य राशि		की गई वसूली	बकाया राशि
		स्थानीय मुद्रा			
1.	आशगाबत	3458.60 अमरीकी डा.	1.52	शून्य	1.52
2.	बूकारेस्ट <sup>13</sup>	7232.07 अमरीकी डा. 385 यूरो	3.41	0.66	2.75
3.	कोपेनहेंगन	3099.95 क्रोनर	0.24	शून्य	0.24
4.	जेनेवा	5330.31 फ्रैंक	1.97	शून्य	1.97
5.	हेलसिंकी	1497.00 यूरो	0.86	0.30	0.56
6.	मिस्क	902.00 अमरीकी डा.	0.40	शून्य	0.40
7.	म्यूनिख	1638.80 यूरो	0.94	शून्य	0.94
8.	पेरिस	6707.90 यूरो	3.86	शून्य	3.86
9.	हेग	4001.90 यूरो	2.30	शून्य	2.30
10.	ब्लादिवोस्टाक	1143.20 अमरीकी डा.	0.50	शून्य	0.50
	योग		16.00	0.96	15.04

<sup>12</sup> मार्च 2005 के लिए शासकीय विनिमय दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तित

<sup>13</sup> पुस्तकों की आपूर्ति एवं दोपहर के भोजन के सम्बन्धन में, शेष केवल पुस्तकों की आपूर्ति के सम्बन्ध में है।

## अनुबंध-ख

(पैराग्राफ सं. 4.3 के संदर्भ में)

## मिशनों/केन्द्रों द्वारा अत्यधिक नकद शेष के अवरोधन के कारण ब्याज की हानि दर्शाने वाली विवरणी

(लाख रु. में)

मिशन/केन्द्र	लेखापरीक्षा में अवधि परीक्षित	महीनों की संख्या जिस दौरान अत्यधिक नकद रखा गया	इन महीनों के दौरान न रखे गए अत्यधिक नकद की कुल रशि	9.24 प्रतिशत दर से ब्याज की हानि
अबिदजान	अप्रैल 2001 से मार्च 2005	9	51.41	0.39
अम्मान	दिसम्बर 2001 से जनवरी 2005	24	228.79	1.76
अन्तानारियो	अप्रैल 2002 से नवम्बर 2004	23	373.25	2.87
बहरीन	मई 2003 से नवम्बर 2004	9	19.06	0.15
केपटाउन	अप्रैल 2002 से अगस्त 2004	7	166.38	1.28
गेब्रोन	अप्रैल 2002 से जून 2005	23	1180.94	9.09
जेनेवा	जनवरी 2004 से दिसम्बर 2004	6	624.96	4.81
हो.ची.मिन्ह सिटि	अप्रैल 2001 से नवम्बर 2004	31	541.69	4.17
हाँककाँग	अप्रैल 2004 से मार्च 2005	11	197.96	1.52
लागोस	अप्रैल 2001 से जून 2005	41	2909.34	22.40
लुआन्डा	अप्रैल 2002 से जून 2005	11	313.03	2.41
मिस्क	अक्टूबर 2001 से जनवरी 2005	30	814.96	6.30
पेरिस	जुलाई 2003 से अगस्त 2004	8	2091.67	16.11
प्रिटोरिया	अप्रैल 2002 से मई 2005	18	3800.22	29.26
रबात	अप्रैल 2002 से मार्च 2005	16	164.85	1.27
साना	मई 2002 से मार्च 2005	25	581.53	4.48
सेनेगल	अप्रैल 2001 से मार्च 2005	18	319.31	2.46
थाईलैण्ड	अप्रैल 2003 से मार्च 2005	24	2020.98	15.56
तेल अवीव	जून 2003 से अप्रैल 2005	21	1217.55	9.37
हेग	मार्च 2004 से जनवरी 2005	4	360.40	2.78
थिम्पू	अप्रैल 2002 से मई 2005	22	3771.46	29.04
ट्यूनिस	अगस्त 2001 से अगस्त 2002	10	168.21	1.29
वियाना	फरवरी 2004 से जनवरी 2005	7	275.74	2.12
विंडहोक	जून 2001 से मई 2005	26	612.12	4.71
जागरेब	जनवरी 2002 से जून 2004	19	455.99	3.51
योग				179.11

## अनुबंध-ग

(पैराग्राफ 4.7 के संदर्भ में)

प्रचार शीर्ष के अन्तर्गत मिशनों द्वारा गलत दर्ज किए गए व्यय का विवरण

क्र. सं.	मिशन का नाम	वर्ष	विवरण का वर्णन	राशि (लाख रु. में)
1.	अकरा (घाना)	2002-03	फोटो कापी कागज, डायरीज/कैलेन्डर एवं राजनायिक वार्षिक पुस्तिका	0.26
		2003-04	पीतल संकेतक बोर्ड का रंग रोगन, कैलेन्डर घड़ी का स्थिरीकरण तथा भारत गृह के लिए अंशदान प्रभार	0.29
		2004-05	देश के प्रतिवेदनों के लिए अंशदान और भारत गृह के लिए एंटीना की खरीद	0.03
2	अविद्यान	2002-03	टैक्सी किराये पर लेना और ब्याज की क्षतिपूर्ति	1.20
		2003-04	टैक्सी/वैन को किराये पर लेना, अंग्रेजी शब्द कोष की लागत, कार बिक्री की घोषणा गणतंत्र दिवस समारोह <sup>14</sup> तथा छायाचित्रों के लिए भुगतान	0.48
		2004-05	पुनर्जल्तर जारी करने की लागत और छोटे-मोटे रोकड़ की अदायगी	0.18
3.	रबात (मोरेकको)	2001-02	डाक टिकट	0.10
		2004-05	एक स्मार्ट कार्ड की खरीद और अंशदान	0.35
4.	थिम्पू (भूटान)	2002-03 से	गोल्फ खेल प्रतियोगिता के लिए रात्रि भोजन	1.76
		2004-05	- do -	0.55
		इन्टरनेट प्रभार।		
5.	डकार सेनेगल	2001-02	दूतावास निवास के लिए स्थानिय समाचार पत्र पैड और निमंत्रण कार्ड का मुद्रण और कुर्सियों की खरीद	1.33
		2002-03 से	बैंक ड्राफ्ट प्रभार और अ.वि.नि. पत्रिका के लिए अंशदान	0.13
		2003-04		
		2004-05	फोलडर और पेपर की खरीद	0.06
6.	लागोस (नाइजीरिया)	2001-02	उच्चायुक्त, प्रथम सचिव द्वितीय सचिव और भारत आधारित अधिकारियों के निवास स्थानों पर डी.एस.टी.वी. के लिए अंशदान, उच्चायुक्त के निवास पर एम्पलीफायर का संरक्षण दूतावास और अन्य आवासों पर बूस्टर/एन्टीना का संरक्षण और पुस्तकों की अलमारियों की खरीद	3.82
		2002-03	उच्चायुक्त और द्वितीय सचिव के निवास के लिए डी.एस.टी.वी. के लिए अंशदान, उच्चायोग निवास के लिए डी.एस.टी.वी. के अंशदान का नवीनीकरण, स्टाफ सदस्यों के निवास के लिए डी.एस.टी.वी. चैनल के वितरण हेतु भुगतान और पुस्तकालय के रेकों का रंग रोगन	2.13
		2003-04	प्रथम सचिव/द्वितीय सचिव के निवास के लिए डी.एस.टी.वी. के लिए अंशदान, लेखन सामग्री और डाक टिकटों की खरीद	1.31
		2004-05	प्रथम सचिव के निवास पर लेखन सामग्री और टी.वी. की खरीद	0.30
7.	बैंकाक (थाईलैंड)	2003-04	स्वतंत्रता दिवस <sup>15</sup> के समारोह, दूतावास के मुद्रण और वाणिज्य दूत संघ के लिए इन्टरनेट प्रभार	1.03
		2004-05	निवास में लगे यू.बी.सी. केवल प्रभार	0.40
			कुल योग	15.85

<sup>14</sup> गणतंत्र दिवस समारोहों के लिए मंत्रालय ने मिशनों को अलग निधियां प्रदत्त की थी।<sup>15</sup> स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए मिशनों को अलग निधियां प्रदत्त की थी।

## अध्याय V : वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

आयकर विभाग

## 5.1 त्रुटिपूर्ण सम्पत्ति प्रबन्धन

आयकर विभाग (विभाग) की कार्यालय तथा रिहायशी प्रयोजनों के लिए अधिग्रहित भूमि तथा भवनों का उपयोग करने में अनुचित योजना तथा लापरवाह दृष्टिकोण को परिणाम 2 तथा 12 वर्षों के बीच की सीमा अवधि के लिए 50.37 करोड़ रु. के निष्क्रिय रहने एवं किराए पर लिए गए भवनों पर व्याज/बढ़त प्रभारों एवं किराया भुगतान पर 11.55 करोड़ रु. के परिहार्य व्यय में हुआ। विभाग ने मार्च 2003 तथा फरवरी 2005 के बीच रिक्त भवन के अनुरक्षण पर 1.23 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय भी वहन किया और फरवरी 2005 के बाद अन्य किराए तथा रिक्त भवनों के किराए तथा अनुरक्षण पर 5.74 करोड़ रु. प्रतिवर्ष का व्यय वहन करना जारी रखा।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.) ने आयकर विभाग (विभाग) के अधिकारियों तथा स्टाफ को कार्यालय तथा रिहायशी आवास उपलब्ध कराने के विचार से दिल्ली तथा इसके आसपास भूमि, बने बनाए भवनों तथा रिहायशी आवासों को अधिग्रहीत करने का निर्णय लिया (1989-1995)। विभाग ने मार्च 1992 तथा जनवरी 2000 के बीच निम्नलिखित भूखण्डों तथा भवनों को खरीदा:

- क. वैशाली, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश स्थित बना-बनाया कार्यालय भवन,
- ख. कार्यालय परिसर के लिए सामुदायिक केन्द्र साकेत, नई दिल्ली स्थित एक भूखण्ड, और
- ग. कार्यालय परिसर के लिए जिला केन्द्र, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली स्थित एक भूखण्ड।

लेखापरीक्षा ने भूमि तथा भवनों की खरीद तथा उपयोगिता में विभिन्न अनियमितताएं तथा त्रुटियों का पता लगाया (जून-अगस्त 2005) जिनकी चर्चा परवर्ती पैराग्राफों में की गयी है।

## (क) वैशाली गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश स्थित बना -बनाया कार्यालय भवन

विभाग ने मयूर भवन तथा झंडेवालान, नई दिल्ली से अपने कार्यालयों को स्थानांतरित करने के लिए वैशाली, गाजियाबाद (उ.प्र.) स्थित एक बने बनाए आवास को अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया (जुलाई 1994)। वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने गा.वि.प्रा. से 19.94 करोड़ रु. की लागत पर वैशाली स्थित 15000 वर्ग मीटर माप के बने बनाए कार्यालय स्थल की खरीद के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्थीकृति प्रदान की (दिसम्बर 1996)। गा.वि.प्रा. से जनवरी 2000 में भवन का कब्जा लेने के उपरान्त, विभाग ने के.लो.नि.वि. से 16.81 करोड़ रु.<sup>1</sup> की लागत पर सिविल तथा विद्युत निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया (फरवरी 2003)। यद्यपि भवन फरवरी 2003 में उपयोग के लिए तैयार था, विभाग ने उसमें मयूर भवन तथा झंडेवालान, नई दिल्ली से अपने कार्यालयों को स्थानांतरित नहीं किया क्योंकि उसकी स्थायी समिति के इस आधार पर इसके विपरित सलाह दी (मार्च 2003) कि निर्धारितियों को असुविधा होने के साथ साथ इससे विधिक समस्याएं सृजन होंगी क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आंने वाले दिल्ली आधारित निर्धारितियों को अपने विवादों के निपटान के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास जाना होगा। सीमान्त राज्य में सम्पत्ति का अधिग्रहण आने वाली उलझानों/समस्याओं की जांच के संबंध में के.प्र.क.बो. द्वारा विभाग को दिए गए अनुदेशों (नवम्बर 1994) के बावजूद ऐसा हुआ। वैशाली स्थित भवन की खरीद करते समय इस महत्वपूर्ण विधिक पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि विभाग भवन के केवल दो तलों का उपयोग कर रहा था और 10 तल निरन्तर रिक्त रहे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि यद्यपि विभाग ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए तीन तल आवंटित किए थे, अक्टूबर 2005 तक ये अप्रयुक्त रहे। भवन के दस तलों की अनुपयोगिता का परिणाम अनुपातिक आधार पर परिकलित 30.06 करोड़ रु. की निधियां दो से अधिक वर्षों के लिए निष्क्रिय रहने में हुआ। इसके अतिरिक्त विभाग ने मार्च 2003 से फरवरी 2005 तक मयूर भवन तथा झंडेवालान, नई दिल्ली स्थित कार्यालयों के किराए पर 10.24 करोड़ रु. का व्यय वहन किया। विभाग ने मार्च 2003 से फरवरी 2005 तक अनुपातिक आधार पर परिकलित भवनों के रिक्त तलों के सिविल तथा विद्युतीय अनुरक्षण पर 1.23 करोड़ रु. का व्यय भी वहन किया। 5.74 करोड़ रु. (किराया: 5.12 करोड़ रु. एवं अनुरक्षण: 62 लाख रु.) प्रति वर्ष का न्यूनतम आवर्ती व्यय भी जारी रहा। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2006) कि राष्ट्रीय कम्प्युटर केन्द्र स्थापित करने के लिए समस्त भवन म.नि. (प्रणाली) को आवंटित कर दिया गया था। यह इस मुद्दे को रेखांकित करता है कि भवन को जिस प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत किया गया था उसके

<sup>1</sup> सिविल निर्माण कार्यों में 10.46 करोड़ रु. के फर्नीचर, 6.35 करोड़ रु. के विद्युत निर्माण कार्य सम्मिलित हैं।

लिए उपयोग नहीं किया गया था और इसकी खरीद से पूर्व विधिक समस्याओं की जांच नहीं की गयी थी। भवन के महत्वपूर्ण भाग का निरन्तर अनुप्रयोग 2005 तक जारी रहा।

#### (ख) सामुदायिक केन्द्र साकेत, नई दिल्ली स्थित भूखण्ड

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने 15.30 करोड़ रु. के प्रीमियम पर एक कार्यालय भवन के निर्माण के लिए विभाग को नवम्बर 1992 में साकेत, नई दिल्ली में 2100 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की। आवंटन की नियम व शर्तों के अनुसार दि.वि.प्रा. को भुगतान 31 जनवरी 1993 तक किया जना था। क्योंकि विभाग ने भुगतान 31 मार्च 1993 को किया था, उसे 18 प्रतिशत की दर पर ब्याज, जो 45.90 लाख रु. परिकलित किया गया, का भुगतान करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यह सुनिश्चित किए बिना कि भूमि समस्त बाधाओं से मुक्त थी दि.वि.प्रा. को उपरोक्त भुगतान किया गया था। विभाग के अधिकारियों के एक दल ने (अगस्त 1995) तथा (अगस्त 1996) में स्थल का निरीक्षण किया और यह पाया कि एक सीवर लाइन, एक पानी की अनुवर्ती वाली लाइन, तीन आच्छादित बरसाती नाली और दि.न.नि. द्वारा निर्मित एक पक्की सड़क भूखण्ड के बीच से जा रही थी। इसके अतिरिक्त प्लाट के साथ से एक नाला भी बह रहा था। लोग सड़क का उपयोग एक आम रास्ते के रूप में उपयोग कर रहे थे। क्योंकि विभाग के लिए उस भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण कार्यान्वयित करना संभव नहीं था, उसने दि.वि.प्रा. से ऐसी सभी बाधाओं से मुक्त दूसरा भूखण्ड आवंटित करने का अनुरोध किया था (सितम्बर 1996)। तथापि, विभाग ने फरवरी 1997 में बाधाओं को हटाए बिना ही प्लाट का कब्जा ले लिया। इस कार्रवाई के कारण रिकार्ड में नहीं थे। यद्यपि आठ वर्ष बीत गए थे, विभाग ने भवन का निर्माण करने के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए अभी तक कार्रवाई प्रारम्भ करनी थी।

अतः विभाग के खरीद का परिणाम 15.64 करोड़ रु. (भूमि की लागत: 15.30 करोड़ रु. स्टैम्प ड्यूटी: 30.50 लाख रु.) की राशि के निवेश 12 वर्षों से अधिक समय के लिए निष्क्रिय रहने में हुआ। इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. को भूमि प्रीमियम के विलम्बित भुगतान का परिणाम ब्याज के भुगतान के कारण 45.90 लाख रु. के अतिरिक्त परिहार्य व्यय में हुआ। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रत्युत्तर में विभाग ने बताया (फरवरी 2006) कि उसे दि.वि.प्रा. जैसे सरकारी अभिकरण से ऐसे भूमि के आवंटन संभावना नहीं थी जिसका विभिन्न बाधाओं के कारण उपयोग नहीं किया जा सके। यह विभाग की खरीदी गई भूमि के सभी बाधाओं से मुक्त होने की सुनिश्चिता के बाद से छुटकारा नहीं दिला सकती।

### (ग) लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली स्थित भूखण्ड

विभाग ने एक बहुमंजिला कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली में भूमि के आवंटन हेतु दि.वि.प्रा. से सम्पर्क किया (अक्टूबर 1999)। दि.वि.प्रा. ने 20 सितम्बर 1990 तक अदा किए जाने वाले 4.05 करोड़ रु. के कुल प्रीमियम पर 399.53 वर्ग मीटर माप के दो निकटवर्ती प्लॉट प्रस्तावित किये (अगस्त 1990)। विभाग के अनुरोध पर दि.वि.प्रा. ने यह तिथि 25 अक्टूबर 1991 तक बढ़ा दी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने वित्त मंत्रालय द्वारा नवम्बर 1991 में प्रदान की गयी प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्थीकृति के उपरान्त मार्च 1992 में राशि अदा की। फलस्वरूप विलम्बित भुगतान पर ब्याज के रूप में 81.97 लाख रु. अदा करने पड़े थे (मार्च 1993)। दिसम्बर 1995 में मंत्रालय ने 7.88 करोड़ रु. की कुल लागत पर प्लॉटों पर भवन के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी संस्थीकृति प्रदान की। विभाग द्वारा दमकल विभाग तथा दिल्ली विद्युत बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब का परिणाम निर्माण करने में जून 2003 तक विलम्ब में हुआ। फलस्वरूप विभाग ने दि.वि.प्रा. को देरी के कारण 2.99 लाख रु. के विस्तार प्रभारों को भुगतान किया।

अतः भूमि की खरीद तथा भवन के निर्माण प्रारम्भ करने में विभिन्न विलम्बों का परिणाम 11 वर्षों से अधिक के लिए 4.05 करोड़ रु. के निवेश के निष्क्रिय रहने और ब्याज तथा विस्तार प्रभारों पर 84.96 लाख रु. के भुगतान पर परिहार्य व्यय में हुआ।

अतः कार्यालय तथा रिहायशी प्रयोजनों के लिए अधिग्रहीत भूमि तथा भवनों का उपयोग करने से विभाग की अनुचित योजना तथा गंभीरता की कमी के निम्नलिखित परिणाम निकले:

- (i) तीन मामलों में 2 तथा 12 वर्षों के बीच की अवधियों के लिए 50.37 करोड़ रु. की निधियां निष्क्रिय रही,
- (ii) ब्याज तथा विस्तार प्रभारों पर 1.31 करोड़ रु. (45.90 लाख रु.+81.97 लाख रु.+2.99 लाख रु.) का परिहार्य व्यय,
- (iii) वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र. में कार्यालय आवास के नियोजन के रूप में अधिग्रहीत भवन का उपयोग करने में विफलता का परिणाम अन्य भवनों के किराए पर 10.24 करोड़ रु. के अतिरिक्त व्यय में हुआ, तथा
- (iv) वैशाली, गाजियाबाद स्थित रिक्त भवन के अनुरक्षण पर 1.23 करोड़ रु. का व्यय। ऐसा अतिरिक्त व्यय 5.12 करोड़ रु. तथा 62 लाख रु. की न्यूनतम दर पर जारी था।

### आर्थिक मामले विभाग

#### 5.2 अनुचित योजना के कारण निवेश की निष्क्रियता

भारत सरकार टकसाल, नोएडा ने अपनी गृह आवश्यकताओं का उचित मूल्यांकन किए बिना 96 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया जिसका परिणाम 58 क्वार्टरों (60 प्रतिशत) के खाली रहने और फलस्वरूप 2.29 करोड़ रु. के निवेश के निष्क्रिय रहने में हुआ। स्टाफ जिनके लिए क्वार्टरों का निर्माण किया गया था को 43.51 लाख रु. का गृह किराया भत्ता अदा किया गया तथा 5.63 लाख रु. के लाइसेंस शुल्क की हानि हुई।

भारत सरकार टकसाल (टकसाल) नोएडा ने 184 स्टाफ क्वार्टरों को दो फेज़ों-फेज़-I में 96 क्वार्टर और फेज़-II में शेष 88 के निर्माण के लिए न्यू ऑखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) से 1.14 करोड़ रु. मूल्य के 25865.25 वर्ग मीटर भूमि को खरीदा (अक्तूबर 1986)। भूमि के आवंटन की शर्तों और अनुबंधों के अनुसार भूमि के आवंटन से तीन वर्षों के भीतर अर्थात अक्तूबर 1989 तक निर्माण पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला (अप्रैल 2005) कि फेज़-I के अंतर्गत 96 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण 2.26 करोड़ रु. की लागत पर दिसम्बर 1998 में पूरा हुआ था। पहुंच विलेख के कार्यान्वयन में विलम्ब, प्राधिकरण द्वारा नक्शे की अस्वीकृति, विद्युत कनेक्शन की देर से स्वीकृति और श्रम समस्याओं के कारण 9 वर्षों के विलम्ब के लिए टकसाल ने प्राधिकरण को 42.03 लाख रु. (जनवरी 1995 में 27.23 लाख रु. और दिसम्बर 1998 में 14.80 लाख रु.) विस्तार प्रभार के रूप में अदा करने पड़े। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेख समस्याओं को दूर करने के लिए टकसाल द्वारा की गई पर्याप्त कार्रवाई को नहीं दर्शाते थे। मार्च 2005 तक स्टाफ द्वारा केवल 38 क्वार्टरों (40 प्रतिशत) को आवंटित और अधिकृत किया गया था। टकसाल ने क्वार्टरों की कम अधिभोग का जिम्मेदार कर्मचारियों से कम मांग को ठहराया (अप्रैल 2005) क्योंकि कुछ कर्मचारियों ने अपने मकानों का निर्माण कर लिया था। तदोपरान्त आवेदकों की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फेज़-II के अंतर्गत शेष 88 क्वार्टरों का निर्माण नहीं करने का निर्णय लिया गया था।

अतः टकसाल ने 96 क्वार्टरों के निर्माण की परियोजना को आरम्भ करने से पहले वास्तविक गृह आवश्यकता का मूल्यांकन नहीं किया था जिसका परिणाम 3.82 करोड़ रु.\* के निवेश को सम्मिलित करके 58 क्वार्टर (60 प्रतिशत) के खाली पड़े रहने में हुआ। आनुपातिक आधार पर इस प्रकार 2.29 करोड़ रु. के निवेश निष्क्रिय पड़े थे।

\* भूमि की लागत-1.14 करोड़ रु.+विस्तार प्रभार - 0.42 करोड़ रु.+निर्माण की लागत 2.26 करोड़ रु.

जबकि क्वार्टर खाली पड़े थे टकसाल ने अपने कर्मचारियों, जिनके लिए क्वार्टरों का निर्माण किया गया था, को गृह किराया भत्ते के रूप में 43.51 लाख रु. अदा किये थे। टकसाल को 5.63 लाख रु. की हानि हुई जो लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त की होती यदि क्वार्टरों को अधिकृत किया गया होता।

लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित किये जाने पर मंत्रालय ने क्वार्टरों के निर्माण में विलम्ब को स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2005) कि निर्माण पूरा होने का अपेक्षित वर्ष (1993) और पूर्ण होने का वास्तविक वर्ष (1998) में लम्बी अवधि का अन्तर होने के कारण क्वार्टरों की मांग के दृश्य में पूरा बदलाव आ गया था क्योंकि अधिकांश स्टाफ ने अपने घरों का निर्माण कर लिया था। खाली पड़े क्वार्टरों के उपयोग के सम्बन्ध में मंत्रालय ने बताया कि के.ओ.सु.ब. कर्मचारियों को आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात किया जायेगा जिनके लिए 75 क्वार्टरों को चिन्हित किया गया था। किन्तु इस मामले में जनवरी 2006 तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

## अध्याय VI : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

### 6.1 सहायता अनुदान का अविवेकपूर्ण जारी होना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सामान्य वित्तीय नियमावली तथा वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 2001-02 से 2003-04 के दौरान चार स्वायत्त निकायों को 3.28 करोड़ रु. जारी किए यद्यपि ये निकाय पर्याप्त आंतरिक संसाधन उत्पन्न कर रहे थे और व्यय पर आय की अधिकता को दर्शा रहे थे।

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 148(4) में प्रावधान था कि ऐसे मामले जहां एक समिति या संगठन जिसे लाभ की संभावना है को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया था सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहायता अनुदान प्रदान करने की साध्यता पर वित्त मंत्रालय से परामर्श करके विशेष रूप से विचार करना चाहिए। राजकोषीय सावधानी तथा संयम सहित व्यय प्रबन्धन पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सितम्बर 2004 में जारी दिशानिर्देशों में अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया कि ऐसे मामले थे जिनमें मंत्रालय स्वायत्त निकायों को वर्ष दर वर्ष निधियां जारी कर रहे थे यद्यपि इन निकायों के पास पर्याप्त शेष उपलब्ध थे जो अप्रयुक्त पड़े थे और बैंकों के पास जमा रखे हुए थे। मंत्रालय को ऐसे मामलों में निधियां जारी न करने की सलाह दी गयी थी। स्वायत्त निकायों को जारी निधियों को नियमित करने का उत्तरदायित्व सम्बद्ध मंत्रालयों के वित्त सलाहकारों के पास था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मंत्रालय ने सामान्य वित्तीय नियमावली और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके 2001-02 से 2003-04 के दौरान चार स्वायत्त निकायों को अनुदान जारी किए यद्यपि इन निकायों के पास आवेदन प्रपत्रों की बिक्री और पंजीकरण निरीक्षण मान्यता एवं नवीकरण शुल्क और निवेशों से ब्याज आदि के कारण की गयी वसूलियों से उत्पन्न पर्याप्त आंतरिक संसाधन थे तथा वार्षिक लेखाओं में व्यय पर आय की अधिकता को भी दर्शाया था।

2001-02 से 2003-04 के वर्षों के दौरान इन स्वायत्त निकायों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:

नाम वर्ष	भारतीय चिकित्सा परिषद			भारतीय भेषज परिषद			राष्ट्रीय परोक्ष बोर्ड			भारतीय दन्त्य परिषद			(लाख रु. में)
	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	
सहायता अनुदान	58.00	60.00	60.00	11.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	28.00	25.00	16.00	
अपने संसाधनों से आय	664.56	1107.16	938.30	122.15	93.08	109.47	498.05	658.51	935.62	159.00	214.70	217.53	
व्यय पर आय की अधिकता <sup>1</sup>	267.40	665.46	203.35	30.34	10.55	36.02	154.76	272.20	545.32	44.66	83.32	16.49	

<sup>1</sup> इसमें इन वर्षों के दौरान जारी सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

अतः मंत्रालय ने 2001-02 से 2003-04 के दौरान 3.28 करोड़ रु. की राशि के अनुदानों को अविवेकपूर्ण ढंग से जारी किया जो बजट नियंत्रण में शिथिलता का सूचक था।

मामला मंत्रालय को जून 2005 में प्रेषित किया गया था। उनका उत्तर फरवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

### 6.2 रोगी देखभाल भत्ते का अनियमित भुगतान

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (म.नि.स्वा.से.), केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (के.स.स्वा.यो.) मंडल, नई दिल्ली तथा के.स.स्वा.यो., मुख्यमंत्री ने सरकारी आदेशों का उल्लंघन करके अपात्र कर्मचारियों को 2.17 करोड़ रु. की राशि के रोगी देखभाल भत्ते का अनियमित भुगतान किया।

भारत सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) ने 29 दिसम्बर 1998 से रोगी देखभाल भत्ता (रो.दे.भ.) 140 रु से 690 रु प्रतिमाह संशोधित किया (जनवरी 1999)। तथापि, रो.दे.भ., के.स.स्वा.यो. औषधालयों में कार्यरत ग्रुप 'ग' और 'घ' (अलिपिक-वर्गीय) कर्मचारियों को देय था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन के पैराग्राफ 10.1 में उल्लेख किया गया था कि अपर निदेशक, के.स.स्वा.यो. ने सरकारी आदेशों का उल्लंघन करके अपात्र अलिपिकवर्गीय कर्मचारियों को रो.दे.भ. का भुगतान किया था। ऐसी ही अनियमितता के.स.स्वा.यो. पुणे द्वारा की गयी थी जिसको भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन के पैराग्राफ 8.3 में पुनः इंगित किया गया था। मंत्रालय ने बाद के पैराग्राफ के उत्तर में बताया (सितम्बर 2004) कि समस्त कर्मचारियों को रो.दे.भ. प्रदान करने के लिए एक टिप्पणी मंत्रीमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत की थी जिस पर अंतिम निर्णय प्रतीक्षित था।

म.नि.स्वा.से. (के.स.स्वा.यो. मंडल) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि मंत्रीमंडल का अंतिम निर्णय प्रतीक्षित था तथा म.नि.स्वा.से. ने पूर्व लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर तुरन्त प्रभावी तिथि से अपात्र कर्मचारियों को रो.दे.भ. का भुगतान रोकने का निर्णय लिया, विभाग ने म.नि.स्वा.से. मुख्यालयों अपने क्षेत्रीय कार्यालयों तथा चिकित्सा भंडार डिपो, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली स्थित अपात्र कर्मचारियों को रो.दे.भ. का भुगतान जारी रखा। इसके उपरान्त म.नि.स्वा.से. (के.स.स्वा.यो. मंडल) ने अपात्र कर्मचारियों को रो.दे.भ. के अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में अपने मार्च 2003 के पूर्व आदेशों को स्थगित करने के आदेश जारी किए (जून 2003)। समय-समय पर विस्तार की अनुमति द्वारा आदेशों का स्थगन जारी रहा। अंतिम विस्तार 1 जून 2005 तक था। इसके कारण वर्ष 2001-02 तथा 2003-04 के

लिए किया गया अनियमित भुगतान 1.16 करोड़ रु. परिकलित किया था। 2002-03 के दौरान इसके कारण किए गए भुगतान का विवरणों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया था।

इसी प्रकार जनवरी 1999 से मार्च 2005 तक की अवधि के लिए के.स.स्वा.यो., मुम्बई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 196 अपात्र कर्मचारियों को 1.01 करोड़ रु. की राशि के रो.दे.भ. का भुगतान किया गया था।

मंत्रालय ने उपरोक्त संदर्भित दोनों पैराग्राफों के सम्बन्ध में अपनी अनुवर्ती कार्यवाही टिप्पणी में दोहराया (अगस्त 2005), कि समस्त अपात्र कर्मचारियों से रो.दे.भ. की वसूली के लिए म.नि.स्वा.से. द्वारा जारी आदेशों को खण्डित रखा था। अवधि को आगे बढ़ाने का एक प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विचाराधीन था। उसने यह भी बताया कि वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशासनिक विभाग अपात्र कर्मचारियों को रो.दे.भ. प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। इसके उपरान्त म.नि.स्वा.से. ने बताया (अक्टूबर 2005) कि मामले को सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 16 सितम्बर 2005 को एक टिप्पणी मंत्रीमंडल सचिवालय को भेजी गई थी।

### 6.3 विद्युत और जल प्रभारों की गैर-वसूली

सफदरजंग अस्पताल ने नर्स छात्रावास में पृथक घरेलू विद्युत मीटर प्रतिष्ठापित नहीं किए और विद्युत की घरेलू खपत पर उच्च वाणिज्यिक दर पर 48.55 लाख रु. का व्यय वहन किया। अस्पताल मई 1999 से दिसम्बर 2004 की अवधि के लिए विद्युत और जल प्रभारों के रूप में अधिभागियों द्वारा देय 65.79 लाख रु. की वसूली करने में भी विफल रहा।

सफदरजंग अस्पताल (अस्पताल) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि अस्पताल ने 1988-89 में निर्मित नर्स छात्रावास (छात्रावास) में न तो पृथक व्यक्तिगत मीटरों को प्रतिष्ठापित करने हेतु कोई कार्रवाई की न ही उसने अधिभागियों से विद्युत और जल प्रभारों की कोई वसूली की। के.लो.नि.वि. द्वारा अस्पताल को इंगित किये जाने के बाद (दिसम्बर 1998) कि छात्रावास की मासिक विद्युत खपत 30,000 से 35,000 यूनिट थी, अस्पताल ने 1 मई 1999 से अधिभागियों से विद्युत और जल प्रभार की वसूली क्रमशः 200 रु और 20 रु प्रति कमरा एक समान मासिक दर पर करने के आदेश जारी किये थे (जून 1999)। दिल्ली नर्स संघ ने इन आदेशों पर आपत्ति उठाई (जुलाई 1999) और सूचित किया कि पृथक व्यक्तिगत मीटरों को प्रतिष्ठापित करने के बाद आवासी बिलों के भुगतान करने को तैयार थे। तथापि, दिसम्बर 2004 तक अस्पताल ने छात्रावास में व्यक्तिगत घरेलू मीटर प्रतिष्ठापित नहीं करवाए थे। यद्यपि अस्पताल विद्युत और जल प्रभार की कोई वसूली नहीं कर रहा था, उसने मई 1999 तथा दिसम्बर 2004 के बीच घरेलू खपत विद्युत के लिए उच्चतर वाणिज्यिक प्रशुल्क (के.लो.नि.वि. द्वारा आकलित 30,000 इकाईयों की न्यूनतम मासिक खपत के आधार

पर लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित)<sup>1</sup> पर नई दिल्ली नगर पालिका को 1.20 करोड़ रु अदा किये थे। अस्पताल 65.79 लाख रु (64.60 लाख रु विद्युत प्रभार के लिए और 1.60 लाख रु जल प्रभार के लिए) की वसूली करने में विफल रहा जो कि इस अवधि में अस्पताल द्वारा निर्धारित दरों पर अधिभोगियों द्वारा देय था।

लेखापरीक्षा में मामले को इंगित किये जाने पर अस्पताल ने बताया (दिसम्बर 2004/जून 2005) कि अधिभोगियों से वसूली योग्य विद्युत प्रभारों की दरों को निर्धारित करने का मामला महानिदेशक स्वारश्य सेवायें (म.नि.स्व.से.) और मंत्रालय के पास लम्बित था। उनके साथ लम्बे पत्राचार और कई बैठकों के बावजूद निर्णय प्रतीक्षित था। अस्पताल, जल प्रभार की वसूली के बारे में मौन था।

छात्रावास के लिए घरेलू मीटरों को प्रतिष्ठापित करने में अस्पताल/मंत्रालय की निष्क्रियता का परिणाम मई 1999 से दिसम्बर 2004 की अवधि के लिए 48.55 लाख रु के अतिरिक्त व्यय में हुआ क्योंकि खपत की गई विद्युत का भुगतान उच्च वाणिज्यिक दरों पर किया गया था। इसके अलावा उसने उसी अवधि के लिए अपने द्वारा निर्धारित दरों पर अधिभोगियों से विद्युत और जल प्रभार की 65.79 लाख रु की राशि की वसूली भी नहीं की थी। अस्पताल प्राधिकारियों को राशि की वसूली के लिए तत्काल प्रभावी कदमों को उठाना चाहिए और घरेलू पूर्ति के लिए वाणिज्यिक दरों पर विद्युत प्रभारों के भुगतान के कारण आवर्ती अतिरिक्त व्यय के प्रभाव को रोकने के लिए व्यक्तिगत घरेलू मीटरों को प्रतिष्ठापित करना चाहिए।

मामला मंत्रालय को मई 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

#### 6.4 परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान

भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए सफदरजंग अस्पताल ने विभिन्न डाक्टरों/स्टाफ सदस्यों को जिन्हें परिसर के अन्दर या एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर सरकारी आवास आबंटित किए हुए थे को 49.52 लाख रु के परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान किया।

भारत सरकार ने पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए 1 अगस्त 1997 से अपने कर्मचारियों को उनके वेतनमान और नियुक्ति स्थान के अनुसार 75 रु. से 800 रु प्रतिमाह की दरों के बीच परिवहन भत्ते की स्वीकृति प्रदान की। इस आदेश की शर्तों के अनुसार, उन कर्मचारियों जिन्हें कार्य करने के स्थान तथा घर से एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर अथवा परिसर आवास में सरकारी आवास उपलब्ध कराए गए थे, परिवहन भत्ते के हकदार नहीं थे।

\* अगस्त 2001 तक 5.23 रु प्रति इकाई तथा उसके बाद क्रमशः 3.15 रु एवं 3.78 रु के घरेलू प्रशुल्क के प्रति 6.37 रु प्रति इकाई।

सफदरज़ंग अस्पताल (अस्पताल) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि उसने उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए डाक्टरों और अन्य स्टाफ को जिन्हें सरकारी आवास एक किलोमीटर दूरी पर या अस्पताल परिसर के अन्दर आबंटित किए गये थे को परिवहन भत्ते का भुगतान किया जा रहा था। अस्पताल ने अगस्त 1997 से अक्तूबर 2004 तक डाक्टरों और अन्य स्टाफ सदस्यों जिन्हें सरकारी आवास अस्पताल से एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर या परिसर के अन्दर आबंटित किए गए थे तथा परिसर में रह रहे एक कर्मचारी को 49.52 रु का अनियमित भुगतान किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा मामलों को इंगित करने पर मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2005) कि तथ्यों की जांच की गई थी और चिकित्सा अधीक्षक ने सूचित किया गया था कि उन डाक्टरों और अन्य स्टाफ जो कि अस्पताल के परिसर में रहते थे, को परिवहन भत्ते का भुगतान नहीं दिया गया और इस प्रकार परिवहन भत्ते को प्रदान करने के शासकीय नियम एवं शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अस्पताल परिवहन भत्ते का भुगतान ऐसे डाक्टरों तथा अन्य स्टाफ जिन्हें सरकारी रिहायशी आवास, किंवदं नगर (पश्चिम/पूर्व) तथा राजनगर, नई दिल्ली जो कि अस्पताल से क्रमशः 0.3 कि.मी., 0.6 तथा 0.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित थे को ही नहीं परन्तु ऐसे कर्मचारी को भी किया जा रहा था जिसे रिहायशी आवास परिसर के अन्दर आबंटित किया गया था, जो उचित नहीं था।

अस्पताल को तुरन्त अपात्र डाक्टरों/स्टाफ सदस्यों को परिवहन भत्तों के भुगतान को रोकना तथा पहले किये गये अनियमित भुगतान की वसूली करनी चाहिए।

#### **6.5 अनियोजित खरीद के कारण उपकरण की निष्क्रियता**

सफदरज़ंग अस्पताल ने उपभोज्यों के खर्च को पहले निर्धारित किए बिना 27.80 लाख रु. की कीमत का एक गैस विसंक्रामक-यन्त्र खरीदा। उपकरण 10 वर्षों के दौरान एक महीने से भी कम प्रयुक्त हुआ था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान (रा.सं.रो.सं.) दिल्ली ने प्रशिक्षित मानवशक्ति के साथ-साथ अधिष्ठापन के लिए उपयुक्त स्थान की उपलब्धता को पहले सुनिश्चित किए बिना 18.57 लाख रु. कीमत का एक एलिसा प्रोसेसर खरीदा। उपकरण के लगभग छः वर्ष तक निष्क्रिय रहने का परिणाम रोगियों के नैदानिक सुविधाओं से वंचित रहने से हुआ। इसके अतिरिक्त 2 वर्षों से अनुचित संग्रहण का परिणाम उपकरण के खराब होने तथा इनकी मरम्मत पर 2.75 लाख रु. के अनिरिक्त व्यय में हुआ। अतः प्रापण की योजना के अभाव के कारण 6-10 वर्षों के लिए 46.37 लाख रु. का निवेश निष्क्रिय रहा।

सफदरज़ंग हस्पताल, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान, दिल्ली के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि उपकरण के प्रचालन के लिए अपेक्षित उपभोज्य की लागत को निर्धारित करने एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति के साथ-साथ

अधिष्ठापन के लिए उपयुक्त स्थान की उपलब्धता को सुनिश्चित करने से पहले उच्च मूल्य का उपकरण खरीदा गया था। फलस्वरूप, 6-10 वर्षों के लिए 46.37 लाख रु. का निवेश निष्क्रिय रहा जैसा कि नीचे चर्चा की गई:-

(क) सफदरज़ंग अस्पताल (अस्पताल) ने प्रतिवर्ष 5000 जले हुए रोगियों के उपचार के कार्यभार को निर्धारित करने के पश्चात् आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (आ.नि.म.नि.) को एक गैस विसंक्रामक-यन्त्र खरीदने के लिए माँग-पत्र दिया (मई 1991)। तदनुसार आ.नि.म.नि. ने एक स्थानीय व्यापारी के द्वारा, जर्मनी से 27.80 लाख रु. (1,37,814 ड्यूश मार्क) लागत का एक गैस विसंक्रामक-यन्त्र आयात किया (अक्टूबर 1993)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि अस्पताल ने उपकरण नवम्बर 1993 में प्राप्त कर लिया था, इसको विद्युत कार्यों सहित कक्ष और आवश्यक दबाव सहित निरन्तर जल आपूर्ति जैसी अवसंरचना सुविधाओं के तैयार न होने के कारण एक वर्ष के विलम्ब के पश्चात 26 नवम्बर 1994 में प्रतिष्ठापित किया गया। इसने चालू करने से एक माह से कम अवधि के उपरान्त 16 दिसम्बर 1994 को कार्य करना बन्द कर दिया क्योंकि अस्पताल ने उपकरण के साथ फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये अभिकर्मकों की मात्रा समाप्त होने के पश्चात् गैस विसंक्रामक-यन्त्र के परिचालन के लिए आवश्यक अभिकर्मक की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की थी। इसके पश्चात् अस्पताल ने उनकी निषेधक लागत के कारण अभिकर्मक की खरीद नहीं की और उपकरण अक्रियात्मक रहा।

(ख) इसी प्रकार, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान (रा.सं.रो.सं.) ने महानिदेशालय स्वास्थ सेवा, नई दिल्ली के पास कम्प्यूटर सहित एक इलिसा प्रोसेसर की आपूर्ति के लिए एक माँगपत्र रखा (जनवरी 1998)। म.नि.स्वा.से. ने 18.57 लाख रु. (71,800 सी.फ्रैं.) की लागत पर उपकरण खरीदा (जून 1999)। उपकरण के प्रतिष्ठापन और चालू करने के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं रा.सं.रो.सं. द्वारा उपलब्ध कराई जानी थी।

चूंकि रा.सं.रो.सं. ने जून 1999 में उपकरण की सुपुर्दगी से पूर्व स्थल की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया था, इसे अन्ततः रा.सं.रो.सं. के तृतीय तल पर प्रयोगशाला के एक कोने में प्रतिस्थापित किया जहाँ पर आपूर्तिकर्ता द्वारा इसका संतोषजनक परिचालन प्रदर्शन किया गया था। उपकरण का इसके बाद उपयोग नहीं किया गया था। तदोपरान्त उपकरण नवनिर्भित प्रयोगशाला में इसके रथाई स्थान पर सितम्बर 2001 में स्थानान्तरण किया गया। नई प्रयोगशाला में उपकरण के निरीक्षण के दौरान यह ध्यान में आया कि अनुचित भंडारण स्थिति के कारण चूहों ने फ्लूइड पाइपों, बिजली के तारों और परिष्करण को क्षति पहुँचाई थी। उपकरण का प्रतिष्ठापन नहीं किया गया और वह निरन्तर अक्रियात्मक रहा। उपकरण के परिचालन से सम्बन्धित मामला मा.नि.स्वा.से. और आपूर्तिकर्ता के अंतर्गत नवम्बर 2002 तक पत्राचाराधीन रहा जब आपूर्तिकर्ता ने

रा.सं.रो.सं. को सूचित किया कि क्योंकि उपकरण रा.सं.रो.सं. में अनुचित भण्डारण के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था, मरम्मत प्रभारों को रा.सं.रो.सं. द्वारा वहन किया जाएगा। अगस्त 2003 में 2.75 लाख रु. के अनुमानित क्षतिग्रस्त पुर्जों की कीमत को वहन करने के लिए रा.सं.रो.सं. सिद्धांत रूप से सहमत हो गया। यह लागत रा.सं.रो.सं. की संतुष्टि से उपकरण के प्रतिष्ठापन और परिचालन के प्रदर्शन के उपरान्त भुगतान योग्य थी। यद्यपि उपकरण अन्ततः जुलाई 2004 में प्रतिष्ठापित हो गया था परन्तु यह प्रशिक्षित स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण प्रचालन योग्य नहीं था। रा.सं.रो.सं. ने आपूर्तिकर्ता से एक अधिकारी और दो तकनीशियन को प्रशिक्षण देने का अनुराध किया (मार्च 2005) ताकि उपकरण को कार्यात्मक बनाया जा सके। इस मामले में आगे की प्रगति अप्रैल 2005 तक प्रतीक्षित थी।

अतः उपभोज्य/अभिकर्मक की लागत और उपलब्धता, प्रतिस्थापन के लिए मूल संरचना और इसके प्रचालन के लिए अपेक्षित प्रशिक्षित जनशक्ति का पूर्ण निर्धारण किए बिना उच्च मूल्य उपकरण की खरीद कमजोर प्रापण प्रणाली को दर्शाती थी। इसका परिणाम 46.37 लाख रु. (27.80 लाख रु. + 18.57 लाख रु.) के निवेश की निष्क्रियता, उपकरण को क्षति और रोगियों को नैदानिक सुविधाएँ प्रदान न करने में हुआ। इसके अतिरिक्त, अनुचित भण्डारण पद्धति का परिणाम 2.75 लाख रु. की न भुगताई हुई देयता में हुआ।

मामला मंत्रालय को मई 2005 में प्रेषित किया गया था। जबकि 'क' का उत्तर फरवरी 2006 तक प्रतिक्षित था, 'ख' के उत्तर में मंत्रालय ने रा.सं.रो.सं. की ओर से कमी को स्वीकार करते हुए (जुलाई 2005) म.नि.स्वा.से. की टिप्पणियों को अग्रेषित किया (अगस्त 2005)।

## अध्याय VII : गृह मंत्रालय

### 7.1 अतिरिक्त परिहार्य भुगतान

**भारत के महापंजीयक ने नियत मूल्य संविदा प्रदान करके जबकि कार्य का परिमाण निश्चित नहीं था, 1.83 करोड़ रु. का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान किया।**

भारत के महापंजीयक (भा.म.प.) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि उसने नवम्बर 2001 में मैसर्ज सी.एम.सी.लि. को 2001 की जनगणना के लिए छवि आधारित स्वचालित प्रपत्र संसाधन सॉफ्टवेयर तथा उच्च आयतन उत्पादन स्कैनर एवं सेवाओं की आपूर्ति, प्रतिस्थापन, जांच तथा चालू करने के लिए संविदा प्रदान की। इस कार्य में 23.57 करोड़ रु. की नियत संविदा मूल्य पर लगभग 22.80 करोड़ परिवारों की सूची एवं अनुसूची को संस्थापित करना सम्मिलित था। समझौते में अनुबंध था कि यदि विक्रेता द्वारा संसाधित प्रपत्रों की वास्तविक कुल संख्या भा.म.प. की जिम्मेदारी के कारण निर्दिष्ट 22.80 करोड़ प्रपत्रों से कम रहती है, तो विक्रेता अनुबन्ध कीमत के पूर्ण भुगतान का हकदार होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विक्रेता द्वारा वास्तविक संसाधित प्रपत्र केवल 21.03 करोड़ थे। अभिलेख से पाया गया कि विक्रेता के साथ समझौता प्रपत्रों की अनुमानित संख्या के आधार पर किया गया था। निविदा के अंतर्गत कार्य क्षेत्र के संबंधित समझौते अनुच्छेद 3 में प्रावधान है कि लगभग 0.80 करोड़ परिवारों की सूचियों एवं अनुसूचियों के फेज़ 1 में तथा लगभग 22 करोड़ परिवारों की अनुसूचियों को फेज़ 2 में तैयार किया जाना था। किंतु समझौते के अनुच्छेद 16 में संख्या को स्पष्टतया 22.80 करोड़ विनिर्दिष्ट किया गया था। यह भी विनिर्दिष्ट किया गया था कोई कमी विक्रेता के भुगतान पर प्रभाव नहीं डालेगी, यह भा.म.प. की जिम्मेदारी होगी। अन्ततः 1.77 करोड़ प्रपत्रों की कमी हुई जिसके लिए आनुपातिक आधार पर 1.83 करोड़ रु. अदा किये गये। इकाई दर की बजाए नियत कीमत आधार पर निविदा प्रदान करना न्यायोचित नहीं था विशेषतः जब भा.म.प. तैयार किए जाने वाले प्रपत्रों की संख्या के बारे में आश्वस्त नहीं था तथा परिणामस्वरूप 1.83 करोड़ रु. का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित किए जाने पर, भा.म.प. ने बताया (अक्तूबर 2005) कि विक्रेता द्वारा उद्धृत दरें, प्रत्यक्ष तौर पर निष्पादित प्रपत्रों की संख्या से संबंधित नहीं थी। इसमें सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर की आपूर्ति तथा निविदा दस्तावेजों में कार्यक्षेत्र के अंतर्गत दर्शाए गए अन्य सहायक सामग्री आच्छादित थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कार्यक्षेत्र में स्पष्टतया दर्शाया गया था कि हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर तथा अन्य सहायक सामग्री 22.80 करोड़ प्रपत्रों को संसाधित करने के लिए उपलब्ध कराए जाने थे। यह समझौते के अनुच्छेद 16.1(ख) द्वारा भी समर्थित है जो पूर्ण किए गए प्रपत्रों की संख्या के आधार

पर आनुपातिक भुगतान निर्धारित करता है। इस प्रकार, हार्डवेयर/साफ्टवेयर तथा सहायक स्टाफ की आवश्यकताओं के लिए परिकलन का आधार संसाधित किए जाने वाले प्रपत्रों की संख्या थी। उचित ढंग से प्रपत्रों की कुल संख्या का अनुमान लगाए बिना इकूई दर निविदा की बजाए नियत दर निविदा प्रदान करने का परिणाम अनुपातिक आधार पर 1.83 करोड़ रु. परिहार्य अतिरिक्त व्यय में हुआ।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2005 में प्रेषित किया गया था। उत्तर फरवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

### अध्याय VIII : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

#### **माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग**

##### **8.1 पदों के प्रचालन पर अप्राधिकृत व्यय**

भारतीय दूतावास, मारको द्वारा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों का उल्लंघन करके पदों के अप्राधिकृत प्रचालन का परिणाम 28.21 लाख रु. के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 6 के अनुसार कोई भी प्राधिकारी ऐसा कोई व्यय वहन कर नहीं सकता या देयता नहीं ले सकता जिसमें सरकारी लेखे का व्यय सम्मिलित हो जब तक कि ऐसा व्यय सरकार अथवा किसी प्राधिकारी जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा स्वीकृत न किया गया हो। इस प्रकार कोई भी प्राधिकारी पद को संस्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के बगैर वेतन के भुगतान के व्यय को वहन नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त विदेश में भारत सरकार के प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियों की अनुसूची-I की मद संख्या 12 में प्रावधान है कि मिशन के प्रधान केवल आकस्मिकता से भुगतान किये जाने वाले वर्ग-IV कर्मचारी को इस शर्त पर नियुक्त कर सकता है बशर्त कि कार्य नियमित प्रकृति का न हो अथवा रिक्त पद के प्रति न हो।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जुलाई 2003 से मारको स्थित मिशन में एक भारतीय आधारित निजी सचिव तथा एक स्थानीय दुभाषिया के पदों को समाप्त करने की स्वीकृति दी (जून 2003) तथा मिशन से कहा कि इन पदधारियों की सेवाओं को संविदात्मक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए 30 जून 2003 (अपराह्न) से समाप्त कर दें। स्थानीय दुभाषिया के पद को जुलाई 2003 से समाप्त करने की बजाए मिशन ने उस पद के प्रति अगस्त 2003 से सितम्बर 2004 तक एक आकस्मिक लिपिक की नियुक्ति की जिससे पद को समाप्त करने का उद्देश्य विफल रहा। मिशन ने निजी सचिव के समाप्त किए गए पद के प्रति जुलाई 2003 से दिसम्बर 2004<sup>1</sup> तक एक भारतीय आधारित निजी सहायक (नि.स.) की नियुक्ति को जारी रखा जबकि उसे अगस्त 2003 के शुरू में एक निजी सचिव जो कि भारत वापिस जा रहा था के प्रति समायोजित करने का अवसर था।

नि.स. के पद को मई 2005 तक तथा स्थानीय दुभाषिया के पद को सितम्बर 2004 तक जारी रखने के मिशन के बार-बार आग्रह (जुलाई 2003, अक्टूबर 2004, जनवरी

<sup>1</sup> जनवरी 2005 से पदधारी को मिशन के तकनीकी स्कंध को स्थानांतरित कर दिया था।

2005) के प्रत्युत्तर में मंत्रालय (मार्च 2005) ने पदों को जारी रखने को अनुमोदित किए बिना मिशन के शिक्षा स्कंध के बजटीय व्यय (2004-05 का अंतिम अनुदान) का अनुमोदन कर दिया।

अतः मास्को स्थित मिशन ने जुलाई 2003 से दिसम्बर 2004 तक बिना स्वीकृति के दो पदों के प्रचालन पर 28.21 लाख रु. का अप्राधिकृत व्यय वहन किया। मंत्रालय की अस्वीकृत पदों के लिए निधियों के आबंटन की कार्रवाई भी अनियमित थी।

मामला मंत्रालय को प्रेषित किया गया; उनका उत्तर जनवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

## अध्याय IX : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

### **फिल्म प्रभाग**

#### **9.1 वेतन एवं भत्तों पर अपव्यय**

फिल्म प्रभाग ने 8 फालतू स्टाफ सदस्यों को मंत्रालय के अन्य कार्यालयों अथवा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिशेष कक्ष में स्थानान्तरित नहीं किया गया था जिसका परिणाम फालतू स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर 1999-2000 और 2004-05 के बीच 32.67 लाख रु. के अपव्यय में हुआ।

उप मुख्य निर्माता फिल्म प्रभाग, दिल्ली क्षेत्र के कार्यालय के पास आठ चाय बनाने वाले, धुलाई करने वाले लड़के और लड़कियां थीं जिनका उपयोग टॉलस्टाय मार्ग, पंडारा रोड, पुष्पा भवन और पर्यावरण भवन, नई दिल्ली स्थित फिल्म प्रभाग के यूनिट कार्यालयों के चार टिफिन कमरों में किया जा रहा था। पहले तीन इकाई कार्यालय 1998-99 के दौरान सूचना भवन, नई दिल्ली में स्थानान्तरित हो गये थे।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला (मई 2005) कि सूचना भवन और पर्यावरण भवन की इमारतों में फिल्म प्रभाग के अलावा अन्य कार्यालय भी थे और एक केन्द्रीय कैन्टीन स्थित थी। फिल्म प्रभाग को इन इमारतों में अपने टिफिन कमरों को चलाने के लिए अलग से स्थान नहीं दिया गया था। परिणामस्वरूप, टिफिन कमरों में पहले नियुक्त आठ सदस्य फालतू हो गये थे। उप-मुख्य निर्माता दिल्ली क्षेत्र ने इन तथ्यों को मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग, मुम्बई के ध्यान में लाया (जुलाई 1998) और उनसे मंत्रालय के साथ मामले को उठाने और इन फालतू कर्मचारियों को अन्य कैन्टीन में अवशोषित करने की संभावना की छान-बीन करने का अनुरोध किया। तथापि नवम्बर 1998 और दिसम्बर 1999 में दिए गए अनुस्मारकों के बावजूद कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत जांच किए गए अभिलेखों में कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे यह पता चले कि फिल्म प्रभाग मुम्बई ने मामले को मंत्रालय के साथ उठाया था। इसी बीच में फिल्म प्रभाग ने इन फालतू स्टाफ का स्थानांतरण न तो मंत्रालय के अन्य कार्यालयों में किया और न ही अन्य कार्यालयों अथवा कैन्टीन में तैनाती के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिशेष कक्ष में भेजा। फालतू स्टाफ को 1999-2000 से 2004-2005 के दौरान वेतन एवं भत्ते के रूप में 32.67 लाख रु. का भुगतान किया गया था यद्यपि उन्हें किसी कार्य में नहीं लगाया था और न ही उनके लिए टिफिन कमरे में कोई कार्य था। यह भुगतान 0.60 लाख रु. प्रतिमाह की दर से जारी था।

इस प्रकार फिल्म प्रभाग की आठ फालतू चाय बनाने वाले, धुलाई करने वाले लड़के और लड़कियों को अन्य कार्यालयों में स्थानांतरण करने में विफलता के कारण अप्रयुक्त

## **2006 का प्रतिवेदन संख्या 2**

स्टाफ के वेतन एवं भत्ते पर 1999-2000 से 2004-2005 के दौरान 32.67 लाख रु. का अपव्यय हुआ। अपव्यय 7.20 लाख रु. प्रतिवर्ष की दर से जारी था।

मामला मंत्रालय को अक्तूबर 2005 में प्रेषित किया गया था; उत्तर फरवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

## अध्याय X : ऊर्जा मंत्रालय

### केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

#### 10.1 सेवा कर की गैरवसूली

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपने ग्राहकों से 62.10 लाख रु के सेवा कर की वसूली नहीं की और उसकी परिणति उसकी पहचान केन्द्रीय उत्पाद कर विभाग के समक्ष एक चूककर्ता करदाता के रूप में हुई।

वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार ने 7 जुलाई 1997 से परामर्शी इंजीनियरों पर उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं पर अधिसूचना संख्या 23/97 एस.टी. दिनांक 2.4.1997 के तहत सेवा-कर लागू किया। “परामर्शी इंजीनियरों” के अन्तर्गत एक इंजीनियरिंग फर्म, जो किसी भी ग्राहक को इंजिनियरिंग के एक अथवा अधिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई सलाह, परामर्श अथवा तकनीकी सहायता प्रदान करती है, शामिल किया गया। वित्तीय अधिनियम 1994 (अधिनियम) की धारा 68(1) में टाटा परामर्शी सेवाएं बनाम यूनियन ऑफ इन्डिया, 2001 (130) ई.एल.टी. 726 (कर्नाटक) के निर्णय द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि शुल्क न्यायिक व्यक्तिओं सहित सेवा उपलब्ध करवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से उद्ग्रहित किया जाएगा। सेवा कर तब भी देय होगा यदि सेवाएं केन्द्र सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को उपलब्ध करवाई गई थी। ऐसे इंजीनियरों द्वारा अपने ग्राहकों से ऐसी सेवाओं के बदले प्रभारित कुल राशि पर निश्चित दरों पर सेवा कर लगाना चाहिए। यदि एक व्यक्ति जो सेवा कर कर भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है, केन्द्र सरकार के पास निर्धारित समयावधि के अन्दर सेवा कर जमा करवाने में असफल रहता है तो वह उस अवधि जिस हेतु राशि जमा करवाने में विलम्ब हुआ 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है।

ऊर्जा मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) अन्य बातों के अतिरिक्त परामर्श शुल्क की एवज् में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करवाने में संलिप्त है तथा इसलिए सेवा कर का उत्तरदायी है। अक्टूबर 1999 से फरवरी 2005 के दौरान, के.वि.प्रा. ने ग्राहकों से कुल 963.25 लाख रु परामर्श शुल्क के रूप में प्रभारित किये। उपरोक्त परामर्श शुल्क पर अधिनियम में निश्चित दरों के अनुसार सेवाकर की राशि रु 62.10 लाख परिकलित की गई, जिसे के.वि.प्रा. ग्राहकों से वसूल करने और सरकार के पास जमा करवाने में असफल रहा। के.वि.प्रा. ने अगस्त 2005 तक सेवा कर विलम्ब से जमा करवाने के लिए 14.29 लाख रु के ब्याज की राशि की अतिरिक्त देयता के लिए स्वयं को अभिवर्णित किया।

के.वि.प्रा. ने बताया (मई 2005) कि वह सरकार के साथ सेवा कर के भुगतान हेतु करदाता के रूप में पंजीकृत नहीं था तथा केन्द्रीय उत्पाद कर विभाग से सेवा कर से छूट प्रदान करने के मामले को उठाया गया था। केन्द्रीय उत्पाद कर विभाग ने स्पष्ट किया (अगस्त 2005) कि किसी भी सरकारी विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों को कर योग्य सेवायें उपलब्ध करवाने पर सेवा कर से छूट नहीं दी गई है तथा के.वि.प्रा. से सेवा कर नियम का पालन करने के लिए कहा।

इस प्रकार, के.वि.प्रा. न केवल अपने ग्राहकों से 62.10 लाख रु. का सेवाकर, जिसे सरकार को अदा करने का उसका उत्तरदायित्व है, वसूल करने में असफल रहा है अपितु केन्द्रीय उत्पाद कर विभाग के समक्ष एक चूककर्ता करदाता बनकर 14.29 लाख रु (अगस्त 2005 तक) की ब्याज देयता के लिए स्वयं को अभिदर्शित किया। सेवा कर अदायगी के प्रति दायित्व को पूरा करने में असफलता के कारण के.वि.प्रा. ने 76.39 लाख रु की कुल देयताएं वहनित कीं।

#### **बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन**

(राष्ट्रीय ताप विद्युत कारपोरेशन के प्रबन्ध के अधीन)

#### **10.2 आयकर की कटौती न होना**

छुट्टी यात्रा रियायत की दोषपूर्ण योजना के कारण कर्मचारियों द्वारा स्वयं-प्रमाणीकरण के आधार पर की गई यात्राओं हेतु अनुमत दावों पर कुल 36.37 लाख रु. के आयकर की कटौती न किया जाना।

आयकर अधिनियम, 1961 (आ.क.अ.) की धारा 10(5) के अनुसार किसी भी छुट्टी यात्रा रियायत (छ.या.रि.) की राशि पर आयकर की उस सीमा तक छूट होगी जो कि ऐसी यात्रा पर वास्तव में व्यय की गई हो। यात्रा किए बिना तथा उस पर किए गए वास्तविक व्यय के बिना छूट हेतु दावा नहीं किया जा सकता। सरकारी विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारी (आ.वि.अ.) कर्मचारियों के वेतन में से आयकर की कटौती सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी हैं।

बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन (ब.ता.वि.स्टे.) के कर्मचारी, जिनका वेतन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निधिबद्ध किया जाता है तथा सरकार की ओर से राष्ट्रीय ताप विद्युत कारपोरेशन (रा.ता.वि.का.) द्वारा प्रबन्ध किया जाता है, जुलाई, 1981 से प्रभावी रा.ता.वि.का. छुट्टी यात्रा रियायत (छ.या.रि.) नियमावली द्वारा शासित होते हैं। ये नियमावली कर्मचारियों और उनके परिवार को दो वर्ष में एक बार मूल निवासस्थान अथवा भारत में किसी भी स्थान पर पात्र श्रेणी के अनुसार मुख्यालय से भ्रमण स्थल के समीपस्थ रेलहेड/एयरपोर्ट तक जाने हेतु किराये की वास्तविक राशि की प्रतिपूर्ति हेतु अनुमति देते हैं। कर्मचारियों

को स्वयं प्रमाणीकरण के आधार पर 1250 कि.मी. (फरवरी 2002 में 1400 कि.मी. तक संशोधित) की दूरी तक छु.या.रि. यात्रा पर किए गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दावा किए जाने का विकल्प प्राप्त है।

दावे प्रमाणपत्र इस आधार पर स्वीकार किये जाते थे कि दावेदार ने दावा की गई राशि से कम राशि व्यय नहीं की। ब.ता.वि.स्टे. ने प्रमाणपत्र के आधार पर 2003-04 के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत दावों पर ₹121.22 लाख की राशि का भुगतान किया। भुगतान की गई राशि पर आयकर से भी इस आधार पर छूट दी गई थी कि कर्मचारियों ने एक प्रमाणपत्र दिया था जिसमें यह उल्लेख किया था कि उसने 1400 कि.मी. से कम यात्रा नहीं की तथा किराये पर वही राशि व्यय की जिस हेतु प्रतिपूर्ति का दावा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि तिथियों जिन पर यात्रा की गई, भुगतान किए गये किराये, यात्रा का साधन तथा दावेदारों द्वारा की गई वास्तविक यात्रा की अन्य सूचनाओं के विवरण के अभाव में दावों की औचित्यता की जांच सम्भव नहीं थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि वास्तविक यात्रा के किसी प्रमाण के बिना (स्वयं-प्रमाणीकरण के अतिरिक्त) छु.या.रि. को आयकर से छूट देना आयकर अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट के अभिप्राय के विपरीत था, जो केवल छुट्टी यात्रा पर किये गये वास्तविक व्यय पर अनुमत किया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ब.ता.वि.स्टे. ने बताया (जुलाई, 2005) कि अप्रैल 2005 से उन्होंने किये गए या.छु.रि. भुगतानों अथवा दावों पर प्रमाणीकरण के आधार पर दावों पर कङ्गाई से स्त्रोत पर आयकर की कटौती प्रारम्भ कर दी है। मन्त्रालय ने दिसम्बर, 2005 में ब.ता.वि.स्टे. की कार्यवाही का समर्थन किया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक इस प्रकार की कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप केवल एक वर्ष अर्थात् 2003-04 में 36.37 लाख रु की राशि के आयकर को नहीं काटा तथा सरकारी खाते में जमा नहीं कराया गया था। ब.ता.वि.स्टे. ने स्वयं को आयकर विभाग से 41.83 लाख रु की राशि के संभावित ब्याज तथा आर्थिक दण्ड के लिए अभिदर्शित किया था। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रमाणीकरण के आधार पर छु.या.रि. दावे की प्रतिपूर्ति की योजना 1981 से प्रचलन में थी, आयकर देयता ब्याज तथा दण्ड सहित और भी अधिक होगी।

## अध्याय XI : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

### वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद

#### 11.1 निष्फल व्यय

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर द्वारा विदेशी फर्म को उच्च तापमान सम्पर्क कोण माप प्रणाली हेतु सही विवरणों के साथ आदेश देने की विफलता का परिणाम गलत विशिष्टों वाली प्रणाली को प्राप्त करने में हुआ। न तो मामले को पूर्तिकर्ता के साथ सुलझाया गया और न ही क्षे.अ.प्र. ने पूर्तिकर्ता के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की, परिणामतः 24.04 लाख रु लागत की प्रणाली असंस्थापित रही।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (क्षे.अ.प्र.), भुवनेश्वर, जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संघटक इकाई है, ने तापन अल्पांश के रूप में मॉलिबडिनम डिसीलीसाइड के साथ उच्च तापमान सम्पर्क कोण माप प्रणाली के प्राप्त हेतु प्रत्यावर्ती विवरण किया (मई 2003)। प्रणाली दुर्गलनीय कार्यद्रव्य एवं उच्च ताप पर भट्टी में गर्म की जाने वाली सामग्री के बीच अनुक्रिया का अध्ययन करने हेतु अपेक्षित थी। क्षे.अ.प्र. द्वारा अगस्त 2003 में प्राप्त एक उद्धरण में एक जर्मन पूर्तिकर्ता ने प्रणाली के लिए तापन अल्पांश के रूप में मॉलिबडिनम डिसीलीसाइड के बजाए मॉलिबडिनम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को उद्धृत किया। किन्तु क्षे.अ.प्र. ने उद्धरण में तापन अल्पांश में परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं दिया और जनवरी 2004 में फर्म को तापन अल्पांश के रूप में मॉलिबडिनम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ 47904 यूरो की लागत पर प्रणाली हेतु आदेश दिया।

क्षे.अ.प्र. ने जुलाई 2004 में प्रणाली को प्राप्त किया और साख पत्र के माध्यम से 24.04 लाख रु के समकक्ष 43554 यूरो, जो भुगतान का 90 प्रतिशत था जारी किया। प्रणाली के प्राप्त होने पर यह पाया गया कि फर्म द्वारा आपूर्ति की गई तापन प्रणाली न तो मॉलिबडिनम डिसीलीसाइड थी और न ही मॉलिबडिनम सिलिकान डाइऑक्साइड थी, बल्कि मॉलिबडिनम ऑक्साइड थी। क्षे.अ.प्र. ने उसी महीने मामले को पूर्तिकर्ता के साथ उठाया जिसका उत्तर सितम्बर 2004 में इस तर्क के साथ कि प्रणाली के आदेश से भी अधिक लाभकारी होने की वृष्टि से उनके द्वारा आपूर्ति की गई प्रणाली को क्षे.अ.प्र. रख ले। क्षे.अ.प्र. ने अक्तूबर 2004 में पूर्तिकर्ता को उपकरण बदलने का अनुरोध किया। पूर्तिकर्ता ने इन्कार कर दिया। क्षे.अ.प्र. ने पुनः जनवरी 2005 में मॉलिबडिनम डिसीलीसाइड तापन अल्पांश के साथ प्रणाली को बदलने हेतु मामले को पूर्तिकर्ता के सामने रखा। पूर्तिकर्ता ने फरवरी 2005 में बताया कि क्षे.अ.प्र. ने मॉलिबडिनम सिलिकॉन डिसीलीसाइड के साथ प्रणाली का आदेश नहीं दिया था बल्कि मॉलिबडिनम सिलिकॉन

डाइओक्साइड के साथ दिया था जो तापन अल्पांश के रूप में विद्यमान नहीं था। उसने आगे बताया कि क्षे.अ.प्र. ने मॉलिबडिनम डिसीलीसाइड के साथ प्रणाली का आदेश नहीं दिया था, इसलिए वह आपूर्ति करने में असमर्थ था। इस तथ्य के बावजूद कि आपूर्ति की गई प्रणाली इसके विवरणों अथवा आपूर्ति आदेश के अनुरूप नहीं थी, क्षे.अ.प्र. ने फर्म के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की। प्रणाली आठ महीनों से अधिक समय से असंस्थापित पड़ी रही है।

क्षे.अ.प्र. ने मार्च 2005 में बताया था कि वह स्थिति को सुधारने के सभी प्रयास कर रहा था तथा त्रुटि पूर्तिकर्ता की थी। उसने आगे अक्टूबर 2005 में बताया कि क्षे.अ.प्र., वै.औ.अ.प. के मुख्य सर्तकता अधिकारी और विधि सलाहकार के साथ पूर्तिकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए पत्राचार कर रही थी।

अतः क्षे.अ.प्र. की ओर से आपूर्ति आदेश देते समय सही विवरणों का उल्लेख न करने की चूक का परिणाम 24.04 लाख रु के निष्फल व्यय में हुआ।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2005 में प्रेषित किया था; उनका उत्तर जनवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

### 11.2 परिहार्य व्यय

बंद करने की सिफारिश वाली इकाई के लिए स्मार्ट-300 एक्स-रे मशीन के प्राप्ति के निर्णय में केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियर अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर द्वारा समन्वय की कमी का परिणाम 17.17 लाख रु. के परिहार्य व्यय में हुआ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (वै.औ.अ.प.) के एक संस्थान केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (के.याइ.अ.सं.), दुर्गापुर ने यांत्रिक इंजीनियरी के क्षेत्र में उभरते उद्योगों को उनके दिन प्रतिदिन की समस्याओं में सहायता हेतु की यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान तथा विकास संगठन (याइ.अ.वि.सं.) के तीन संघटक पुणे, चेन्नई और लुधियाना में स्थापित किए। संस्थान रेडियोग्राफिक विश्लेषण करने के लिए एक्स-रे मशीन का प्रयोग करते हैं।

के.याइ.अ.सं. ने जुलाई 2001 में याइ.अ.वि.सं., चेन्नई के लिए नई स्मार्ट-300 एक्स-रे मशीन के प्राप्ति की स्वीकृति दी। एक महीने बाद, अगस्त 2001 में, के.याइ.अ.सं. ने याइ.अ.वि.सं., चेन्नई और पुणे की खराब निष्पादन के रूप में पहचान कर वै.औ.अ.प. को इनके बंद करने की सिफारिश की। हालांकि के.याइ.अ.सं. के निर्देश पर 17.17 लाख रु की लागत पर एक्स-रे मशीन का खरीद आदेश दिसम्बर 2001 में दिया था। संस्थान, जिसे बंद करने की सिफारिश की जा चुकी हुई, के लिए नई एक्स-रे मशीन खरीदने का निर्णय अनुचित था।

वै.ओ.अ.प. ने अप्रैल 2002 में यां.इ.अ.वि.सं., चेन्नई और पुणे को बंद करने के आदेश दिए थे। यां.इ.अ.वि.सं., पुणे के पास भी एक स्मार्ट-300 एक्स रे मशीन थी। इस मशीन के साथ यां.इ.अ.वि.सं., चेन्नई की नई प्रापणित मशीन को इन इकाईयों के बंद होने पर के.यां.इ.अ.सं., दुर्गापुर में स्थानांतरित करना था। ये दोनों स्मार्ट-300 एक्स-रे मशीनें के.यां.इ.अ.सं., दुर्गापुर में फालतू थी। के.यां.इ.अ.सं. ने इन मशीनों के उपयोग की सम्भावनाओं का पता नहीं लगाया था। फरवरी 2005 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर के.यां.इ.अ.सं. ने दोनों स्मार्ट-300 एक्स-रे मशीनों के उपयोग की सम्भावनाओं को खोजने के लिए वै.ओ.अ.प. की सभी प्रयोगशालाओं को परिपत्र जारी करना प्रस्तावित किया।

मशीनों के प्रापण को न्यायोचित बताते हुए के.यां.इ.अ.सं. ने मार्च 2005 में बताया कि चेन्नई इकाई के लिए मशीन आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत खरीदी गई थी और आबंटित निधि को 31 मार्च 2002 से पहले खर्च करना था। के.यां.इ.अ.सं. ने आगे बताया कि सभी सिफारिशों हकीकत में नहीं बदलती और कभी-कभी सिफारिशों को अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है और उस समय संवेदनशील उपकरण प्रदान करके इकाई की कमाई को बढ़ाने की आवश्यकता थी। उत्तर, बन्द करने के लिए सिफारिश की गयी एक इकाई के लिए प्रापण के निर्णय को जोड़ने में समन्वय की कमी के अतिरिक्त सरकारी निधियों को अनुचित जल्दबाजी में व्यय करने को दर्शाता है। इसके कारण 17.17 लाख रु का अपरिहार्य व्यय हुआ।

मामला विभाग को अगस्त 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

### अध्याय XII : पर्यटन मंत्रालय

#### 12.1 आकस्मिकता से भुगतान किये जाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति पर अनियमित व्यय

भारतीय पर्यटन कार्यालय, लंदन, मिलान और पेरिस ने खाली पदों अथवा नियमित प्रकृति के कार्य के प्रति आकस्मिकता से भुगतान किये जाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति पर 83.17 लाख रु. का अनियमित व्यय किया।

भारत सरकार के विदेशी प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियों की सारणी-I की मद सं. 12 के साथ पठित भाग-IV में उपबंध था कि विदेश में क्षेत्रीय निदेशकों/भारतीय पर्यटन कार्यालयों के निदेशक आकस्मिकता से भुगतान किये जाने वाले केवल वर्ग-IV कर्मचारियों को इस शर्त पर नियुक्त कर सकता था कि कार्य नियमित प्रकृति का न हो अथवा नियमित स्थापना पर वहन किये जाने वाले रिक्त पदों के प्रति न हो। इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए भारतीय पर्यटन कार्यालय लंदन, मिलान और पेरिस ने जुलाई 2001 से मार्च 2005 तक नियमित प्रकृति के कार्य अथवा खाली पदों के प्रति आकस्मिकता से भुगतान किये जाने वाले कर्मचारियों को नियुक्त किया और 83.17 लाख रु. का अनियमित व्यय किया जैसे कि नीचे दिया गया था :

(लाख रु. में)

क्र. सं.	भारतीय पर्यटन कार्यालय राशन	कार्य की प्रकृति	अवधि	राशि
1.	लंदन	स्थानीय खाली पदों के प्रति कर्मचारियों की नियुक्ति	जनवरी 2004 से मार्च 2005	24.13 <sup>1</sup>
2.	मिलान	सफाई और प्रत्यक्ष डाक के कार्य जो नियमित प्रकृति का कार्य था के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति	जुलाई 2001 से मार्च 2005	30.48
3.	पेरिस	सचिव के रिक्त पद और प्रत्यक्ष डाक जो नियमित प्रकृति का कार्य था के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति	अप्रैल 2002 से मार्च 2005	28.56
योग				83.17

संविदात्मक आधार पर अंशकालिक सहायक की नियुक्ति की स्वीकृति तथा भारत आधारित सचिव के पद की मंजूरी के लिए यद्यपि पेरिस में स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालय ने नवम्बर 2003 और फरवरी 2005 में पर्यटन मंत्रालय से सम्पर्क किया, मिलान स्थित कार्यालय ने दो अंशकालिक सहायक या एक भारत आधारित सूचना सहायक पद के लिए मंजूरी मांगी थी (मई 2005)।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2005) कि लंदन में भारतीय पर्यटन कार्यालय ने नियमित स्टाफ की नियुक्ति के समय तक खाली पदों के प्रति अस्थायी स्टाफ को रखा जिसके

<sup>1</sup> मार्च 2005 में प्रचलित सरकारी विनियम दर ग्रे.ब्रि.पा. 1 = 83.39 रु. पर 28,936.82 ग्रे.ब्रि.पा.

लिए प्रस्तावित किये जाने वाले वेतनमान के सम्बन्ध में भारतीय उच्चायोग से मंजूरी प्रतीक्षित थी। भारतीय पर्यटन कार्यालय, पेरिस के मामले में सचिव/आशुलिपिक पद पर एक अभ्यर्थी की नियुक्ति में कठिनाईयों का सामना कर रहा था क्योंकि प्रस्तावित लाभ अधिक आकर्षक नहीं था और इस स्थानीय आधारित पद को भारत आधारित पद में बदलने का प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन था। भारतीय पर्यटन कार्यालय, मिलान अस्थायी रुपाफ की नियुक्ति नियमित आधार पर नहीं परन्तु व्यक्तिगत समय के दौरान अधिक कार्यभार को पूरा करने के लिए कर रहा था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विदेश में भारतीय पर्यटन कार्यालयों के अध्यक्षों को नियमित स्थापना पर वहन किये जाने वाले रिक्त पदों के प्रति आकस्मिकता से भुगतान किये जाने वाले अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करने की प्रत्यायुक्त शक्तियां प्रदान नहीं की गई थी।

#### **12.2 पद को अनियमित रूप से जारी रखने के कारण अप्राधिकृत व्यय**

विदेश में एक अधीनस्थ कार्यालय द्वारा पद के लगातार प्रचालन को रोकने की मंत्रालय की विफलता का परिणाम 57.27 लाख रु. के अनियमित व्यय में हुआ।

भारत सरकार (पर्यटन विभाग) ने सचिव एवं आशुलिपिक के स्थानीय आधार के एक पद को भारत सरकार पर्यटन कार्यालय (भा.स.प.का.), दुबई से भा.स.प.का., मेड्रिड स्थानान्तरण किया (मार्च 1992)। भा.स.प.का. दुबई ने पद का उपयोग जारी रखा तथा पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली को अपने मार्च 1992 के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया (फरवरी 1996) क्योंकि वहां कार्य का भारी बोझ था। मंत्रालय ने मार्च 1992 से फरवरी 1997 की अवधि के लिए (अप्रैल 1996) एवं बाद में सितम्बर 1997 तक (नवम्बर 1997) पद को नियमित कर दिया हालांकि सचिव-सह-आशुलिपिक के पद को अक्टूबर 1997 से समाप्त कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पद को औपचारिक रूप से समाप्त करने के बाद भी भा.स.प.का., दुबई ने जनवरी 2004 तक पद का परिचालन जारी रखा। कार्यालय ने पद को फरवरी 2004 से ही समाप्त किया। अक्टूबर 1997 से जनवरी 2004 की अवधि के दौरान कर्मचारी को 57.27 लाख रु. के वेतन एवं भत्तों के भुगतान किये गये थे।

उत्तर में मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2005) कि “यद्यपि कर्मचारी की सेवाएँ तुरन्त समाप्त कर देनी चाहिए थी लेकिन सम्भवतः मंत्रालय के अनुमोदन की प्रत्याशा में ऐसा फरवरी 2004 में किया गया”।

उत्तर स्पष्टतया दर्शाता था कि मंत्रालय भी 57.27 लाख रु. के अनियमित व्यय से संबंध पद को जारी रखने के कारणों के बारे में आश्वस्त नहीं था।

### अध्याय XIII : शहरी विकास मंत्रालय

#### **केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग**

##### **13.1 अतिरिक्त परिहार्य व्यय**

परियोजना के पूर्ण करने और निर्माण पूर्व औपचारिकताओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण के.लो.नि.वि. ने 1.65 करोड़ रु का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया।

कोलकाता में सरकारी कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास की कमी को कम करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) ने 56 टाईप-V आवासों के निर्माण का निर्णय लिया जिसके लिए मंत्रालय द्वारा फरवरी 1995 में प्रशासनिक अनुमोदन और नौ करोड़ रु के व्यय की स्वीकृति प्रदान की। इसके उपरान्त के.लो.नि.वि. ने भूमि के सम्भावित उपयोग के लिए प्रस्ताव में संशोधन किया और टाईप-V के 72 आवासों के निर्माण का निर्णय लिया। तदनुसार, मंत्रालय ने जुलाई 1999 में 19.02 करोड़ रु के लिए संशोधित स्वीकृति प्रदान की।

यद्यपि, लेखापरीक्षा से पता चला कि नींव को भरने का कार्य जनवरी 1998 में पूरा हो गया था, के.लो.नि.वि. द्वारा ठेकेदार को अधिरचना का कार्य तीन वर्ष बाद जनवरी 2001 में सौंपा गया। यह विलम्ब के.लो.नि.वि. द्वारा जनवरी 1998 में नींव भरन कार्य की समाप्ति तथा जनवरी 2001 में अधिरचना ठेके के सौंपे जाने के बीच की अवधि के दौरान अभिविन्यास योजना संरचनात्मक आरेखण तथा सामग्री के विनिर्देशानों को अंतिम रूप नहीं देने के कारण उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप के.लो.नि.वि. द्वारा 30.20 लाख रु का वृद्धि शुल्क अदा किया गया जिससे निर्माण पूर्व आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूरा करने पर बचा दिया जा सकता था।

लेखापरीक्षा जांच से यह भी पता चला कि के.लो.नि.वि. ने भवन योजना को अनुमोदन के लिए कलकत्ता नगर निगम (क.न.नि.) को अप्रैल 1996 में प्रस्तुत किया था। क.न.नि. ने कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण और योजना की कमियों में सुधार चाहा। के.लो.नि.वि. द्वारा क.न.नि. की आवश्यकताओं को 6 वर्षों बाद जून 2003 में पूरा किया गया जिसका परिणाम क.न.नि. (अब को.न.नि.) को स्वीकृति शुल्क के रूप में 28.68 लाख रु के परिहार्य अतिरिक्त भुगतान में हुआ।

यदि अधिरचना का सारा कार्य कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण हो गया होता तो सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते के रूप में दिये गये 1.06 करोड़<sup>1</sup> रु के व्यय को बचाने के अतिरिक्त उनसे लाइसेंस फीस की वसूली करती।

जुलाई 2005 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर के.लो.नि.वि. ने तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि करते हुए कहा (नवम्बर 2005) कि कार्य पूर्ण हो गया था और भवन भूसम्पत्ति प्रबंधक, कोलकाता को 30 सितम्बर 2005 को आबंटन के लिए सौंप दिया गया था।

अतः अनिवार्य निर्माण पूर्व औपचारिकताओं के पूर्ण न होने और के.लो.नि.वि. की ओर से कार्य के कार्यान्वयन में विलम्ब के परिणामस्वरूप 1.65 करोड़ रु की राशि का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ जिसमें वृद्धि शुल्क के रूप में दिये गये 30.20 लाख रु को न.नि. को स्वीकृति शुल्क के रूप में 28.68 लाख रु अतिरिक्त भुगतान और भावी ग्राहियों को मकान किराया भत्ते के रूप में दिये गये 1.06 करोड़ रु भी शामिल थे।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2005 में प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2005)।

### 13.2 कार्य के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

संविदात्मक उपबन्धों को लागू करने तथा कार्य की समाप्ति में शिथिलता के परिणामस्वरूप कार्यान्वयन में 18.45 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ तथा जोखिम एवं लागत तथा अधिक सामग्री जारी करने की देय राशियों की वसूली न होने के कारण 18.85 लाख रु. की हानि हुई।

पश्चिम बंगाल के कूच बेहार जिला में इंडो बंगाल सीमा सङ्क के निर्माण का कार्य 72.77 लाख रु. की लागत पर एक ठेकेदार को इस शर्त पर सौंपा गया (नवम्बर 1993) कि कार्य फरवरी 1995 तक पूर्ण होना चाहिए। चूंकि कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी, के.लो.नि.वि. द्वारा कार्य के एक पक्षीय माप (मई 2002) के पश्चात चूककर्ता ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर ठेके को निरस्त कर दिया गया। ठेके के निरस्त होने तक चूककर्ता ठेकेदार को 64.34 लाख रु. की राशि चालू भुगतान के रूप में अदा की गई थी (मई 2002)।

ठेके के निरसन के पश्चात, विभाग ने चूककर्ता ठेकेदार का अंतिम बिल 18.85 लाख रु. (6.68 लाख रु.: अतिरिक्त सामग्री की लागत + 6.64 लाख रु.: देरी के लिए जुर्माना + 10.53 लाख रु.: वसूली योग्य जोखिम तथा लागत की राशि = 23.85 लाख

<sup>1</sup> फरवरी 2003 से सितम्बर 2005 की अवधि के लिए 72 टाईप-V भावी ग्राही हकदारों का 12000 मूल वेतन के 30 प्रतिशत निकाला गया है।

रु.: (-) 5.00 लाख रु. आरक्षित जमा = 18.85 लाख रु.) की ऋणात्मक राशि का निकाला। इस राशि को अक्टूबर 2005 तक वसूल नहीं किया गया था क्योंकि ठेकेदार का पता ठिकाना मालूम नहीं था। शेष कार्य अन्य ठेकेदार को सौंपा गया (दिसम्बर 2002) तथा उसे जून 2004 तक पूरा किया गया। मई 2005 में नये ठेकेदार को 26.88 लाख रु की राशि अंतिम भुगतान के रूप में अदा की गई।

के.लो.नि.वि. की नियमावली-II में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रारम्भ से ही कार्य की धीमी गति को देखते हुए ठेकेदार से मुआवजा उद्ग्रहण करना चाहिए। विभाग महीनों तक चूककर्ता ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की अद्यतन माप को रिकार्ड करने में भी असफल रहा। यदि के.लो.नि.वि. ने समय पर कार्रवाई की होती तो अधिक सामग्री जारी होने अथवा अतिरिक्त व्यय की स्थिति पैदा न होती। अतः के.लो.नि.वि. द्वारा पहले ठेकेदार को अधिक सामग्री जारी करने के साथ-साथ संविदात्मक उपबच्चों को लागू करने में शिथिलता के परिणामस्वरूप 18.45 लाख रु का अतिरिक्त व्यय हुआ जो कि दो ठेकेदारों को कार्य के लिए अदा की गई राशि (91.22 लाख रु.) तथा मूल निविदा लागत (72.77 लाख रु.) का अन्तर था। तथा इसका परिणाम ठेकेदार से देयता राशियों की वसूली न होने के कारण 18.85 लाख रु की हानि के अतिरिक्त सीमा की गश्त पर प्रतिकूल प्रभाव में हुआ।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2004 तथा अगस्त 2005 में प्रेषित किया गया था। उत्तर जनवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

## अध्याय XIV: संघ शासित क्षेत्र

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासनजहाजरानी सेवा निदेशालय**14.1 जहाजरानी मंच तथा मरम्मत सुविधाओं पर निष्फल व्यय**

उचित योजना की कमी तथा अपेक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने में चूक के परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों के सृजन जो दो वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त रहा पर तीन करोड़ रु का निष्फल व्यय हुआ।

छोटी नौकाओं के लिए मायाबन्दर में स्थानीय स्तर पर मरम्मत एवं रखरखाव की सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से अण्डमान निकोबार प्रशासन जहाजरानी सेवा निदेशालय (ज.से.नि.) ने फरवरी 1995 तथा फरवरी 2000 में जलावतरण मंच का निर्माण (कार्य क) तथा प्रवाहित मरम्मत सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं जलावतरण मंच के लिए अग्रतर विकसित कराना (कार्य ख) नामक दो कार्य तीन करोड़ रु की राशि की अनुमानित लागत पर निष्केप कार्य के आधार पर अण्डमान तथा लक्ष्मीप बन्दरगाह कार्य (अ.ल.ब.का.) के सुपुर्द किये।

अ.ल.ब.का. ने अक्टूबर 1995 में कार्य क तथा जनवरी 2001 में कार्य ख प्रारम्भ किया। यद्यपि ज.से.नि. द्वारा औजारों तथा संयत्रों सहित सम्पूरित कार्य का उत्तरदायित्व जून 2003 में लिया था लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया क्योंकि जलावतरण मंच का नमूना परीक्षण सितम्बर 2003 में असफल रहा। इसके उपरान्त न तो कोई परीक्षण संचालित किया गया और न ही जलावतरण मंच का कोई रखरखाव किया गया (अगस्त 2005)।

ज.से.नि. ने बताया (अगस्त 2005) कि तकनीकी जनशक्ति की संस्थीकृति की कमी के कारण जलावतरण मंच तथा प्रवाहित सुविधाएं उपयोग में नहीं लायी जा सकी तथा उन्होंने डयूटीनुमा-दौरा आधार पर प्रतिनियुक्ति करके परिसम्पत्तियों के उपयोग करने की योजना बनायी थी। उत्तर परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण पर इनके तुरन्त उपयोग में लाए जाने की उचित योजना में कमी का सूचक था।

इस प्रकार तकनीकी जनशक्ति के परिनियोजन द्वारा उनकी तुरन्त उपयोगिता को सुनिश्चित किए बिना परिसम्पत्तियों के सृजन के परिणामस्वरूप अधिग्रहण की तिथि से दो वर्षों तक तीन करोड़ रु का निवेश निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त जिस प्रयोजन के लिए ये परिसम्पत्तियां सृजित हुई थी भी अपूर्ण रहा तथा परिसम्पत्तियों की अनुपयोगिता

तथा रखरखाव न होने के कारण परिसम्पत्तियों के मूल्य में तीव्र अपरदन की संभावना थी।

मामला मंत्रालय को प्रेषित किया गया था (अगस्त 2005) उनका उत्तर जनवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

### अंडमान लोक निर्माण विभाग

#### 14.2 अतिरिक्त एवं निष्फल व्यय

अंडमान लोक निर्माण विभाग (अ.लो.नि.वि.) द्वारा हवाई अड्डे की हवाई पट्टी के विपथन मार्ग की सीधाई का गलत निर्धारण करने का परिणाम 53.37 लाख रु के अतिरिक्त व्यय में हुआ जिसमें 13.40 लाख रु का निष्फल व्यय शामिल था।

हवाई अड्डे की हवाई पट्टी 5000 फुट बढ़ाने के परिणामस्वरूप मौजूदा सड़क जो उपनगर क्षेत्र से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ती थी, हवाई पट्टी की सीध में आ गई। इससे यातायात आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 3.90 करोड़ रु (सितम्बर 1998) की अनुमानित लागत पर 2926 मीटर (फेस-I में 1000 मीटर तथा फेस-II में 1926 मीटर) लम्बी एक विपथन सड़क के निर्माण की आवश्यकता पड़ी। लेकिन विपथन के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व अ.लो.नि.वि. ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.पा.) से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त नहीं की। विपथन सड़क नवम्बर 2000 में चालू हो गई।

तदोपरान्त भा.वि.प्रा., तकनीकी सलाहकार तथा परियोजना के परिचालन हेतु केन्द्रीय एजेन्सी के अधिकारियों के समूह ने एक सर्वे किया तथा विशेष रूप से इंगित किया (अक्टूबर 2003) कि विपथन सड़क का एक हिस्सा ‘अप्रोच फनेल’<sup>1</sup> के अन्दर पड़ रहा था तथा हवाई यातायात को बाधित कर रहा था। आगे, नागर विमानन मंत्रालय ने अपनी बैठक (जनवरी 2004) में इस बात पर बल दिया कि विपथन सड़क को ‘अप्रोच फनेल’ से दूर पुनः सीधा करने की आवश्यकता थी। अ.नि. प्रशासन के मुख्य सचिव ने निरीक्षण के दौरान (फरवरी 2004) भी अ.लो.नि.वि. को सड़क विपथित करने का निर्देश दिया।

इन घटनाओं के परिणामस्वरूप अ.लो.नि.वि. ने 400 मी. के प्रभावित मोड़ को त्याग कर 615 मी. लम्बी एक वैकल्पिक सड़क के निर्माण का कार्य आरम्भ किया। उपरोक्त वैकल्पिक सड़क के निर्माण को मुख्य अभियन्ता ने प्रशासनिक स्वीकृति तथा 1.07 करोड़ रु की व्यय संस्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2004)। वैकल्पिक सड़क के निर्माण का ठेका एक ठेकेदार को 1.14 करोड़ रु की लागत पर 10 महीने में कार्य पूर्ण करने की अनुमानित अवधि के साथ प्रदान किया गया (जुलाई 2004)। अ.लो.नि.वि. ने बताया

<sup>1</sup> एप्रोज फनेल हवाई जहाज के उत्तरते समय रनवे तक पहुंच के क्षेत्र में पड़ता है। यह रनवे के अंतिम छोर से दोनों ओर विशिष्ट ऊर्चाई/ढाल वाला क्षेत्र जैसे साथ साथ उर्ध्वाकार क्षेत्र होता है।

(अक्टूबर 2005) कि कार्य पूर्ण हो चुका था तथा शेष सामग्री को हटाने के बाद सड़क को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अक्टूबर 2005 तक चालू भुगतान के रूप में 76.96 लाख रु ठेकेदार को अदा किए गए थे।

इस प्रकार विपथन सड़क की 'अप्रोच फनेल' में सीधाई के गलत निर्धारण तथा वैकल्पिक सड़क के निर्माण में विलम्ब का परिणाम 54 लाख<sup>2</sup> रुपये की राशि के अतिरिक्त व्यय में हुआ जिसमें विपथन सड़क के एक हिस्से को त्यागने के कारण 13.40 लाख रु का निष्फल व्यय भी शामिल था। यदि अ.लो.नि.वि. विपथन सड़क का निर्माण करते समय अक्टूबर 1992 में सीमांकित फनेल क्षेत्र से दूर रहने की आवश्यकताओं की अनदेखी नहीं करता तो इस से बचा जा सकता था।

अ.लो.नि.वि. ने बताया (अक्टूबर 2005) कि यद्यपि उसने फनेल क्षेत्र के सीमांकन में सहायता प्रदान की थी फिर भी बाधा की पहचान भा.वि.प्रा. तथा महानिदेशक नागरिक विमानन को करनी थी। अ.लो.नि.वि. का दावा सही नहीं है क्योंकि फनेल क्षेत्र की जानकारी 1992 से अ.लो.नि.वि. के पास थी। इसके अतिरिक्त अ.लो.नि.वि. के पास विशेष हवाई अड्डा कक्ष का अभ्यावेदन भी था जिसने 1992 में हवाई अड्डे के फनेल क्षेत्र के सीमांकन को अंतिम रूप दिया था, जिससे स्पष्ट है कि अ.लो.नि.वि. फनेल क्षेत्र से अवगत था।

हवाई अड्डे की फनेल क्षेत्र में एक जल उपचार इकाई के निर्माण के फलस्वरूप 1.25 करोड़ रु के निष्फल व्यय, अ.लो.नि.वि. की लापरवाही का एक उदाहरण था जिस पर भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक के वर्ष 1999 के प्रतिवेदन सं. 2 (सिविल) के पैरा 18.4 में टिप्पणी की गई थी। इसलिए अ.लो.नि.वि. फनेल क्षेत्र में सड़क की गलत सीधाई के संबंध में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

इस प्रकार अ.लो.नि.वि. द्वारा समुचित समन्वय एवं योजना की कमी के कारण 53.57 लाख रु की राशि का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसमें विपथन सड़क के एक हिस्से के परित्याग के कारण 13.40 लाख रु का अतिरिक्त व्यय सम्मिलित था।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2005 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2006 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

<sup>2</sup> 1926 मीटर निर्माण की लागत = 2.32 करोड़ रु

615 मीटर निर्माण की लागत = 1.14 करोड़ रु

योग = 3.46 करोड़ रु

घटाए 2430 मीटर के निर्माण की = 2.92 करोड़ रु

अनुपातिक लागत

अतिरिक्त व्यय = 54 लाख रु

### अध्याय XV : सामाज्य


#### 15.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति के बार-बार निर्देशों/सिफारिशों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने 129 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर कार्यवाही टिप्पणियां लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित समय-सीमा के बीत जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं की।

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने 1982 में यह निर्णय लिया कि मंत्रालयों/विभागों को इन प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सभी पैराग्राफों पर उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही टिप्पणियां (का.टि.) प्रस्तुत करनी चाहिए।

लो.ले.स. ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर का.टि. प्रस्तुत करने में अधिकांश मंत्रालयों/विभागों की ओर से अत्यधिक विलम्ब तथा निरन्तर विफलता को गम्भीरता से लिया। संसद में 22 अप्रैल 1997 को प्रस्तुत किये गये अपने नींवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लो.ले.स. ने यह इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 तक समाप्त वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित लम्बित का.टि. को तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करके प्रस्तुत किया जाये तथा सिफारिश की कि मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष से आगे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी पैराग्राफों पर का.टि. लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

अक्टूबर 2005 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों, संघ सरकार (सिविल, अन्य स्वायत्त निकाय तथा वैज्ञानिक विभाग) में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया का.टि. की समीक्षा से पता चला कि मंत्रालयों/विभागों ने 129 पैराग्राफों पर का.टि. प्रस्तुत नहीं की। इसमें मार्च 1995 को समाप्त हुए वर्ष तक के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए 35 पैराग्राफ शामिल हैं, जैसाकि परिशिष्ट-II में दिखाया गया है। बकाया का.टि. 1988-89 से भी पहले की तिथि से सम्बन्धित थी।



यद्यपि मार्च 1996 से मार्च 2004 को समाप्त वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर मई 1997 और जुलाई 2005 के बीच प्रस्तुत किये गये थे तथा का.टि. प्रस्तुत करने की निर्धारित चार माह की समय-सीमा प्रत्येक मामले में समाप्त हो गई थी, मंत्रालयों/विभागों द्वारा 94 पैराग्राफों पर का.टि. अभी प्रस्तुत की जानी थी, जबकि 140 पैराग्राफों के बारे में अन्तिम का.टि. अक्टूबर 2005 तक प्रतीक्षित थी जैसाकि परिशिष्ट-II में दिखाया गया है।

### 15.2 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम - प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमावली के उपबंधों के अनुसार, वाणिज्यिक या अर्धवाणिज्यिक प्रकृति वाले विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों को ऐसे सहायक लेखे या प्रोफार्मा लेखे अनुरक्षित करने होते हैं जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से विचार विमर्श के बाद सरकार द्वारा निर्धारित हों।

मार्च 2005 तक वाणिज्यिक या अर्धवाणिज्यिक प्रकृति के 34 सरकारी उपक्रम विभागीय रूप से प्रबंधित थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणाम प्रति वर्ष प्रोफार्मा लेखाओं द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं, जो सामान्यतः व्यापार लेखे, लाभ-हानि लेखे तथा तुलन पत्र से बनते हैं। जबकि भारत सरकार मुद्रणालय, व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र के बिना प्रोफार्मा लेखे तैयार करता है, प्रकाशन विभाग केवल भण्डार लेखे तैयार करता है।

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके नियंत्रण वाले उपक्रमों के लेखापरीक्षित लेखे वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के नौ महीने के अन्दर

तैयार कर लिए जायें। विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के अद्यतन उपलब्ध लेखाओं के आधार पर तैयार संक्षिप्त वित्तीय परिणामों की स्थिति परिशिष्ट-III में दर्शायी गई है।

परिशिष्ट से यह देखा जाएगा कि 31 उपक्रमों के संबंध में एक वर्ष से लेकर बत्तीस वर्ष तक की अवधि तक के प्रोफार्मा लेखे बकाया थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

अवधि जब से बकाया पड़े थे		
वर्षों की संख्या	अवधि	उपक्रमों की संख्या
1-5	2000-01 से 2004-2005	21
6-10	1995-96 से 1999-2000	9
30-33	1973-74	1
	योग	31

जहाजरानी विभाग (नौकाघाट), अण्डमान निकोबार, द्वीपसमूह के मामले में 1973-74 से प्रोफार्मा लेखे बकाया थे। प्रोफार्मा लेखाओं के अभाव में इन संगठनों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं की लागत, जिनकी वाणिज्यिक आधार पर प्रबन्धित किए जाने की अपेक्षा है; का पेता नहीं लगाया जा सका। सामान्य निष्पादक संकेतकों जैसे निवेश पर प्राप्ति, लाभकारिता आदि के क्रियाकलापों को परिकलित करना भी संभव नहीं था।

विभागीय रूप से प्रबंधित उपक्रम के लेखाओं के संकलन में विलम्ब को (i) कृषि, (ii) रक्षा (iii) पर्यावरण एवं वन (iv) वित्त (v) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (vi) सूचना एवं प्रसारण (vii) विद्युत (viii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग (ix) जहाज रानी (x) शहरी विकास मंत्रालयों के सचिवों को दिसम्बर 2005 में सूचित कर दिया गया था। उनके उत्तर/टिप्पणियां फरवरी 2006 तक प्रतीक्षित थीं।

### 15.3 बट्टेखाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां तथा गोस-वसूली योग्य देय राशि

वर्ष 2004-05 के दौरान बट्टेखाते में डाली गई/छोड़ी गई हानियों तथा वसूल न किये जाने वाले प्राप्यों, शुल्कों, अग्रिमों की विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट-VI में दी गई हैं। परिशिष्ट से यह देखा जा सकेगा कि वर्ष 2004-05 के दौरान 832 मामलों में मुख्यतः प्रणाली की विफलता के कारण 60.11 लाख रु की हानियों, 526.92 लाख रु सरकारी कर्मियों की व्यक्तिगत लापरवाही/जालसाजी आदि के कारण, तथा अन्य कारणों के लिए 1061.70 लाख रु बट्टेखाते में डाले गये थे। वर्ष के दौरान, 140 मामलों में कुल 19.49 करोड़ रु की वसूली तथा अनुग्रही अदायगी को छोड़ा गया था।

#### 15.4 ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति के कहने पर जारी किए गए वित्त मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने इस प्रतिवेदन में शामिल 38 में से 18 ड्राफ्ट पैराग्राफों के उत्तर नहीं भेजे।

लो.ले.स. की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में छः सप्ताह के अन्दर अपना उत्तर भेजने के लिए जून 1960 में सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किये। ड्राफ्ट पैराग्राफ सदैव संबंधित लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा के परिणामों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के अन्दर उनका उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं। मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल ऐसे प्रत्येक पैराग्राफ के अन्त में निरपवाद रूप से दर्शाए जाते हैं।

मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में शामिल 38 ड्राफ्ट पैराग्राफ मई 2005-दिसम्बर 2005 की अवधि में अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को भेजे गए थे।

मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने लोक लेखा समिति के कहने पर जारी किए गए वित्त मंत्रालय के उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन में 18 ड्राफ्ट पैराग्राफों के उत्तर नहीं भेजे जैसा कि परिशिष्ट-V में दर्शाया गया है। परिणामतः ये 18 पैराग्राफ, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के उत्तर के बिना ही प्रतिवेदन में शामिल कर लिए गए हैं।

नई दिल्ली  
दिनांक

१ मार्च २००६


(डा. अं.बु. बनर्जी)  
महानिदेशक लेखापरीक्षा  
केन्द्रीय राजस्व

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक

१ मार्च २००६

(विजयन्द्र नाथ कौल)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



## परिशिष्ट-I

(पैराग्राफ. 15.1 के सन्दर्भ में)

मार्च 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अक्तूबर 2005 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			योग		
			प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
1.	वित्त (राजस्व विभाग)	1994	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2
2.	सूचना एवं प्रसारण	1995	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3.	शहरी विकास	1989	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
		1990	-	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5	-
		1991	-	-	-	8	8	-	-	-	-	8	8	-
		1992	-	-	-	9	9	-	-	-	-	9	9	-
		1993	-	-	-	12	12	-	-	-	-	12	12	-
4.	युवा मामले एवं खेलकूद	1994	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	योग		3	-	3	36	35	1	-	-	-	39	35	4

## परिशिष्ट-II

(पैराग्राफ 15.1 के सन्दर्भ में)

मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अक्तूबर 2005 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			योग		
			प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
1.	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (डाक विभाग)	2002	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2003	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2004	4	--	4	--	--	--	--	--	--	4	--	4
		2005	6	--	6	--	--	--	--	--	--	6	--	6
	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2004	--	--	--	---	--	--	1	1	--	1	1	--
	दूरसंचार विभाग	1997	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2004	4	--	4	--	--	--	--	--	--	4	--	4
		2005	3	--	3	--	--	--	--	--	--	3	--	3
2.	वाणिज्य	2004	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
3.	उपभोक्ता मामले और लोक संवितरण	2004	--	--	--	1	1-	--	--	--	--	1	1	--
4.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (डी एस आई आर सहित)	2004	--	--	--	--	--	--	3	2	1	3	2	1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			योग		
			प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
5.	संस्कृति	1997	--	--	--	1	--	1	--	--	--	1	--	1
		1998	--	--	--	1	--	1	--	--	--	1	--	1
		2001	--	--	--	2	--	2	--	--	--	2	--	2
		2003	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
		2004	1	1	--	2	2	--	--	--	--	3	3	--
6.	रसायन एवं उर्वरक	2004	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
7.	पर्यावरण एवं वन	2002	--	--	--	--	--	--	1	--	1	1	--	1
8.	विदेश मामले	1999	2	--	2	--	--	--	--	--	--	2	--	2
		2000	4	--	4	--	--	--	--	--	--	4	--	4
		2001	3	--	3	--	--	--	--	--	--	3	--	3
		2002	4	1	3	--	--	--	--	--	--	4	1	3
		2003	12	6	6	--	--	--	--	--	--	12	6	6
		2004	13	9	4	1	1	--	--	--	--	14	10	4
9.	वित्त (राजस्व विभाग)	1998	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		1999	2	1	1	--	--	--	--	--	--	2	1	1
		2002	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
	आर्थिक मामलों का विभाग	2000	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2003	4	1	3	1	--	1	--	--	--	5	1	4
		2004	3	--	3	2	--	2	--	--	--	5	--	5

2006 का प्रतिवेदन संख्या 2

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			योग		
			प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
10.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1997	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		1999	1		1	1	--	1	--	--	--	2	--	2
		2000	3	1	2	--	--	--	--	--	--	3	1	2
		2001	3	1	2	--	--	--	--	--	--	3	1	2
		2002	1		1	2	1	1	--	--	--	3	1	2
		2003	2	--	2	--	--	--	--	--	--	2		2
		2004	4	1	3	3	--	3	--	--	--	7	1	6
11.	गृह मामले	2000	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2002	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2004	3	--	3	--	--	--	--	--	--	3	--	3
12.	मानव संसाधन विकास (प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)	2000	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2001	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग	1999	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2001	--	--	--	4	--	4	--	--	--	4	--	4
		2002	--	--	--	3	3	--	--	--	--	3	3	--
		2003	3	1	2	4	2	2	--	--	--	7	3	4
		2004	4	1	3	11	6	5	--	--	--	15	7	8
		1999	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
	महिला एवं बाल विकास विभाग	2002	--	--	--	1	--	1	--	--	--	1	--	1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			योग		
			प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
		2003	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
13.	सूचना एवं प्रसारण	1997	2	--	2	--	--	--	--	--	--	2	--	2
		1998	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2000	3	--	3	--	--	--	--	--	--	3	--	3
		2001	4	1	3	--	--	--	--	--	--	4	1	3
		2002	--	--	--	5	--	5	--	--	--	5	--	5
		2003	1	--	1	4	1	3	--	--	--	5	1	4
		2004	1	1	--	4	4	--	--	--	--	5	5	--
14.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	2004	--	--	--	--	--	--	2	--	2	2	--	2
15.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	2004	--	--	--	--	--	--	1	--	1	1	--	1
16.	श्रम	2000	--	--	--	1	--	1	--	--	--	1	--	1
		2001	--	--	--	1	--	1	--	--	--	1	--	1
		2004	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
17.	विधि एवं न्याय	2003	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
18.	विद्युत	2004	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
19.	ग्रामीण विकास	2002	2	2	--	--	--	--	--	--	--	2	2	--
20.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	2003	--	--	--	--	--	--	1	1	--	1	1	--
		2004	--	--	--	--	--	--	2	-	2	2	-	2
	अन्तर्रिक्ष विभाग	2004	--	--	--	--	--	--	1	--	1	1	--	1
	परमाणु ऊर्जा विभाग	2004	--	--	--	--	--	--	5	2	3	5	2	3

2006 का प्रतिवेदन संख्या 2

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			योग		
			प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
21.	जहाजरानी	2001	--	--	--	1	1	--	--	--	--	1	1	--
		2002	--	--	--	1	1	--	--	--	--	1	1	--
		2003	--	--	--	3	2	1	--	--	--	3	2	1
		2004	1	1	--	4	3	1	--	--	--	5	4	1
22.	लघु उद्योग	2000	--	--	--	1	1	--	--	--	--	1	1	--
		2004	--	--	--	2	2	--	--	--	--	2	2	--
23.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1998	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2001	--	--	--	1	--	1	--	--	--	1	--	1
		2003	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2004	1	1	--	1	1	--	--	--	--	2	2	--
24.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	1997	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2000	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
25.	इस्पात	2003	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
26.	कपड़ा	2003	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
27.	पर्यटन	2003	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
		2004	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
28.	शहरी विकास	2002	--	--	--	1	1	--	--	--	--	1	1	--
		2003	1	1	--	1	1	--	--	--	--	2	2	--
		2004	6	6	--	3	3	--	--	--	--	9	9	--

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			योग		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
29.	जल संसाधन	2003	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
30.	युवा मामले एवं खेलकूद	2003	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
		2004	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
योग			143	51	92	74	37	37	17	6	11	234	94	140

## परिशिष्ट-III

(पैराग्राफ 15.3 के सन्दर्भ में)

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(लाख रु. में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूँजी	निरुद्ध परिसम्पत्तियाँ (निवल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल	मध्य पूँजी से कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियाँ
<b>कृषि मंत्रालय</b>										
1.	दिल्ली दुध योजना	2004-05	3622.88	851.33	2156.81	(-) 1777.66	255.28	(-) 1522.38	--	
2.	बर्फ और प्रशीतन संयंत्र, कोचीन	2003-04	211.67	118.16	77.43	78.11	25.40	42.96	--	-
<b>रक्षा मंत्रालय</b>										
3.	केन्टीन भण्डार विभाग	2003-04	48.00	3429.85	2337.37	11731.69	7940.93	19672.62	30.55	
<b>पर्यावरण एवं वन मंत्रालय</b>										
4.	पर्यावरण तथा वन विभाग, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1999-00	1443.83	162.11	1281.72	(-) 993.99	*2147.31	(-) 993.99	(-) 4.20	*प्रोफार्मा लेखे के अनुसार सरकारी पूँजी पर ब्याज 2147.31 लाख रु है लेकिन सही आंकड़े, यदि ब्याज के परिकलन के लिए सही प्रकृति अपनाई जाती तो 1164.45 लाख रु होते।
<b>वित्त मंत्रालय</b>										
5.	बैंक नोट प्रेस, देवास	2000-01	10745.45	4826.32	5919.14	10998.62	4315.33	15313.95	43.08	
6.	करंसी नोट प्रेस, नासिक रोड	2003-04	47322.84	29263.49	18115.81	3843.03	3726.11	9983.87	27.49	
7.	सरकारी क्षारोद कार्यशाला, गाजीपुर	1998-99	137.82	24.50	39.35	(-) 382.54	98.95	(-) 283.59	-	
8.	सरकारी क्षारोद कार्यशाला, नीमच	1999-00	980.75	698.15	278.29	1940.14	114.98	2055.12	216.28	
9.	सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर	1998-99	234.10	103.44	75.96	5410.65	75.21	5485.86	875.34	
10.	सरकारी अफीम कारखाना, नीमच	1999-00	417.05	350.29	67.58	10896.82	शून्य	10896.82	-	

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूँजी	निरुद्ध परिसम्पत्तियां (निवल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूँजी पर व्याज	कुल प्रतिफल	मध्य पूँजी से कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियाँ
11.	भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	2001-02	42765.49	312.05	602.46	(-) 2624.30	5200.92	उ.न.	उ.न.	
12.	भारत सरकार टकसाल, कोलकाता	2002-03	54550.66	1811.21	632.07 235.11	1973.60	6050.26	-	-	
13.	भारत सरकार टकसाल, मुम्बई	1998-99	32364.04	4592.04	1397.64	12489.53	5258.25	17747.78	-	
14.	भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक रोड	2003-04	74601.66	11391.13	4588.49	55.15	5442.29	5497.44	11.19	
15.	भारत सरकार टकसाल, नोएडा	1998-99	2629.24	1905.20	724.04	3809.92	211.98	3821.91	145.36	
16.	सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	2002-03	9448.39	4034.83	3461.09	1582.94	-	1582.94	-	
17.	सिक्योरिटी मुद्रणालय, हैदराबाद	1999-00	1947.00	938.00	1031.00	24.00	304.00	328.00	-	

**स्वारथ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**

18.	केन्द्रीय अनुसंधान संरक्षण, कसौली	2003-04	889.96	278.57	83.59	30.20	146.29	600.47	42.11	
19.	चिकित्सा भण्डार डिपो	2001-02	3224.27	87.41	26.62	(-) 473.38	46.97	147.73	--	आंकड़ों में चि.भ.डि. चेन्नई और गुवाहाटी के परिणाम शामिल नहीं हैं क्योंकि ये सिर्फ वर्ष 2000-01 के लिए ही उपलब्ध थे।
20.	केन्द्रीय मनोचिकित्सा संरक्षण का वनस्पति उद्यान, कनके, रांची	2004-05	0.31	0.23	0.0016	0.111	0.101	0.261	82.14	

**सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**

21.	फिल्म प्रभाग, मुम्बई	1994-95	1641.87	1602.94	801.41	(-) 1418.89	167.87	-	-	हानि इस वर्ष की हानि को दर्शाती है।
-----	----------------------	---------	---------	---------	--------	-------------	--------	---	---	-------------------------------------

**विद्युत मंत्रालय**

22.	बद्रपुर धर्मल पॉवर स्टेशन, नई दिल्ली	2004-05	42673.30	10578	33082	20049*	1206	18044**	42.28	*लाभ के 10% का भाग रा.थ.पा.नि. भी शामिल है। **रा.ता.वि.नि. लाभ के भाग को घटाने के उपरान्त निवल अधिशेष
-----	--------------------------------------	---------	----------	-------	-------	--------	------	---------	-------	--

**2006 का प्रतिवेदन संख्या 2**

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूँजी	निरुद्ध परिसम्पत्तियां (निवल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल	मध्य पूँजी से कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियाँ
23.	विद्युत विभाग, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2001-02	17926.41	15464.33	2015.55	(-) 55167.01	1718.91	(-) 8694.07	(-) 61.40	
24.	विद्युत विभाग, लक्ष्मीप	2002-03	3123.21	1852.18	1271.03	(-) 1453.43	270.86	(-) 1724.29	-	
25.	परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद	2003-04	43248.74	29172.19	14076.54	13474.31	6375.65	19849.96	46.72	
26.	उच्च जल पूल प्रबंधन, मुम्बई	2003-04	703617.81	0.00	0.00	(-) 39296.94	72191.19	32894.25	4.68	आंकड़े अनन्ति म हैं।
<b>सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय</b>										
27.	चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम	2002-03	7305.58	3434.62	680.33	(-) 589.89	309.55	(-) 280.34	(-) 3.84	
28.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर	2003-04	1347.60	162.91	1184.68	(-) 11591.66	(-) 1394.68	(-) 12986.34	(-) 963.66	
<b>जहाजरानी मंत्रालय</b>										
29.	नौका सेवा, अण्डमान	2002-03	26092.38	3373.67	5486.23	(-) 32.74	(-) 2553.32	(-) 2586.06	(-) 9.91	
30.	प्रकाशरत्नम तथा दीपपोत विभाग	2002-03	13640.00	14324.00	5505.00	4362.00	340.00	4702.00	69.00	
31.	समुद्री विभाग (नौकाघाट) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2003-04	2884.55	205.10	61.60	(-) 4166.22	(-) 289.41	(-) 4455.63	(-) 154.47%	
32.	जहाज सेवाएं, अण्डमान और निकोबार, द्वीपसमूह	1972-73	43.50	56.80	7.89	(-) 80.15	4.47	(-) 75.68	-	विभाग से 1973-74 से लेखे प्राप्त नहीं हुए।

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूँजी	निरुद्ध परिसम्पत्तियां (निवल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूँजी पर व्याज	कुल प्रतिफल	मध्य पूँजी से कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियाँ
<b>शहरी विकास मंत्रालय</b>										
33.	प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली	2000-01 तथा उससे आगे	-	-	-	-	-	-	-	प्रकाशन विभाग प्रोफोर्मा लेखे के बजाए स्टोर लेखे बनाता है। जिनकी 1999-2000 तक लेखापरीक्षा की जा चुकी है। मंत्रालय ने नवम्बर 2001 में लेखा पद्धति को वाणिज्यिक पद्धति में बदलने का निर्णय लिया था। विभाग द्वारा अभी तक पद्धति बदली नहीं गई थी।
34.	भारत सरकार मुद्रणालय	2003-04	955.09	-	60.52	-	48.55	-	-	भारत सरकार के मुद्रणालय “बिना लाभ एवं हानि” के आधार पर कार्य करते हैं। आंकड़ों में केवल दिल्ली के मुद्रणालयों के परिणाम सम्मिलित हैं।

## परिशिष्ट - IV

(पैराग्राफ 15.3 के सन्दर्भ में)

2004-2005 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई /छोड़ी गई हानियों तथा अवसूली योग्य राशियों का विवरण

(लाख रुपये में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	बट्टे खाते में डाली गई एवं अवसूली योग्य राशियों का विवरण									
	प्रणाली की असफलता		उपेक्षा/धोखाधड़ी आदि		अन्य कारण		वसूली छोड़ना		अनुग्रही राशि का भुगतान	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
कृषि	--	--	--	--	1	0.22	--	--	--	--
परमाणु ऊर्जा	--	--	--	--	28	12.81	1	0.05	--	--
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	--	--	--	--	574	117.43	8	2.57	--	--
वित्त (आर्थिक मामले)	--	--	--	--	--	--	1	1628.10	2	6.93
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19	42.38	6	503.02	26	714.96	5	12.89	--	--
सूचना एवं प्रसारण	--	--	--	--	3	26.78	--	--	--	--
श्रम तथा रोजगार	--	--	--	--	4	3.76	--	--	--	--
विद्युत विभाग (लक्ष्यीप)	--	--	1	1.18	--	--	--	--	--	--
खान	--	--	--	--	--	--	29	0.25	--	--
डाक एवं दूरसंचार	--	--	7	1.40	16	3.25	2	0.12	88	9.26
विद्युत	--	--	--	--	3	23.32	--	--	--	--
जहाजशानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग	23	17.73	49	21.32	69	157.32	3	0.13	--	--
अन्तरिक्ष	--	--	--	--	3	1.85	--	--	--	--
भूतल परिवहन	--	--	--	--	--	--	1	7.60	--	--
शहरी विकास (वि.वि.प्रा.)	--	--	--	--	--	--	--	--	* 281.15	
योग	42	60.11	63	526.92	727	1061.70	50	1651.71	90	297.34

\* विभाग द्वारा मामलों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया।

**परिशिष्ट - V**  
**(पैराग्राफ 15.4 के संदर्भ में)**  
**ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर**

क्र.सं	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफों की कुल संख्या	पैराग्राफों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफों का संदर्भ
1.	परमाणु ऊर्जा	01	--	--
2.	वाणिज्य एवं उद्योग	03	--	--
3.	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	07	05	3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6
4.	विदेश मामले	07	02	4.3 और 4.5
5.	वित्त	02	--	--
6.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	05	02	6.1 और 6.3
7.	गृह मामले	01	01	7.1
8.	मानव संसाधन विकास	01	01	8.1
9.	सूचना एवं प्रसारण	01	01	9.1
10.	विद्युत	02	--	--
11.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	02	02	11.1 और 11.2
12.	पर्यटन	02	--	
13.	शहरी विकास	02	02	13.1 और 13.2
14.	संघ शासित क्षेत्र	02	02	14.1 और 14.2
योग		38	18	

